एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

(पूर्व में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	निगमित सूचना	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	7
4.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (2021–22)	37
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	68
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	73
7.	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	104
8.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि खाता	105
9.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	106
10.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	107
11.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में टिप्पणियां	108

निगमित सूचना

निदेशक मंडल (30–12–2022 को)

श्री विक्रम देव दत्त, अध्यक्ष
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा
श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा
श्रीमती परमा सेन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री शरद अग्रवाल

मुख्य वित्त अधिकारी
श्री राकेश कुमार जैन

कंपनी सचिव
सुश्री साक्षी मेहता

पंजीकृत कार्यालय

एअरलाइन्स हाउस, 113 गुरूद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली–110001
CIN: U74210DL2004GOI125114

कॉर्पोरेट कार्यालय
दूसरी मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003
दूरभाषः +91–11–24600763
ई–मेलः marketing.aiesl@aiesl.in; **वेबसाइटः** www.aiesl.in

सांविधिक लेखापरीक्षक
मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक
मेसर्स जे पी सैनी एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

आंतरिक लेखापरीक्षक
मेसर्स जी एस माथुर एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कर लेखापरीक्षक
मेसर्स विजय मुकेश एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

रजिस्ट्रार एवं शेयरट्रांसफर एजेंट
लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग विक्रोली (पश्चिम)
मुम्बई–400083.

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

कंपनी की वर्ष 2021–22 की अठारहवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

मैं वर्ष के दौरान कंपनी के निष्पादन के इस अवसर पर प्रकाश डालता हूं:

कंपनी का निष्पादन

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित है:

- इस अवधि के दौरान परिचालन राजस्व पिछले वर्ष में 1160.02 करोड़ रुपये से बढ़ कर चालू वर्ष में 1881.91 करोड़ और कुल राजस्व 1185.54 करोड़ रुपये से 1906.52 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात लगभग 720.98 करोड़ रूपये (60.81 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है।
- इसके विपरीत, कंपनी का कुल व्यय 1202.27 करोड़ रूपये (पुनर्स्थापित) से बढ़ कर इसी अवधि में लगभग 1331.24 करोड़ रूपये हो गया हो जो लगभग 128.97 करोड रूपये (10.73 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 में 4.79 करोड़ रुपये (पुनर्स्थापित) के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 में 843.98 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

गैर–वित्तीय निष्पादन के संबंध में, वित्त वर्ष 2021–22 में, कंपनी ने लगभग 450 विमानों की व्यवस्था की है। एआईईएसएल ने एआईएल बेड़े सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रचालकों जैसे जजीरा एयरवेज, ओमान एयरवेज, मलेशियन एयरलाइंस, कुवैत एयरवेज, टाइगर स्कूट, चाइना एयरलाइंस, एमए इंडो एयरलाइंस, इजिप्ट एअर आदि और एअर एशिया इंडिया, गो एयर, स्पाइसजेट, फ्लाई बिग, टाटा विस्तारा सहित भारतीय प्रचालकों को लाइन अनुरक्षण सेवाएं प्रदान की हैं।

कंपनी रक्षा विभाग के साथ–साथ निजी क्षेत्र के प्रचालकों को एमआरओ सेवाएं प्रदान कर रही है, जहां भी एआईईएसएल के पास ऐसा करने की क्षमता है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2021–22 में घरेलू प्रचालकों – एअर एशिया इंडिया, टाटा एसआईए एयरलाइंस, स्पाइसजेट, गोएयर, इंडिगो एयरलाइंस के लिए आधार अनुरक्षण प्रदान करने का कार्य किया है। इसके अलावा, एआईईएसएल ने एविएशन रिसर्च सेंटर (एआरसी), भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक

बल और एचएएल के लिए प्रमुख रखरखाव कार्य भी किए हैं। वर्ष 2021–22 में एआईईएसएल ने निजी पक्षों के विमानों जैसे – रिलायंस आरसीडीएल, ताज एअर चार्टर्स, जूम एयर, क्लब वन एआर और ब्लूड आर्ट एयरक्राफ्ट के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लिया है। इसके अलावा, एआईईएसएल ने अपने ए319 और ए320 विमानों के रखरखाव के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया। आत्मनिर्भर अभियान के एक भाग के रूप में, एआईईएसएल ने भारतीय नौसेना द्वारा प्रचालित पी 8आई और भारतीय वायु सेना द्वारा प्रचालित 777 वीआईपी विमान सहित भारत में प्रमुख बोइंग रक्षा प्लेटफार्मों पर रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए बोइंग डिफेंस के साथ सहयोग किया है।

आपकी कंपनी को ईएएसए, एफएए, कतर, कुवैत, जीएसीए (यूएई), सीएए सिंगापुर, सीएए श्रीलंका, सीएए नेपाल, सीएए थाईलैंड, सीएए मलेशिया, सीएए बांग्लादेश और पीएसीए ओमान जैसे 13 विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त था। एआईईएसएल ने इजिप्ट के सीएए के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है।

एआईईएसएल के उत्तरी क्षेत्र में, दिल्ली के हैंगर में बी–737 विमानों के रखरखाव का कार्य करने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदन दिया गया और स्पाईसजेट विमानों का सी–चेक किया गया है। इसके अलावा, एआईईएसएल, उत्तरी क्षेत्र ने सीएफएम लीप 1ए विमान की जांच और भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए क्षमता में वृद्धि की है। इसी तरह, एआईईएल के पश्चिमी क्षेत्र में, एअरबस निओ विमान के पीडब्ल्यू 1100 इंजनों के लिए प्रैट और व्हिटनी इंजनों के चरण–1 चेक के लिए समझौता पूरा हुआ। नागपुर एमआरओ में, इंजन परीक्षण सेल ने जेनएक्स और जीई 90 इंजनों के लिए ईएएसए और एफएए से अनुमोदन प्राप्त किया है। जेनएक्स इंजन को नागपुर एमआरओ में QT (क्विक टर्न) अनुरक्षण चेक की आवश्यकता होती है, हम ने 4 QT चेक किए है। एटीआर और भविष्य में एयरलाइंस द्वारा प्रचालित की जाने वाली निओ विमानों की भविष्य की मांगों को देखते हुए दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि की गई।

होल्डिंग कंपनी में परिवर्तन

पूर्व में, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल), एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, हालांकि एआई के विनिवेश और एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार, एआईईएसएल की संपूर्ण शेयरधारिता को दिनांक 12.01.2022 को बही मूल्य पर एआई से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को स्थानांतरित कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, एआईईएसएल, एआईएएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

शक्ति और चुनौतियां

एआईईएसएल की शक्तिः

- राजस्व, आधारभूत संरचना और पेशेवर श्रमशक्ति के मामले में भारतीय एमआरओ में सबसे बड़ा पक्ष।
- एयरलाइनों के लिए संपूर्ण समाधान हेतु वन स्टॉप शॉप।
- सीएफएम 56–5बी/7बी, जीई एंड पी एंड डब्ल्यू के इंजन ओवरहाल शॉप के प्रमुख बाजार में उपस्थिति।
- प्रमुख बेसों पर आधार रखरखाव में उपस्थिति।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर 100 से अधिक स्टेशनों पर लाइन मैंटेनेंस में उपस्थिति।
- कलपुर्जों की मरम्मत और ओवरहाल क्षेत्र में उपस्थिति।
- प्रमुख सेवाओं जैस संशोधन/संरचना मरम्मत, एनडीटी, लीज रेंटल, अतिरिक्त सहायता, सीएएमओ सेवाएं, प्रशिक्षण आदि में उपस्थिति।

निवेश आकर्षित करने के लिए सहयोग

भारत को विश्वभर में ओईएम और बड़े एमआरओ सेवा प्रदाताओं से निवेश आकर्षित करने के लिए स्वयं को सामरिक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है। सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश आकर्षक निवेश नीतियां बनाने और ओईएम को महत्वपूर्ण कर क्रेडिट की पेशकश करने में अग्रणी थे। उदाहरण के लिए, इन देशों ने पुनर्निवेश पर टैक्स क्रेडिट की पेशकश की, जिसका प्रभावी अर्थ यह हुआ कि सिंगापुर या मलेशिया में पहले से ही राजस्व उत्पन्न करने वाला ओईएम, इन देशों में फिर से निवेश कर सकता है और इन निवेशों के 50–60 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकता है। यह नीति ओईएम के लिए देशों के एक करीबी समूह में निवेश करने का प्राथमिक कारण रही है। भारत एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कदमों पर विचार कर सकता है:

- भारत में इस सुविधा की स्थापना/प्रचालनों के संबंध में एमआरओ सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के लिए भारित कटौती की व्यवस्था आरंभ करना।
- नई निर्माण कंपनियों के लिए हाल ही में प्रदान की गई 15 प्रतिशत की रियायती कॉर्पोरेट कर दर के विस्तार के साथ साथ, वैश्विक एमआरओ पक्षों के लिए अपने एशियाई समकक्षों के बीच भारत को एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
- एमआरओ व्यवसाय के लिए विनिर्दिष्ट अवधि हेतु आयकर अंतराल की व्यवस्था आरंभ करके, जैसा कि हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में विमान पट्टे पर देने वाले व्यवसाय को कर अंतराल प्रदान किया गया था।

कर संरचना में मुद्दों का समाधान

भारत में घरेलू एमआरओ को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी कर और नियामक नीतियों को उदार बनाने की कोशिश कर रही है। एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 5 प्रतिशत तक तर्कसंगत बनाना, स्वागतयोग्य कदम है। हालांकि, कर संरचनाओं में निम्नलिखित अनिश्चितताओं पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है:

- घरेलू ग्राहकों को एमआरओ सेवाओं की आपूर्ति के लिए, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (अर्थात, आउटपुट की तुलना में इनपुट पर जीएसटी की उच्च दर) को देखते हुए इनपुट (वस्तु) पर जीएसटी की वापसी उपलब्ध होगी। हालांकि, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर परिदृश्य के तहत इनपुट सेवाओं पर जीएसटी की वापसी उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, इस खाते में क्रेडिट का संचय चिंता का विषय बना रहेगा।
- एमआरओ सेवाओं के लिए जीएसटी की वापसी (अपतटीय ग्राहकों को निर्यात और घरेलू परिदृश्य में प्रतिकूल शुल्क संरचना के कारण) में उल्लेखनीय समय और प्रयास लागत शामिल है। यह कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

भविष्य की योजनाएं

कंपनी, तीसरे पक्ष को मौजूदा क्षमताओं से संबंधित एमआरओ सेवाएं प्रदान करके (सक्रीय विपणन के माध्यम से) और नई क्षमताएं प्राप्त करके राजस्व सृजन में सुधार करने की योजना बना रही है। एआईईएसएल विमान पुनर्वितरण व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए ईएएसए आधार अनुरक्षण क्षमता प्राप्त करने की योजना बना रहा है। यह डीआरडीओ / आईएएफ/भारतीय नौसेना जैसे रक्षा क्षेत्र में अपनी एमआरओ सेवाओं का विस्तार करना चाहता है। एआईईएसएल ने पहले ही डीआरडीओ के साथ उनके ए–319 विमानों के बेड़े के लिए अनुरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हमारे

लैंडिंग गियर ओवरहाल क्षमता और सीएफएम 56–5बी इंजन ओवरहाल क्षमता के लिए ईएएसए प्रमाणन प्राप्त करने के साथ ही ए320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट के विभिन्न घटकों की सेवा के लिए एटीईसी शॉप को अपग्रेड किया है।

भारत को अगले 20 वर्षों में 1,750 नए यात्री और मालवाहक विमानों की आवश्यकता होने की संभावना है, ताकि यात्री और फ्रेट यातायात, दोनों में भारी वृद्धि को पूरा किया जा सके। इस वृद्धि को पूरा करने में सहयोग हेतु, भारत को 255 बिलियन डॉलर मूल्य के 1,320 नए सिंगल आइज़ल विमानों और 430 वाइड बॉडी विमानों की आवश्यकता होगी। यह एक बड़ा एयरो इंजन बाजार उत्पन्न करेगा, जिसके एमआरओ का दोहन 'मेक इन इंडिया' डोमेन के तहत किया जाएगा। एयरो–इंजन ओईएम के साथ–साथ निजी पक्षों को एमआरओ सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत–विशिष्ट व्यवसाय मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है, जो संपूर्ण नियामक ढांचे को इष्टतम रूप से पूरा करते हैं। भारत में इस दिशा में, एक बड़ी क्षमता के दोहन की प्रतीक्षा की जा रही है।

निगमित शासन

एआईईएसएल द्वारा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन, जहां भी वर्ष के दौरान लागू हो, किया गया है। कंपनी, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–2022 दोनों के लिए डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 'उत्कृष्ट ग्रेड' के अंतर्गत आती है। डीपीई ने वर्ष 2020–21 के दौरान डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एआईईएसएल को 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग भी प्रदान की है।

आभार

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, एअर इंडिया लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एलायंस एअर एविएशन लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लेखापरीक्षकों और विक्रेताओं द्वारा कंपनी को दी गई बहुमूल्य सहायता और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं बैंकों और नियामक एजेंसियों सहित अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करता हूं, जो हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, बुद्धि, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहरी समझ, हमारी कंपनी को आगे ले जाने और इसे लाभदायक बनाने की कुंजी रही है।

हम हमेशा की तरह इस यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

ह/–

विक्रम देव दत्त

अध्यक्ष

विजन

विनियामक तथा संरक्षा अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए ग्राहकों को सर्वोत्कृष्ट दर्जे एवं समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना।

मिशन

ग्राहक

- संरक्षा के उच्च स्तर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए निवारक तथा सुधारात्मक अनुरक्षण के माध्यम से उड़नयोग्यता की निरंतर स्थिति में रखने के लिए कार्यभार उठाने वाले एअर इंडिया के बेड़े के सभी विमानों का अनुरक्षण करना।
- ग्राहकों को "एक ही जगह" समाधान अर्थात "वन स्टॉप" सोल्यूशन उपलब्ध कराना।
- तेज टर्न अराऊंड समय।
- भारत से तथा भारत के आस–पास के अधिकतम थर्ड पार्टी कार्य प्राप्त करना।

प्रक्रिया

- सीएआर–147 के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय का अनुमोदन प्राप्त करना।
- अपने सभी सस्थापनों तथा सुविधाओं के लिए एफएए तथा ईएएसए अनुमोदन प्राप्त करना।
- अधिक से अधिक थर्ड पार्टी कार्य के लिए आक्रामक विपणन नीति।
- विभाग केंद्रित होना चाहिए ताकि, सुपुदर्गी किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रत्येक विभागीय प्रमुख रूप से ज़िम्मेदार होगा, जिससे समग्र विज़न पूरा किया जा सके।
- गुणवत्ता लेखापरीक्षा आदि के माध्यम से गुणवत्ता की निरंतर मॉनीटरिगं।
- सेवाओं के उन्नयन हेतु निरंतर प्रयास, गुणवत्ता सेवा तथा लागत प्रभाविता के सबंध में उच्चतम ग्राहक सतुंष्टि प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण संबंध को दीर्घावधि तक बनाए रखने का सुनिश्चिय करना।
- गुणवत्ता मानक के साथ समझौता किए बगैर विश्व स्तर का एमआरओ बनने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना।
- कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपस्करों के जरिए क्षमता का उन्नयन तथा बढ़ोतरी।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए परस्पर प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों की कुशलता को बहुआयामी बनाना।
- प्रचालनात्मक लागत को इष्टतम बनाना।

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और प्रचालन पर अपनी अठारहवीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. सामान्य सूचना

तत्कालीन मूल कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने दिनांक 07.08.2010 को एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) को एअर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अलग करने और सेवा प्रदान करने के लिए, एक पृथक लाभ केंद्र को मंजूरी दी थी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के तीसरे पक्ष के ग्राहक से वर्कलोड के अलावा एअर इंडिया और इसकी अन्य सहायक कंपनियों के कैप्टिव लोड की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियां का कार्य सौंपा गया।

तदनुसार, एआईईएसएल के संचालन के लिए दिनांक 06.09.2012 को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभिन्न वैधानिक और नियामक प्राधिकरणों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के बाद, एक स्वतंत्र एमआरओ के रूप में काम करने के लिए सीएआर–145 के तहत दिनांक 01.01.2015 को डीजीसीए से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

दिनांक 03.08.2020 से कंपनी का नाम 'एयर–इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड' से बदलकर 'एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड' कर दिया गया था।

इससे पहले, एआईईएसएल, एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, हालांकि एआई के विनिवेश और एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार दिनांक 12.01.2022 एआईईएसएल की संपूर्ण शेयरधारिता एआई से एआईएचएल को स्थानांतरित कर दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 12.01.2022 से एआईईएसएल, एआईएएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

2. वित्तीय सारांश एवं विशेषताएं

वर्ष के दौरान कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष (पुनर्स्थापित)
कुल राजस्व	1906.52	1185.54
कुल व्यय	1331.24	1202.27
कर पूर्व लाभ (हानि)	575.28	(16.73)
कर का प्रावधान घटाकर	(261.84)	0.0
कर पश्चात लाभ	837.12	(16.73)
अन्य व्यापक आय	6.86	21.52
कुल व्यापक आय	843.98	4.79
पिछले वर्ष के लाभ का अग्रणीत किया गया शेष	(2392.16)	(2396.95)
तुलन पत्र को में अग्रणीत शेष	(1548.18)	(2392.16)

3. पूंजी संरचना

वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये थी जो प्रति 10 रूपये के 100 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित थी।

वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 166,66,65,000 रुपये थी, जिसे प्रति 10 रूपये के 16,66,66,500 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और संपूर्ण शेयरधारिता एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के अधिकारक्षेत्र में है।

4. वित्तीय विवरणों या बोर्ड की रिपोर्ट के संशोधन का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) में उल्लेखित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी के संबंध में अपने वित्तीय विवरणों या बोर्ड की रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों को इस वर्ष की रिपोर्ट में पुनः वर्णित किया गया है।

5. लाभांश

निदेशक मंडल, दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

6. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोश में दावा न किए गए लाभांश का अंतरण

चूंकि विगत वर्षों से कोई अदत्त/अदावा लाभांश नहीं था, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

7. आरक्षित निधि में अग्रेणीत किए जाने हेतु प्रस्तावित राशि

कंपनी के बोर्ड ने शून्य राशि को अपने रिजर्व में ले जाने का निर्णय/प्रस्ताव किया है।

8. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण उपलब्धियांः

कोविड–19 के बावजूद और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सभी दिशानिर्देशों/निदेशों का पालन करते हुए, एआईईएसएल ने अपने प्रमुख ग्राहकों के लिए अपने संचालन को बनाए रखा है। एआईईएसएल ने एअर इंडिया (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) की विनिवेश प्रक्रिया के दौरान एअर इंडिया के लिए लंबे समय से ग्राउंडिड बी777/बी787/ए320 विमानों को पुनः प्राप्त करके, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कंपनी ने डीआरडीओ को छह ए321 विमान परिवर्तित /अनुकूलित करके सफलतापूर्वक प्रदान किए हैं।

8.1 औसत आधार पर वर्ष 2021–22 के दौरान एआईईएसएल द्वारा हैंडल किए गए एआई समूह कंपनियों के बेड़े का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

विमान का प्रकार	विमान की औसत संख्या
ए319	20
ए320	36
ए321	20
बी787	27
बी777	16
बी747	4
एटीआर	18
बी737	24
कुल	**165**

8.2 एआई समूह के लिए उपयोग/टीडीआर (तकनीकी प्रेषण नियमितता) प्राप्त :

एआईईएसएल ने विश्वस्तरीय विमानन मानक की तुलना में तकनीकी प्रेषण नियमितता (टीडीआर) और उपयोग बनाए रखी। बेड़ावार टीडीआर और उपयोग निम्नलिखित है :

बेड़े का प्रकार	प्रचालनिक बेडे पर दैनिक उपयोग (बीएच/एफएच)	कुल बेडे पर दैनिक उपयोग (बीएच/एफएच)	टीडीआर (प्रतिशत)
ए319	6.68/5.04	2.97/2.24	99.47
ए320	9.59/7.63	8.47/6.74	99.50
ए321	9.40/7.51	5.92/4.72	99.23
बी787 – 8	9.66/8.82	6.52/5.96	97.44
बी777	10.80/10.3	7.30/6.96	95.91
बी747–400	0.0/0.0	0.0/0.0	शून्य
एटीआर 72–212ए (600)	07:09 / 05:38	05:53/04:38	98.96
बी737	9.50/8.52	9.50/8.52	98.96

8.3 आपकी कंपनी के प्रचालन को विभिन्न क्षेत्रों/लाभ केन्द्रों में विभाजित किया गया है। वर्ष के दौरान उनका निष्पादन, महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा भविष्य की योजनाएं नीचे दी गई हैं:

I. नागपुर एमआरओ : (एमआरओ का स्वामित्व संचालित एअर इंडिया के पास था और कंपनी द्वारा प्रचालन किया जा रहा है)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नागपुर एमआरओ का निष्पादन और उपलब्धियां निम्नानुसार थीं:

क. नागपुर एमआरओ में प्राप्त हुए विनियामक अनुमोदन और किए गए कार्य निम्न प्रकार से है :–

<u>**इंजन शॉप**</u>

- **उपकरण खरीद**: पीआरएसवी (निष्पादन रिस्टोरेशन शॉप विजिट) उपकरण खरीद की प्रक्रिया में हैं।

  वर्तमान स्थितिः 3 QT प्रचालन।

  उपकरण खरीद (योजना) के बादः

  3 QT, 2 QT+ 1 पीआरएसवी (PSRV) में परिवर्तित हो जाएगा।

- डीजीसीए ने दिसंबर 2017 में जीई 90 इंजनों और जीईएनएक्स इंजनों के क्विक टर्न (QT) कार्य के परीक्षण के लिए वर्ष 2021–22 को स्वीकृति प्रदान की थी।

  - 02 फरवरी 2020 और 20 सितंबर 2021 के दौरान इंजन क्रमांक 956955
  - 20 जुलाई 2020 और 03 नवंबर 2021 के दौरान इंजन क्रमांक 956119
  - 24 फरवरी 2021 और 17 दिसंबर 2021 के दौरान इंजन क्रमांक 956234
  - 30 नवंबर 2021 और 06 मई 2022 के दौरान इंजन क्रमांक 956951
  - इंजन क्रमांक 956117 और 956972 – अनुपयोगी इंजन को डिस–असेंबली और असेम्बली किया गया और कार्यक्षेत्र में वृद्धि, जो वर्तमान क्षमता से परे है, के कारण जीई को भेजा गया।

- ईएएसए ऑडिट अप्रैल 2022 में पूरा हुआ।

इंजन परीक्षण प्रकोश्ठ

- पिछले सभी बकाया चुकाने के बाद अब साफरान से दूरस्थ सहायता और कैलिब्रेशन सहायता को बहाल कर दिया गया है।
- इंजन प्रबंधन प्रणाली को बहाल कर दिया गया है और इसे सेवायोग्य बनाया गया है। ओईएम से सहयोग की कमी के कारण यह पिछले कुछ महीनों से गैर–सेवायुक्त था।

ख. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एमआरओ में की गई विमान जांच का अवलोकनः

- कुल "सी" जांच (बी777 विमान) की गई – 04
- कुल चरण जांच (बी777 विमान) की गई – 10
- कुल आइसोलेशन जांच (बी777 विमान) की गई – 02
- वर्ष 2021–22 में पूर्ण किए गए चेक (बी777 विमान) की कुल संख्या 16 थी और आरभं के बाद से कुल 135 चेक थे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरानः

- पूरे किए गए टैंक संशोधन की कुल सख्या थी – 03
- किए गए लैंडिंग गियर प्रतिस्थापनों की कुल संख्या थी – 01

ग. बैक शॉप सी ओ डी – बी777 एवं बी737 के लिए स्वीकृति :

- सी 6 – उपकरण : स्तर–3 तक स्लाईड राफ्ट असेबंली और स्तर–2 तक लाईफ जैकेट का अनुरक्षण।
- सी 15 – ऑक्सीजन : स्तर 3 तक पोर्टेबल ऑक्सीजन बोटल और स्तर–3 तक मुख्य ऑक्सीजन सिलेंडर का अनुरक्षण

  मानक कक्ष : वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, नागपुर एमआरओ को मानक प्रभाग की क्षमता मिली है, जिसमें अल्ट्रासोनिक परीक्षण, एडी करंट परीक्षण, रेडियोग्राफिक परीक्षण, फ्लोरोसेंट कण निरीक्षण और चुंबकीय कण निरीक्षण शामिल हैं।

  बैक शॉप्स : कंपोनेंट ओवरहाल डिवीजन (सीओडी)

  संरचनात्मक समूह : वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नागपुर एमआरओ को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए बोइंग {बी777–200एलआर / 300ईआर (जीई90), बी737–700 / 800 / 900(सीएफएम56), बी 787–8(जीईएनएक्स)} और साथ ही एयरबस {एयरबस ए319 / ए320 / ए321 (सीएफएम56–5बी), ए320 (वी2500 सीरीज)} के लिए स्तर–2 की क्षमता भी मिली है :

- समग्र सामग्री संरचना और घटकों की मरम्मत।
- एड्डी करंट निरीक्षण सहित विमान और उसके घटकों पर संरचनात्मक मरम्मत और आशोधन।
- फ्लोर पैनल, सीलिंग पैनल, साइडवॉल और डिकंप्रेशन पैनल – निर्माण और मरम्मत।
- वायुयान और उसके कलपुर्जों पर फास्टनर छिद्रों की कोल्ड वर्किंग।

- एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं, संक्षारण प्रतिरोधी स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातुओं और मिश्र धातु स्टील का ताप उपचार।
- धातुओं की वेल्डिंग – समूह I, V, VI और VII

सीओडी – सीएसएसई समूह : वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, नागपुर एमआरओ को बोइंग के लिए निम्नलिखित क्षमता भी मिली हैः

- विमान सीट कुशन कवर, विमान पर्दे, विमान ध्वनि प्रूफिंग, जिपर पैनल, कालीन और इन्सुलेशन कंबल की सिलाई
- ऑक्सीजन सिलेंडरों की चार्जिंग
- कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर का हाइड्रोस्टेटिक तनाव परीक्षण

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, नागपुर एमआरओ ने प्रमाणित किया हैः

- 13 स्लाइडर ड्राफ्ट
- 18 ऑक्सीजन बोटल

(प्रमाणन स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण शॉपों में काम पूरा करने में अचानक गिरावट आई है)

घ. भावी प्रचालन योजनाएं निम्नानुसार हैंः– :

भविष्य में प्रस्तावित शॉप इस प्रकार हैं :

- बैटरी शॉप
- एसेसरीस शॉप/इलैक्ट्रिकल शॉप
- एवियोनिक्स/आईएफई शॉप
- एविऑनिक्स शॉप
- एसेसरिज शॉप

आधार अनुरक्षण के लिए भविष्य की योजनाएंः

- ए–320 श्रृंखला के विमान की क्षमता वृद्धि करके पी4 जाँच से 12 वर्ष के लिए जाँच।
- एएमई स्कूल के छात्रों के लिए सीएआर–147 प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाने के लिए, इससे कंपनी को राजस्व प्राप्त होगा।

ङ. वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमआरओ, नागपुर के राजस्व और व्यय का चित्रीय प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	**2021–22**
राजस्व (रूपये)	117.94 करोड रूपये
व्यय (रूपये)	13.35 करोड रूपये

राजस्व और व्यय (राशि करोड़ रुपये में) – वित्तीय वर्ष 2021–22

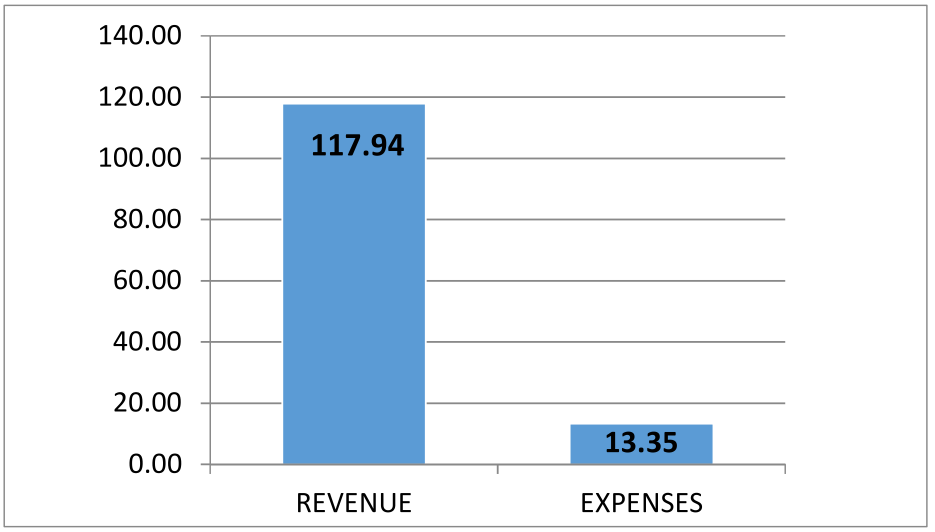

राजस्व सृजन का वर्गीकरण

वित्त वर्ष 2021–22 में नागपुर एमआरओ राजस्व

क्षेत्र	**ग्राहक**	**राजस्व सृजन (राशि करोड़ रुपये में)**
आधार अनुरक्षण (बीएमडी)	एआईएल	98.80
संरचना समूह	एआईएल	13.00
इंजन शॉप	एआईएल	5.24
अन्य तृतीय पक्ष और विविध	एएआर–इंडैमर / आईएएफ / एआईएएसएल / प्रशिक्षण / एमआईएससी इत्यादि	0.90
	कुल	**117.94**

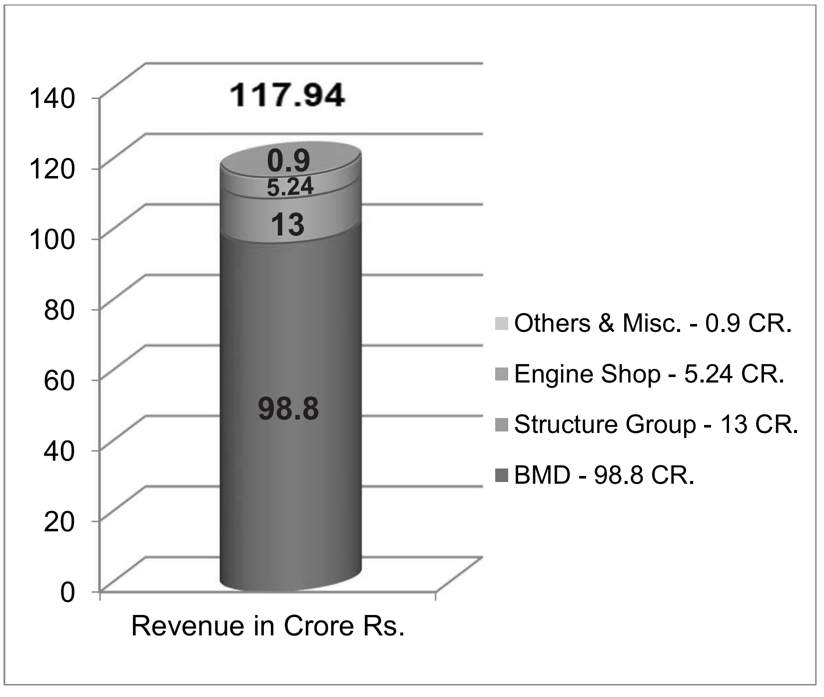

II. त्रिवेन्द्रम (टीआरवी) एमआरओ

त्रिवेन्द्रम एमआरओ सुविधा में बेस मेंटेनेंस और शॉप मेंटेनेंस शामिल हैं। लाइन अनुरक्षण स्टेशन भी त्रिवेन्द्रम एमआरओ के अधीन हैं। त्रिवेन्द्रम एमआरओ द्वारा कुल 21 लाइन स्टशेनों का प्रबंधन होता है।

एआईईएसएल त्रिवेन्द्रम एमआरओ सुविधा मुख्य रूप से एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा प्रचालित बी737 वर्षों के रखरखाव की जरूरतों के लिए समर्पित है, जिसमें कंपोनेंट ओवरहॉल और रिपेयर शॉप, ऑक्सीजन चार्जिंग, बैटरी ओवरहाल और एनडीटी शॉप शामिल हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, एमआरओ ने स्पाइसजेट द्वारा प्रचालित थर्ड पार्टी के विमानों और विभिन्न पट्टेदारों के स्वामित्व वाले विमानों के लिए व्यापक कार्य किया है। एमआरओ ने थर्ड पार्टी के विमान (स्पाइसजेट) और विस्तारा का प्रमुख रखरखाव किया है, जो एआईएक्सएल से राजस्व के अलावा राजस्व का एक बडा हिस्सा अर्जित करता है।

हालांकि, वर्ष 2020–21 के दौरान, एअरलाइन उद्योग में महामारी संबंधी मंदी के चलते, थर्ड पार्टी यानी विस्तारा और स्पाइसजेट से संबंधित केवल 8 विमानों का ही प्रचालन किया गया था।

वर्ष 2021–22 में, महामारी के बाद विमानन क्षेत्र में सुधार के कारण, जून 2019 से मार्च 2022 तक एआईईएसएल टीआरवी एमआरओ ने तीसरे पक्ष (स्पाइसजेट) से व्यवसाय पुनः प्राप्त कर लिया और स्पाइसजेट विमान पर प्रमुख अनुरक्षण जांच पूरी कर ली है। एमआरओ ने अपनी लागत में अतिरिक्त वृद्धि किए बिना पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है।

एमआरओ में बेस रखरखाव की सुविधा है जो किसी भी समय दो विमानों को ट्विन हैंगरों में प्रमुख जांच के लिए समायोजित करती है। एमआरओ अपने खुले एप्रन क्षेत्र में या नोज इन पोजिशन में अनुरक्षण के लिए दो अतिरिक्त विमान ले सकता है। एक विमान आम तौर पर या तो C1, C2 चेक सहित 12 वर्ष/10 वर्ष/6 वर्ष/8 वर्ष की जांच के दौरान लंबे समय की ग्राउंडिंग में है और दूसरा फेज जांच और मासिक जांच के लिए खड़ा है।

एमआरओ कई लाइन रखरखाव विमानों को भी पूरा करता है जिन्हें आधार रखरखाव सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे कि घटक परिवर्तन, दोष सुधार, इंजन और एपीयू परिवर्तन आदि।

क. प्रमुख उपलब्धियां:

त्रिवेन्द्रम ने वर्ष 2020 में अपने बेस मेंटेनेंस और शॉप मेंटेनेंस के लिए रेगुलेटर एफएए अप्रूवल प्राप्त किया।

इस मंजूरी के साथ, एमआरओ ने विमान रखरखाव उद्योग में विश्वसनीयता अर्जित की है। एमआरओ अब अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए एफएए प्रमाणन के तहत थर्ड पार्टी की नौकरियों की तलाश कर रहा है। एमआरओ प्रमुख आधार रखरखाव कार्य करने के लिए स्पाइसजेट के साथ चर्चा कर रहा है।

ख. एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित विमानों के लिए सांख्यिकी (वर्ष 2021–22) निम्नानुसार थी:

- बेड़े में विमान का प्रकार : बी 737–800 (सीएफएम 56–7बी)
- विमानों की संख्या : 24 विमान

- विमान का औसत उपयोग : 9.50 घंटे/दिन
- उडान/सप्ताह की संख्या : 422
- स्टेशन की संख्या (अंतरराष्ट्रीय) : 15
- स्टेशन की संख्या (अंतरदेशीय) : 21
- प्रेषण विश्वसनीयता : 98.69

नोटः कोविड के कारण खाड़ी क्षेत्र में प्रचालन पर प्रतिबंध हेतु, विमान का औसत उपयोग और प्रति सप्ताह प्रचालित उडानों की संख्या कम कर दी गई थी।

ग. आधार रखरखाव (उत्पादन) सांख्यिकीः (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक)

- फेज जांच : 105
- मासिक चेक : 95
- वार्षिक चेक : 10
- एआईएक्स विमान पर सी जांच : 13
- स्पाइस जेट 6–वार्षिक **+** सी1, सी2 जांच – 2 विमान और विस्तारा (एक विमान)

घ. कंपोनेंट ओवरहॉल उत्पादन : (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक)

बेस रखरखाव के अलावा, एमआरओ सीओडी की शॉप पहियों और ब्रेक ओवरहाल, बैटरी ओवीएचएल, ऑक्सीजन चार्जिंग आदि का काम करती है, जिससे राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पैदा होता है।

- व्हील (मेन और नोज) – मात्रा 873 (ओवरहॉल एवं टायर बदलना)
- ब्रेक – मात्रा 106 (ओवरहॉल एवं स्टैक बदलना)
- ऑक्सीजन – मात्रा 135 (चार्जिग)
- बैटरियां – मात्रा 93 (ओवरहॉल एवं चार्जिंग)

ड. वर्ष 2021–22 के लिए आय निम्नानुसार थाः

सुविधाओं ने अप्रैल 2021 – मार्च 2022 के दौरान **25.35 करोड़ रुपए** की बीएमडी और सीओडी शॉप के लिए संयुक्त राजस्व अर्जित किया है।

तिरूवनंतपुरम एमआरओ प्रशासन के तहत बी737 रखरखाव से कुल राजस्व, जिसमें लाइन रखरखाव, मुंबई की शॉप और थर्ड पार्टी की नौकरियां शामिल हैं, पिछले वर्ष के राजस्व 139.49 करोड़ रुपए के मुकाबले **62.43 करोड़ रुपए** का राजस्व दर्ज किया गया है, जिसमें पट्टेदारों के स्वामित्व वाले विमानों के लिए किया गया कार्य शामिल है। तिरूवनंतपुरम एमआरओ (बेस और शॉप) के लिए खर्च 23.25 करोड़ रूपये है।

एमआरओ और उसके नेटवर्क स्टेशनों में, एमआरओ राजस्व में पर्याप्त कमी के कारण कोविड से संबंधित मंदी बताया गया है। फिर भी, एमआरओ ने तिरूवनंतपुरम में स्पाइसजेट बेस मेंटेनेंस चेक से लगभग 4.70 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। वर्ष के दौरान कुल राजस्व में 39,89,692 रुपए का एमटीओ राजस्व शामिल है।

तीसरे पक्ष के विमान हेतु राजस्व – एआईएक्सएल राजस्व के अलावा 02 स्पाइसजेट और एक विस्तारा विमान के लिए 2.60 करोड़ रूपये का राजस्व था।

हालांकि, अप्रैल 2022 से आज तक, एमआरओ ने 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व के साथ 06 स्पाइसजेट विमानों को अनुरक्षण सेवा प्रदान की है।

च. 2018–19, 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान एआईएक्सएल का तुलनात्मक बिलिंग सारांश निम्नानुसार थाः

वित्तीय वर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
कुल राजस्व	90,23,26,688 रूपये	136,49,36,735 रूपये	62,43,44,389 रूपये	90,36,88,740 रूपये

छ. वर्ष 2021–22 के दौरान टीआरवी एमआरओ की उपलब्धियांः

- टीआरवी एमआरओ को सभी 03 प्रकार के विमानों और इसके इंजन अर्थात ए319/320/321 वी2500/सीएफएम56–7बी/लीप–1बी इंजन को कवर करने के लिए ए320 परिवार के विमान पर डीजीसीए की स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं, जो 12 वर्ष तक की जांच को कवर करते हैं।
- एमआरओ ने एअर इंडिया के दो विमानों की बड़ी जांच सफलतापूर्वक की है।
- एमआरओ को डीजीसीए और एफएए से बी737 –700/800/900 बीडीएफ और बीडीएसएफ अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है।
- एमआरओ ने तत्पश्चात, स्पाइसजेट से संबंधित कई मालवाहक विमानों पर प्रमुख अनुरक्षण कार्य किया है और एआईईएसएल के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व अर्जित किया है।
- एमआरओ ने बी737–700/800/900/900ईआर विमान पर 20 वर्षों तक प्रमुख रखरखाव जांच करने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है।
- टीएटी के भीतर प्रमुख जांच करने और सर्वोत्तम रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहकों–स्पाइसजेट और विस्तारा को विश्वास प्राप्त किया। वर्ष 2021–22 के लिए लगभग 2.6 करोड़ रूपये अर्जित किए और अप्रैल 2022 से 6 और विमानों का निष्पादन करके 5 करोड़ रूपये अर्जित किए हैं।

ज. भविष्य के प्रचालन की योजना के रूप में एमआरओ निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढाना चाहता हैः

- एफएए अनुमोदन के तहत ए320 विमान को शामिल करना।
- बी737 और ए320 विमान को शामिल करने के लिए एमआरओ हेतु ईएएसए का अनुमोदन।
- डीजीसीए/एफएए/ईएएसए अनुमोदन के तहत पारिवारिक संरचनात्मक समूह बी737, ए320 के लिए समग्र सामग्री/संरचनात्मक मरम्मत– सी 20 अनुमोदन
- विमान का वजनीकरण
- फायरेक्स वजनीकरण
- केबिन मरम्मत और नवीनीकरण/अपहोलेस्ट्री शॉप व हीट एक्सचेंजर सफाई और परीक्षण

झ. भविष्य में प्रस्तावित शॉपः

- वैमानिकी सहायक उपकरण मरम्मत की शॉप

- गैली इंसर्ट (ओवन, कॉफी, मेकर, बॉयलर आदि) मरम्मत की शॉप
- केबिन सुरक्षा और उत्तरजीविता उपकरण
- एमआरओ के पास एनेक्स बिल्डिंग सहित (बाहरी निवेश के साथ) एक एनबी पेंटिंग हैंगर बनाने की भविष्य की योजना है जो एटीईसी शॉप और कंपोनेंट ओवरहाल शॉप को लगभग 2.79 एकड के खाली प्लॉट में समायोजित कर सकती है।

III. जेईओसी (जेट इंजन ओवरऑल काम्पलैक्स)

जेईओसी, दिल्ली एआईईएसएल का एक अभिन्न अंग है, जो इसके राजस्व के प्रमुख भाग में योगदान देता है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान जेईओसी, दिल्ली का निष्पादन इस प्रकार है :

- कुल उत्पादित इंजनों की संख्या 17 (एअर इंडिया के लिए 12, भारतीय वायु सेना के लिए 01 और एअर एशिया के 04) थी।
- वर्ष के दौरान, एआई के कैप्टिव वर्कलोड के अलावा, बाहरी पक्षों से अर्जित राजस्व, भारतीय 4.42 करोड़ के बराबर था (किराया, अतिरिक्त बिक्री और श्रमिक घंटे सहित)।
- जेईओसी में उत्पादित सीएफएम 56–5बी इंजनों पर एआईएल राजस्व का अलग से अनुमान नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसे एआईईएसएल के लिए ब्लॉक घंटे राजस्व का हिस्सा माना जाता है।
- कोविड–19 की दूसरी लहर के परिणामस्वरूप, जेईओसी ने प्रतिबद्धताओं के अनुसार मैसर्स एअर इंडिया के सीएफएम 56–5बी इंजनों का तत्काल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं। सीएफएम एलईएपी इंजनों पर वर्तमान क्षमताओं के अनुसार और बोरस्कोप निरीक्षण और अन्य विशेष कार्यों सहित इंडिगो, स्पाइस जेट आदि विभिन्न प्रचालकों के लिए अतिरिक्त कार्यभार को पूरा किया गया है।
- हमारी मौजूदा क्षमताओं के साथ लगातार बाहरी पक्षों के साथ संपर्क बाहरी पक्षों के कार्यों को बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
- जेईओसी, तकनीकी जानकारी, टूलिंग और अवसंरचनात्मक की आवश्यकता के लिए एसएएफआरएएन के साथ संपर्क और निरंतर चर्चा के माध्यम से सी एफ एम लीप इंजन पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। प्रबंधन की समीक्षा के लिए जेईओसी टीम द्वारा सीएफएम लीप इंजन पर वित्तीय व्यवहार्यता के साथ आने के लिए एक व्यावसायिक योजना भी बनाई गई है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि यह प्रयास मेक इन इंडिया – आत्म निर्भर भारत की सरकार की पहल का भाग भी होगा।
- जेईओसी में ईएएसए का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं और यह कार्य अंतिम चरण में हैं। ईएएसए प्रमाणन पर, यह आशा की जाती है कि जेईओसी राजस्व में तेजी से वृद्धि होगी।
- वर्ष 2021–22 में जेईओसी द्वारा वसूले गए वारंटी दावे इस प्रकार हैं:

लीप 1ए	–	यूएसडी 0.31 मिलियन
सीएफएम 56–5बी	–	यूएसडी 3.85 मिलियन
कुल	–	**यूएसडी 4.16 मिलियन (लगभग)**

IV. मुंबई बेस (पश्चिमी क्षेत्र) : इस अवधि के दौरान पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर) का निष्पादन निम्नलिखित था :

❖ **ग्रुप – क**

वर्ष 2021–22 (बेड़ा–क) के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

क. आधार अनुरक्षण पर प्रमुख जाँच गतिविधि :

➢ मूल अनुरक्षण–बीओएम में, वर्ष 2021–22 के दौरान ए–321 विमान पर किए गए चेक की संख्या इस प्रकार हैः

- ए–चेक – 50
- पी–चेक – 104
- सी–चेक – 11
- 20 महीने का चेक – 01

➢ मुंबई–एनईसी बेस पर बाहरी पार्टियों के लिए विमानों हेतु इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाए प्रदान करने के माध्यम से, वित्त विभाग एआईईएसएल, डब्ल्यूआर द्वारा प्रस्तुत इन्वाइसों अनुसार, हमने वर्ष 2021–22 के दौरान 1254.21 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

ख. लाइन रखरखाव :

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एयरबस उड़ानों का प्रमाणनः

- प्री–फ्लाइट चेक – 14,266
- नाइट हॉल्ट चेक – 2,978
- ले–ओवर निरीक्षण – 916
- साप्ताहिक निरीक्षण – 723
- 400एफएच निरीक्षण – 59

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एटीआर उड़ानों का प्रमाणनः

- ट्रांजिट चेक – 3633
- नाइट हॉल्ट – 175
- ले ओवर निरीक्षण – 120
- साप्ताहिक निरीक्षण – 59

➢ ग्राहक एयरलाइनों को प्रदान किया गया तकनीकी प्रमाणनः

पश्चिमी क्षेत्र ग्रेड–ए के विभिन्न स्टेशनों मैसर्स टाटा सीआईए विस्तारा, मैसर्स एअर एशिया लिमिटेड, मेसर्स कतर एयरवेज, मैसर्स कुवैत एयरवेज, मैसर्स सिंगापुर एयरलाइंस, मेसर्स ओमान एयर, मैसर्स स्टार एयरलाइन, मैसर्स इंडोनेशियाई एयरलाइन, मैसर्स श्रीलंकाई एयरलाइंस, मैसर्स स्पाइस जेट और मैसर्स रॉयल नेपाल एयरलाइन, ग्राहक एयरलाइंनों के विमान (ए320 परिवार विमान) का इंजीनियरिंग प्रमाणन का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्रं. सं	स्टेशन	पक्षा का नाम	अप्रैल–21	मई–21	जून–21	जुलाई –21	अगस्त –21	सितंबर–21	अक्तूबर –21	नवंबर –21	दिसंबर –21	जनवरी –22	फरवरी –22	मार्च –22	कुल
1	मुंबई	श्रीलंकाई एयरलाइंस	23	17	19	14	13		25	35	40	34	32	40	**292**
		कुवैत				1					4	4	4		**13**
		रॉयल नेपाल एयरलाइंस												2	**2**
		थाई मुस्कान	33	38	14	10	13	1	8	6	12	9	4	17	**165**
		एअर एशिया (इंडिया) लिमिटेड			22	13								7	**42**
		गरुड़ इन्डोनेशियन			1	1		1							**3**
		ओमान एयर					8	1	3	1	1	1			**15**
		एअर एशिया (मलेशिया)						2	18	6	11	5	2		**44**
		स्टार एयर					17	1							**18**
2	अहमदाबाद	कतर एयरवेज	9	17	12	13	21	21	19	21	22	25	23	26	**229**
		विस्तारा	119												**119**
		कुवैत						3	5	4	13	11	8	10	**54**
		सिंगापुर एयरलाइन								1	4	4	4	8	**21**
3	गोवा	विस्तारा एयरबस		32	36	45	87	110	138	95	157	92	88	143	**1023**
		एअर एशिया							1						**1**
4	इंदौर	विस्तारा		14	16	31	47	60	61	59	62	43	50	62	**505**
		विस्तारा बोइंग					1								**1**
		स्टार एयर					1								**1**
5	बड़ौदा	स्पाइस जेट		1											**1**
6	सूरत	एअर इंडिया एक्सप्रेस लि.										9	8	9	**26**
7	जामनगर	वीवीआईपी												1	**1**
		कुल	**184**	**119**	**120**	**128**	**208**	**200**	**278**	**228**	**326**	**237**	**223**	**325**	**2576**

➢ पश्चिम क्षेत्र में तीसरे पक्ष के प्रमाणन से अर्जित राजस्वः वर्ष 2021–22 के दौरान उड़ानों के प्रमाणन के लिए ग्राहक एयरलाइनों से तीसरे पक्ष का राजस्व 254.44 लाख रूपये (जीएसटी को छोड़कर) था।

ग. एमटीओ इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, एनईसी–मुंबईः हमने एनईसी, मुंबई में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान लगभग 726.21 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

घ. एआईएएचएल और डीआरडीओ से राजस्वः इस अवधि के दौरान, हमने 148.55 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

ड. ओवरहाल शॉप का उत्पादनः वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एआईईएसएल, मुंबई–एनईसी की ओवरहाल शॉप में सर्विस किए गए कंपोनेंट्स की संख्या इस प्रकार हैः

- एएफ एसी ओएच शॉप – 733
- ईएम शॉप – 48
- इलेक्ट्रिकल ओएच शॉप – 492
- इंस्ट्रूमेंट ओएच शॉप – 1168
- रेडियो ओएच शॉप – 808

च. एआईएल से अर्जित राजस्वः वर्ष 2021–22 के दौरान विमान के प्रमाणन और प्रमुख रखरखाव के लिए एआईएल से प्राप्त राजस्व एआईईएसएल, डब्ल्यूआर ग्रेड–ए द्वारा बिलिंग के अनुसार 11,804.40 लाख रूपये (जीएसटी को छोड़कर) है।

छ. एएएल से अर्जित राजस्वः वर्ष 2021–22 के दौरान एटीआर उड़ानों के प्रमाणन के लिए एएएल से प्राप्त राजस्व एआईईएसएल, डब्ल्यूआर ग्रेड–ए द्वारा बिलिंग के अनुसार 383.75 लाख रूपये (जीएसटी को छोड़कर)।

ज. वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एआईईएसएल, मुंबई–एनईसी की कुल आय इस प्रकार हैः

आय	राशि (रूपये में)
एआईएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	11,804.40 लाख
एएएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	383.75 लाख
उड़ानों के प्रमाणन के लिए ग्राहक एयरलाइनों से तृतीय पक्ष राजस्व	254.44 लाख
इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल से राजस्व	726.01 लाख
एआईएएचएल – डीआरडीओ से राजस्व	148.55 लाख
बहरी पक्षों के विमानों को इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं प्रदान करके प्राप्त आय	1254.21 लाख
कुल आय	14,571.36 लाख

झ. पश्चिम क्षेत्र, समूह–ए की एमआरओ क्षमताएंः

लाइन अनुरक्षणः विमान प्रमाणन के लिए बेस सहित 20 स्टेशनों की हैंडलिंग

प्रमुख अनुरक्षणः

बेस पर विमान : – ए330, ए321

- बेस अनुरक्षण
  - एनडीटी निरीक्षण/एक्स–रे
  - संरचना मरम्मत शॉप
  - कम्पोजिट मरम्मत शॉप
  - मशीन शॉप
  - पेंटिंग/टेलरिंग
- एयरफ्रेम सहायक उपकरण ओवरहाल शॉप
- वैमानिकी शॉप
  - इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, रेडियो और ओवरहाल की दुकानें।
- गुणवत्ता आश्वासन और तकनीकी सेवाएं
  - ए321 और 330 विमानों का क्यूए और टीएस
  - तेल और ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला
  - लाइसेंसिंग, प्राधिकरण, ऑडिट, तकनीकी पुस्तकालय
- इंजीनियरिंग सुविधाएं
  - ट्रेस्टल्स आदि के सभी फैब्रिकेशन का रखरखाव और अनुरक्षण।
  - बिजली, कंप्रेस्ड वायु, सेंट्रल एयरकंडीशनिंग जैसी उपयोगिताओं का अनुरक्षण

- एमटीओ प्रशिक्षण केंद्र – एएमई और सेवा इंजीनियरों हेतु
  - इंजीनियरिंग प्रशिक्षण स्कूल (डीजीसीए स्वीकृत)
- उत्पादन योजना और नियंत्रणः
  - विमान के कलपुर्जों के लिए प्रावधान
  - प्रमुख जांचों के लिए रूट प्लानिंग
  - बजट और नियंत्रण
  - बाहरी पक्षों के लिए बिलिंग
  - प्रगति नियंत्रण और कार्य आदेश प्रकोष्ठ
  - अनुरक्षण और सामग्री योजना
  - बीमा/वारंटी दावा प्रबंधन
- औद्योगिक इंजीनियरिंगः
  - इंजीनियरिंग निष्पादन निगरानी
  - उत्पादकता विश्लेषण
  - अनुरक्षण कार्यकलापों के लिए मानव–घंटों के मानदण्डों का निर्धारण
  - जॉब कॉस्टिंग/इंजीनियरिंग कार्मिक नियोजन
  - उत्पादकता सुधार के उपाय जैसे, ओटी विश्लेषण/शिफ्ट सिस्टम आदि।
  - जनशक्ति अनुबंध निगरानी
  - विशेष अध्ययन
  - राजस्व और लाभप्रदता के साथ एआईएल बिलिंग, एएएएल बिलिंग
- सीएएमओ (एयरलाइन कार्य)
  - एमआई अनुभाग – तकनीकी पुस्तकालय – प्रशासन – एआरसी सेल
  - स्नैग शीट – लॉग बुक – विलंब सेल

समूह – ख

क. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान समूह–ख द्वारा पूरे किए गए चेकों का अवलोकन नीचे दिया गया हैः मुंबई में किए गए चेकों का विवरण

- किए गए कुल 'डी' चेक – 0
- किए गए कुल 'सी' चेक – 7
- किए गए कुल 'फेज' चेक – 27
- किए गए कुल 'ए' चेक – 35
- किए गए कुल 'ट्रांजिट' चेक – 1,238

दिल्ली में किए गए चेकों का विवरण

- किए गए कुल 'ए' चेक – 132
- किए गए कुल 'ट्रांजिट' चेक – 5,570

ख. इंजन ओवरहाल (मुंबई) में मरम्मत/ओवरहाल किए गए इंजनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैः

माह/वर्ष	पीडब्ल्यू 4056	सीएफएम 56–7बी	जीई 90	जनेक्स	कुल
अप्रैल–21 से मार्च–22	-	6	3	15	24

ग. तीसरे पक्ष से आय 588 लाख रूपये थी। इस अवधि के दौरान किए गए थर्ड पार्टी कार्य मुख्य रूप से निम्नानुसार थेः

- इतिहाद और कैथे पेसेफिक के लिए एओजी रिकवरी।
- ए320 विमान के लिए एल/जी ओवरहाल सुविधा प्रयोग की गई
- स्पाइसजेट के बी737 विमानों की बड़ी जांच।
- विस्तारा के बी737 विमानों की बड़ी जांच।
- वीवीआईपी प्रचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले दो बी777 विमानों का अनुरक्षण।

घ. विभिन्न शॉप में क्षमता वृध्दि को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है :

कंम्पोनेंट ओवरहॉल शॅप (सीओडी, ओल्ड एअरपोर्ट)

- बी777, बी787 और बी737 के 24 कम्पोनेंट

एक्सेसरी ओवरहाल डिवीजन

- ऑयल कूलर और रिलीफ बाईपास वाल्व असेंबली
- ईंधन फिल्टर क्लॉगिंग संकेतक
- फ्लो डिवाइडर
- ईंधन डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर

उपकरण ओवरहाल प्रभाग (सीओडी, ओल्ड एअरपोर्ट)

- बी777/बी787 के लिए घड़ी/माईक
- कंट्रोल डिसप्ले यूनिट और कंट्रोल पैनल असेंबली बी777/बी787
- ऑक्सीजन बॉक्स असेंबली और ऑक्सीजन पैनल असेंबली बी777/बी787
- ऑक्सीजन दबाव रेगुलेटर बी777/बी787
- ऑक्सीजन वाल्व असेंबली बी777/बी787
- बी777, बी787 और बी 737 के 13 कम्पोनेंट

V. दिल्ली बेस (उत्तरी क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं:

- एनबी विमान के कुल 2932 थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दिल्ली और इसके बाहरी इलाकों में किए गए।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एआईईएसएल, उत्तरी क्षेत्र ने 1,189.35 करोड़ रूपये का कुल राजस्व अर्जित किया।

  (राजस्व वितरण का ब्यौरा) :

  - एआईएल बेड़े के प्रति : 420.18 करोड़
  - एएएएल बेड़े के प्रति : 8.66 करोड़,
  - एआईएक्सएल बेड़े के प्रति : 3.98 करोड रूपये
  - एसईएसएफ के प्रति : 636.40 करोड़
  - भारतीय वायुसेना के प्रति : 105.46 करोड़, और
  - तीसरे पक्ष : 14.67 करोड़

- **बेस अनुरक्षण पर प्रमुख जाँच गतिविधिः**

  बेस अनुरक्षण, एनआर में, वर्ष 2021–22 के दौरान एअर इंडिया के एयरबस बेड़े पर की गई जांचों की संख्या इस प्रकार हैः

  - 1ए–चेक – 44
  - 2ए–चेक – 35
  - 3ए–चेक – 38
  - 4ए चेक – 37
  - पैकेज (पी1–पी25) – 92
  - इंजन परिवर्तन गतिविधि – 42
  - 6 वार्षिक चेक – 6
  - 12 वार्षिक चेक – 2

VI. हैदराबाद बेस (दक्षिणी क्षेत्र): वर्ष 2021–22 (बेड़ा–ए) के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैंः

हैदराबाद में एआईईएसएल एमआरओ अपने अत्याधुनिक और एआईईएसएल नेटवर्क में सबसे नवीनतम एमआरओ के साथ विमान अनुरक्षण सेवा में सबसे अग्रणी है। हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अगत्ती को प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग सेवाओं और इन राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उत्तरदायी है। हम विनियामक और सुरक्षा अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए ग्राहकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं।

<u>हैदराबाद हैंगर की क्षमता</u>

ए320 (आईएई वी2500)

''8सी'' जांच तक और 12 वर्ष की जाँच, 20 वर्ष के कार्य, ओओपी कार्यों सहित।

ए319/ए320/ए321 (सीएफएम 56)

''ए'' जांच और उसके कई और कार्य पैकेज 12 वर्ष तक जांच, आशोधन, संरचनात्मक मरम्मत और निरीक्षण के साथ ओओपी कार्यों सहित 20 वर्ष के निरीक्षण कार्य।

ए320 (सीएफएम लीप 1ए)

''ए'' चेक और इसके गुणक और आशोधन, संरचनात्मक मरम्मत और निरीक्षण के साथ ओओपी कार्यों सहित 144 महीने/45000 एफएच/36000 एफसी निरीक्षण तक

एटीआर 72–212ए (पीडब्ल्यूसी पीडब्ल्यू120)

''4सी'' तक के सभी एमपीडी कार्य, 70,000 उड़ान लैंडिंग, 46,000 उड़ान घंटे, आशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण, मरम्मत और ओओपी कार्यों सहित 15 वर्षों की जाँच कार्य।

- ए320 इंजन परिवर्तन, इंजनों का बोरस्कोप निरीक्षण, रैम एअर टर्बाइन टेस्ट, चुंबकीय कण और फ्लोरोसेंट कण निरीक्षण जैसी विशेष सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान उपलब्धियां

1) **क्लाइंट एयरलाइंस को तकनीकी प्रमाणन:** दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर, हमने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 1450 से अधिक तृतीय पक्ष ग्राहक उड़ानों (एआईएल/एएएल को छोड़कर) के लिए इंजीनियरिंग प्रमाणन प्रदान किया है, जिससे पिछले वर्ष में 111.59 लाख की तुलना में लगभग **190.35 लाख रुपये** का राजस्व प्राप्त हुआ है।

2) **क्लाइंट एयरलाइंस को तकनीकी हैंडलिंग/हेडसेट सेवा:** तकनीकी हैंडलिंग/हेडसेट सहायक सेवा से 1000 से अधिक तृतीय पक्ष क्लाइंट उड़ानों से अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान अर्जित राजस्व लगभग **95 लाख रूपये** है।

3) **एआईएल से राजस्व (प्रमुख रखरखाव/ एलएम / घटक सर्विसिंग):**

- एमआरओ, आरजीआईए, शमशाबाद में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि में एआईएल (एअर इंडिया लिमिटेड) के ए–320 फैमिली विमानों पर 62 पैकेजों के साथ ''7'' ए–चेक और अन्य संरचनात्मक मरम्मत कार्य किए गए हैं।
- ए320 फैमिली विमान, एआईएल के प्रमुख चेक/एलएम हैंडलिंग/कंपोनेंट सर्विसिंग के माध्यम से, हमने पिछले वर्ष के 6375.45 लाख की तुलना में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, **9177.64 लाख रुपये** का राजस्व अर्जित किया है।

4) **एएएल से राजस्व (कंपोनेंट सर्विसिंग/एलएम/मेजर मेंटेनेंस):**

- हमनें एटीआर –72 विमान पर ''30'' प्रमुख जांच, ''05'' वजन और अन्य संरचनात्मक मरम्मत कार्य किए हैं।
- एएएल (एलायंस एयर) से दक्षिणी क्षेत्र में एटीआर विमान की कंपोनेंट सर्विसिंग/प्रमुख जांच/एलएम हैंडलिंग के माध्यम से, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान हमने **2157.07 लाख रुपये** का राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 1778.52 लाख था।
- हैदराबाद में एएएल के विमानों के लिए इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं प्रदान करने के माध्यम से हमने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में **406.32 लाख रुपये** का राजस्व अर्जित किया है।

5) **एएमई प्रशिक्षुओं/इनप्लांट प्रशिक्षुओं/सीएआर 147बी/परियोजना कार्य से राजस्व:** अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान, एएमई प्रशिक्षुओं/ऑन जॉब प्रशिक्षुओं (6 महीने और 1 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग आदि)/सीएआर 147 बेसिक एमटीओ छात्रों के इनटेक से, हमने पिछले वर्ष के 61.20 लाख की तुलना में 175.32 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

6) अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान चेन्नई में बाहरी पक्षों के विमानों के लिए एआईईएसएल हैंगर सुविधाएं प्रदान करके, हमने पिछले वर्ष के 205.98 लाख की तुलना में **259.69 लाख रुपये** का राजस्व अर्जित किया है।

7) अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान हैदराबाद में बाहरी पक्षों की एयरक्राफ्ट कंपोनेंट सर्विसिंग के माध्यम से लगभग **18.37 लाख रूपये** का राजस्व अर्जित किया है जो पिछले वर्ष में 15.76 लाख था।

VII. कोलकाता बेस (पूर्वी क्षेत्र)

वर्ष 2021–22 (बेड़ा–ए) के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. लाइन अनुरक्षणः

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एयरबस उड़ानों (एआई) का प्रमाणनः

- सीसीयू में प्रीफ्लाइट – 4270
- ले–ओवर निरीक्षण – 434
- साप्ताहिक निरीक्षण – 190
- 400एफएच निरीक्षण – 16
- नाइट हॉल्ट पीएफ – 884
- बाहरी स्टेशनों पर पीएफ – 9040

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एटीआर उड़ानों का प्रमाणनः

- ट्रांजिट जांच – 5948
- नाइट हॉल्ट – 436
- ले–ओवर निरीक्षण – 313
- साप्ताहिक निरीक्षण – 163
- 400एफएच निरीक्षण – 03
- ए1 से ए9 जांच – 43

➢ क्लाइंट एयरलाइंस को प्रदान किया गया तकनीकी प्रमाणनः

मैसर्स एअर विस्तारा, मेसर्स एअर एशिया, मेसर्स कतर, मेसर्स बिमान बांग्लादेश, मेसर्स सिंगापुर एयरलाइंस और मेसर्स सिल्क एअर के क्लाइंट एयरलाइंस विमान (ए320 परिवार विमान) का इंजीनियरिंग पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न स्टेशनों और सीसीयू में प्रमाणन निम्नानुसार प्रदान किया गया है।

वर्ष 2021–2022 के दौरान किए गए तृतीय–पक्ष प्रमाणन की संख्या (एयरबस समूह)

क्र.सं	सत्र	एयरलाइंस	अप्रैल–21	मई–21	जून–21	जुलाई –21	अगस्त –21	सितंबर–21	अक्तूबर –21	नवंबर –21	दिसंबर –21	जनवरी –22	फरवरी –22	मार्च –22	कुल
1	भुवनेश्वर	विस्तारा	48	31	30	53	80	78	100	91	93	92	72	93	861
2	रांची	विस्तारा	57	31	30	31	61	60	62	61	62	33	50	62	600
3	गुवाहाटी	विस्तारा	68	22	31	35	52	78	77	79	79	65	61	88	735
4	बागडोगरा	विस्तारा	74	62	60	72	80	84	93	89	93	49	47	84	887
5	डिब्रुगढ़	विस्तारा	31	31	30	31	31	30	31	30	41	44	28	35	393
6	पोर्ट ब्लेयर	विस्तारा	21	11	9	-	-	13	18	21	26	22	11	18	170
		एअर एशिया	-	5	4	4	-	4	5	4	-	4	4	4	38
7	अगरतला	विस्तारा	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0
8	पटना	विस्तारा	30	31	30	31	31	30	38	51	32	27	28	32	391
9	काठमांडू	विस्तारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
	कुल		**329**	**224**	**224**	**257**	**335**	**377**	**424**	**426**	**426**	**336**	**301**	**431**	**4090**

वर्ष 2021–2022 के दौरान किए गए तृतीय–पक्ष प्रमाणन की संख्या (विदेशी एयरलाइंस)															
क्र.सं	स्टेशन	एयरलाइंस	अप्रैल–21	मई–21	जून–21	जुलाई –21	अगस्त –21	सितंबर–21	अक्तूबर –21	नवंबर –21	दिसंबर –21	जनवरी –22	फरवरी –22	मार्च –22	कुल
1	सीसीयू	कतर	4	7	8	7	11	9	10	7	13	15	8	15	114
		कतर (320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	14
2	सीसीयू	बिमान बांग्लादेश	-	-	-	-	-	-	11	8	26	15	-	19	79
3	सीसीयू	सिंगापुर एयरलाइंस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	32	60
कुल			**4**	**7**	**8**	**7**	**11**	**9**	**21**	**15**	**39**	**30**	**44**	**72**	**267**

➢ एआईईएसएल, ईआर, के वित्तीय विभाग द्वारा प्रस्तुत इन्वाइसों के अनुसार तीसरा पक्ष प्रमाणन से अर्जित राजस्व : 2021–22 के दौरान उड़ानों के प्रमाणन के लिए क्लाइंट एअरलाइंस से थर्ड पार्टी का राजस्व रु. 487.27 लाख (जीएसटी को छोडकर) है।

ख. बेस अनुरक्षण पर प्रमुख जांच गतिविधि :

➢ बेस मेंटेनेंस, सीसीयू में, 2021–22 के दौरान ए–319 विमानों पर किए गए चेकों की संख्या इस प्रकार है :

- ए–चेक – 40
- 2ए–चेक – 10
- 4ए–चेक – 07
- पैकेज (पी1 –पी31) – 53
- पी25–12 वर्ष चेक – 04
- एआरसी – 09

➢ कोलकाता मे बाहरी पक्षों के विमानों के लिए इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं देकर, हमने वित्त एआईईएसएल, ईआर द्वारा उठाए गए चालानों के अनुसार 2021–22 के दौरान 20.80 लाख रुपए (जीएसटी को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

➢ वर्ष 2021–22 के दौरान विविध कार्यों जैसे उपकरण का ऋण, नियत प्रभार आदि के माध्यम से 3.66 लाख रुपए का राजस्व (जीएसटी को छोड़कर)।

ग. इंजीनियरिंग प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता : ईटीएस, कोलकाता में बाहरी एजेंसियों को प्रशिक्षण सुविधाएं देकर हमने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान रु. 78.78 लाख (जीएसटी को छोड़कर) का लगभग राजस्व अर्जित किया है।

घ. भारतीय वायु सेना से राजस्व : इस अवधि के दौरान, हमने एपीयू सर्विसिंग और आईएएफ के घटकों से 56.82 लाख रुपए (जीएसटी को छोड़कर) का राजस्व अर्जित किया है।

ड. ओवरहाल की शॉप का उत्पादन : ओवरहाल शॉप, एआईईएसएल, ईआर पर सेवित घटकों की संख्या इस प्रकार है:

- एएफ एसी ओएच शॉप (सर्विसिंग लाइफ जैकेट सहित) – 1240
- एपीयू और इंजन ओएच शॉप – 30

- ○ इलेक्ट्रिकल ओएच शॉप – 208
- ○ उपकरण ओएच शॉप (वस्तुओं के अंशांकन सहित) – 1780
- ○ रेडियो ओएच शॉप – 429

च. एआईएल से अर्जित राजस्व : आईई बोम्बे, एआईईएसएल द्वारा प्रस्तुत जेबीए के अनुसार, 2021–22 के दौरान एआईएल से विमान के प्रमाणन और प्रमुख अनुरक्षण के लिए 10424 लाख रुपए (जीएसटी छोड़कर) का राजस्व प्राप्त हुआ।

छ. एएएल से अर्जित राजस्व : एआईईएसएल, पूर्वी क्षेत्र द्वारा बिलिंग के अनुसार 2020–21 के दौरान एटीआर उड़ानों के प्रमाणीकरण के लिए एएएल से राजस्व 1246.21 लाख (जीएसटी को छोड़कर) है।

ज. वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एआईईएसएल, कोलकाता की कुल आय इस प्रकार थी:

आय	राशि (रूपये)
एआईएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	10424 लाख
एएएल विमान के रखरखाव से अर्जित राजस्व	1246.21 लाख
उड़ानों के प्रमाणन के लिए ग्राहक एअरलाइनों से तृतीय पक्ष राजस्व	487.27 लाख
इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल, कोलकाता से राजस्व	78.78 लाख
आईएएफ से राजस्व	56.82 लाख
बाहरी पार्टी विमान को इंजीनियरिंग हैंगर सुविधाएं देने के माध्यम से आय	20.80 लाख
विविध कार्य करने से आय	3.66 लाख
कुल आय	**12317.54 लाख**

झ. प्रमुख उपलब्धियां:

व्यापक स्तर पर तैयारियों और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद, निम्नलिखित 13 श्रेणियों में कोलकाता बेस की क्षमता बढ़ाने के लिए डीजीसीए को दिसंबर–2021 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था:

1. लाइन स्वीकृतिः एयरबस ए320 (सीएफएम लीप 1ए) के लिए 400 घंटे तक की जांच।
2. 45000 एफएच / 36000 एफसी / 12 साल तक के एमपीडी टास्क और गुणक जिसमें फेज टास्क / आंशोधन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं: एयरबस ए320 / ए321 (सीएफएम56), एयरबस ए319 / ए320 / ए321 (सीएफएम लीप 1)।
3. एटीआर 72–212ए (पीडब्ल्यूसी पीडब्ल्यू120) के लिए 4सी चेक तक /36000 एफसी / 15 साल के एमपीडी टास्क और मल्टीपल, चरण से बाहर के टास्क /अशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत।
4. एटीआर 42–500 / 600 (पीडब्ल्यूसी पीडब्ल्यू120) के लिए सी–चेक तक / 3000 एफसी / 4 साल के एमपीडी कार्य और चरण के बाहर के कार्यों /आशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत सहित गुणक
5. हनीवेल एपीयू 131–9ए (पी / एन 3800708–1) – परीक्षण
6. एचओएलएमसीओ टेलीफोन हैंडसेट (पी / एन 89–01–07XXX सीरीज) मॉड्यूल / सब–असेंबली / पीसीबी लेवल मेंटेनेंस और टेस्टिंग (लेवल–2)

7. तीन और डेढ़ इंच लोड नियंत्रण वाल्व (पी/एन 3291432 श्रृंखला) ओवरहाल, मरम्मत, आईएनएसपीएन, परीक्षण (स्तर–3)
8. 3.5 इंच व्यास वाला एपीयू ब्लीड एअर वाल्व (पी/एन 3291214–2) ओवरहाल, मरम्मत, आईएनएसपीएन, परीक्षण (स्तर–3)
9. एअर टर्बाइन इंजन स्टार्टर (पी/एन3505582 सीरीज) ओवरहाल, मरम्मत, आईएनएसपीएन, परीक्षण (स्तर–3)
10. टीएलटी (पी/एन 341ई030000): अतिरिक्त देय एसबी– ओवरहाल, मरम्मत, आईएनएसपीएन, संशोधन, परीक्षण (स्तर–3)
11. टीसीटी (पी/एन 342बी050000): अतिरिक्त देय एसबी– ओवरहाल, मरम्मत, आईएनएसपीएन, संशोधन, परीक्षण (स्तर–3)
12. एचपी रेगुलेटिंग वाल्वः ओवरहाल, मरम्मत, आईएनएसपीएन, परीक्षण (स्तर–3) पी/एन 6773ई010000, पी/एन 6773एफ/सी सीरीज
13. वाल्व ब्लीड (पी/एन 6774एफ/जी सीरीज) ओवरहाल, मरम्मत, आईएनएसपीएन, परीक्षण (स्तर–3)

संबंधित गतिविधि केंद्रों में मार्च–2022 में डीजीसीए का ऑडिट किया गया था। इसके बाद, सभी 13 श्रेणियों के लिए आवेदन करने की सिफारिश की गई और मंजूरी दी गई।

उपरोक्त क्षमता वृद्धि के लिए अनुमोदन प्रदान करने के बाद, वीटी–ईडीई को दिनांक 25.04.2022 को प्रमुख जांच (3ए+ 6वर्ष +12वर्ष) के लिए शामिल किया गया था।

VIII. विदेशी प्रचालन

क. काठमांडू

एआईईएसएल ने पंजीकरण संख्या 224110/076/077 के तहत दिनांक 11.09.2019 को कंपनी रजिस्ट्रार, उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय का कार्यालय के काठमांडू में अपना लाइन रखरखाव कार्यालय पंजीकृत किया है।

टर्मिनल बिल्डिंग में एआईईएसएल का पहले से ही एक कार्यालय विद्यमान है और लाइन अनुरक्षण के सुचारू संचालन के लिए एयरसाइड पर स्थान हेतु मैसर्स बुद्धा एअर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एआईईएसएल के पंजीकरण के बाद, हम मैसर्स टाटा एसआईए और मेसर्स एअर एशिया को उनके ए320 फ्लीट के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ में, हमारे पास ए320 के लिए क्षमता है और बी737 बेड़े के लाइन अनुरक्षण को पूरा करने की अत्यंधिक संभावनाएं हैं। लाइन अनुरक्षण के लिए ओमान एअर और एअर एशिया ने पहले ही हममें अपनी रुचि दिखाई है। वर्तमान में एआईईएसएल 18 उड़ानें/सप्ताह हैंडल कर रही है।

हमने कराधान और अन्य वित्तीय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केटीएम में एक सलाहकार को भी नियुक्त किया है।

ख. सैफजोन –

एआईएएसएल ने एआई और एआईएक्स विमानों को लाइन अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2017 में शारजाह (एसएचजे) में अपना शाखा कार्यालय स्थापित किया है। इसके अलावा, एआईईएसएल ने दुबई और रास–एएल खैमा में अपने फ्लाइट हैंडलिंग ऑपरेशन का विस्तार किया है। एआईईएसएल यूएई के अपने संचालन के दूसरे वर्ष में लाभदायक हो गया है। इसके अलावा एआईईएसएल ने एआई और एआईएक्स

विमानों की एलएम हैंडलिंग के लिए अबू धाबी हवाईअड्डे तक अपने नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनाई है और यूएई में भारतीय पंजीकृत विमानों की एलएम हैंडलिंग गतिविधि के विस्तार की प्रक्रिया में भी है।

लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण, आगे के विस्तार में बाधा उत्पन्न हुई और बबल समझौते/वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान प्रचालनों के बंद होने या उड़ान के सीमित प्रचालन के कारण एआईईएसयएल यूएई शाखा की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कोविड–19 महामारी दिशानिर्देशों के सामान्य होने और यात्रा प्रतिबंध में आसानी के साथ अब उड़ान प्रचालन सामान्य हो गया है और उड़ान आवृत्ति भी बढ़ गई है। इससे राजस्व में वृद्धि हुई है।

अब एआईईएसएल फिर से संयुक्त अरब अमीरात में अपने व्यवसाय के विस्तार की ओर अग्रसर हो रहा है और अबू धाबी हवाईअड्डे पर अपने नेटवर्क के विस्तार की संभावनाओं को खोज रहा है।

9. राजभाषा कार्यान्वयन

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग (राभा), द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के सभी विभागों द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

एआईईएसएल द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

10. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

सरकार के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति लागू की गई थी।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सभी चार क्षेत्रों और निगमित कार्यालय में नोडल अधिकारियों/सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया है।

वर्ष के दौरान आरटीआई आवेदनों का विवरण निम्नानुसार हैः

- वर्ष के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या : 80
- वर्ष के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या : 70
- वित्त वर्ष के अंत तक लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या : 10

12. कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013

कंपनी में अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय–समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति को रखा गया है। अधिनियम की धारा 22 के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न के मामलों, यदि कोई हो, का विवरण निम्नानुसार हैः

- वर्ष में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्याः शून्य
- वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्याः शून्य
- नब्बे से अधिक दिनों तक लंबित मामलों की संख्याः शून्य

- यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या: 03
- कंपनी द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय: कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा कर्मचारी की तैनाती और समय–समय पर काउंसलिंग की जाती है।

13. एमएसएमई अनुपालन

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने के लिए एआईईएसएल का हमेशा से प्रयास रहा है। एआईईएसएल ने एमएसई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने सहित कई कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 994.74 लाख रुपए थी।

14. प्रबंधन

14.1 निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के निदेशकों के गठन के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यकाल समाप्ति तिथि
1.	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष	14-02-2020	12-01-2022
2.	श्री विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष	27-01-2022	-
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	निदेशक	02-02-2017	-
4.	श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन	निदेशक	20-03-2020	14-12-2022*
5.	सुश्री मीनाक्षी मलिक	महिला निदेशक	11-09-2020	12-01-2022
6.	श्री प्रांजोल चंद्रा	निदेशक	12-01-2022	11-02-2022
7.	श्रीमती परमा सेन	महिला निदेशक	11-02-2022	-

** नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा दिनांक 14.12.2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसरण में, दिनांक 14.12.2022 को श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन के स्थान पर श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (श्री राजेश सिंह), संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, को कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है*

महिला निदेशक:

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी दिनांक 11.02.2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा एआईईएसएल के बोर्ड के पुनर्गठन के आधार पर, श्रीमती परमा सेन को महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

क्र. सं	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	पदमुक्त होने की तिथि
1	श्री सुब्रमण्यन सेंथिलकुमार	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	01-01-2021	31-05-2021
2	श्री पलानी कुमारवेल	सी ई ओ	01-06-2021	30-06-2021
3	श्री चंद्रशेखर बालकृष्ण करखानिस	सी ई ओ	01-07-2021	30-07-2021

क्र. सं	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	पदमुक्त होने की तिथि
4	श्री जोस मैथ्यू	सी ई ओ	30-07-2021	30-04-2022*
5	श्री कपिल असेरी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)	12-03-2018	09-11-2021
6	श्री गगन बत्रा	कंपनी सचिव	25-04-2017	09-11-2021
7	श्री गोपाल कृष्ण वलेचा	सीएफओ	09-11-2021	20-05-2022**
8	सुश्री साक्षी मेहता	कंपनी सचिव	09-11-2021	-

* *तत्कालीन कार्यपालक निदेशक (इंजीनियरिंग), श्री शरद अग्रवाल को दिनांक 01.05.2022 को नियमित सीईओ की भर्ती तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में कंपनी के सीईओ का प्रभार सौंपा गया था। इसके बाद, नियमित सीईओ की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्री शरद अग्रवाल को दिनांक 01.10.2022 को कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।*

** *श्री राकेश कुमार जैन को दिनांक 20–05–2022 से कंपनी के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है।*

14.2 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014, डीपीई (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देश 2010 के प्रावधानों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नौ बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और इस संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार छूट प्रदान की गई। बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क.सं	बैठक	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	67वी	27-04-2021	4	4
2.	68वी	25-06-2021	4	4
3.	69वी	30-06-2021	4	4
4.	70वी	28-07-2021	4	4
5.	71वी	26-08-2021	4	4
6.	72वी	09-11-2021	4	3
7.	73वी	13-12-2021	4	4
8.	74वी	06-01-2022	4	4
9.	75वी	12-01-2022	4	4

14.3 बोर्ड समितियाँ:

कंपनी के बोर्ड की निम्नलिखित समितियाँ हैं:

i) लेखापरीक्षा समिति

ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

लेखापरीक्षा समिति और सीएसआर समिति की संरचना से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में शामिल हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

इसके अलावा, होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन से संबंधित मामला उठाया जाना था। चूंकि, एआईईएसएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, तत्कालीन होल्डिंग कंपनी अर्थात एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा इस मामले को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया गया था।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 के नियम 4(2), वर्ष 2017 में दिनांक 05–07–2017 की अधिसूचना सं. जीएसआर 839 (ई) अनुसार संशोधित, के अनुसार एआईईएसएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने की स्थिति में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लागू नहीं होती है, और इस प्रकार कंपनियों के नियम 6 (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम 2014, एवं दिनांक 13–07–2017 की वर्ष 2017 की अधिसूचना सं.जीएसआर 880 (ई) के अनुसार एनआरसी के गठन की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

14.4 निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति

नियुक्ति नीतिः

एआईईएसएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद–96 के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं और पंद्रह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो यह निर्धारित करेंगे कि वे निदेशक कितने समय के लिए पद धारण करेंगे और उन्हें हटा सकते हैं और उनके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त कर सकते हैं और किसी भी रिक्ति को भर सकते हैं।

पारिश्रमिक नीतिः

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, कंपनी के निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में धारा–197, सरकारी कंपनी होने के कारण एआईईएसएल पर लागू नहीं होती है। कंपनी के निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। केएमपी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटन 'वार्षिक रिटर्न के उद्धरण' में किया गया है।

14.5 निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के निष्पादन और इसकी समितियों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को प्रस्तुत करने वाला विवरण और सरकारी कंपनी होने के कारण व्यक्तिगत निदेशक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

14.6 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि :

क. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं हैं।

ख. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे 31 मार्च 2022 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. यह कंपनी गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ई) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

ड.. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं, तथा

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य कर रहीं थीं।

14.7 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना, जो कंपनी के संचालन के अनुरूप हो।

कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों की एक स्वतंत्र फर्म को आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है कि कंपनी की प्रणाली और पद्धितियों को कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति से मेल खाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के साथ डिजाइन किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि परिकल्पित सभी क्षेत्रों के कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपयोगकर्ता विभागों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

14.8 धोखाधड़ी के संबंध में प्रकटीकरण

लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड को किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

15. धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा का विवरण

यह प्रावधान लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी का कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

16. वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से एजीएम की रिपोर्ट की तारीख तक प्रभावित महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताओं का विवरण

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से रिपोर्ट की तारीख तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता प्रभावित नहीं हुई थी।

17. सहायक कंपनियों, संबद्ध और संयुक्त उद्यमों से संबंधित प्रकटन

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनी नहीं है।

18. जमाराशियों का विवरण

कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–76 के प्रावधानों के तहत कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

19. ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

वित्तीय विवरणों में ऋण, गारंटी और निवेश, यदि कोई हो, का विवरण प्रकट किया गया है।

20. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन सामान्य व्यवसाय के दौरान और आर्म्स लेंथ आधार पर थे, केवल नागपुर में एमआरओ के अधिग्रहण, जिसे बही मूल्य पर एअर इंडिया से अंतरित किया गया, दो वी2500 इंजन, एपीयू, लैंडिंग गियर और अन्य घटकों से युक्त एक ए320 क्लासिक विमान, जिसका पंजीकरण संख्या वीटी–ईएसएफ है व इसे एअर इंडिया से कुल रु. 27.50 लाख रूपये, जमा लागू जीएसटी, पर लिया गया है, को छोड़करः

i) कंपनी के बोर्ड ने दिनांक 07–12–2020 को आयोजित अपनी बैठक में बही मूल्य पर एअर इंडिया लिमिटेड (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) से नागपुर में एमआरओ लेने के प्रशासनिक मंत्रालय के फैसले को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।

ii) कंपनी के बोर्ड ने दिनांक 06–01–2022 को आयोजित अपनी बैठक में दो वी2500 इंजन, एपीयू, लैंडिंग गियर और अन्य घटकों के आसंजित एक ए320 क्लासिक विमान की खरीद के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसका पंजीकरण संख्या वीटी एंड ईएसएफ है और इसे एअर इंडिया से कुल रु. 27.50 लाख पर लिया गया है, हालांकि उक्त विमान वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति के बाद एआईईएसएल को सुपुर्द कर दिया गया था।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विनिर्दिष्ट सीमा तक एमआरओ संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एअर इंडिया और अन्य समूह की कंपनियों (एअर इंडिया, एएएल, एआईएक्सएल, एआईएएसएल, एचसीआई और एआईएसएटीएस) के साथ लेनदेन करने के लिए लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की सर्वव्यापक स्वीकृति ली गई थी। फॉर्म एओसी–2 में संबंधित पक्ष के लेन–देन का विवरण संलग्न है।

कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन–देन नहीं था, जिसके कारण कंपनी के हितों के साथ संभावित विवाद हो सकता था।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) में ऐसी कंपनी के लिए सीएसआर के लिए प्रावधान का अनुपालन करना आवश्यकता है, जिसने तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान थ्रेशहोल्ड कुल संपत्ति 500 करोड़ रूपये की है या 1,000 करोड़ रूपये का कारोबार है या 5 करोड़ रूपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। चूंकि, कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध घाटा हुआ है, इसलिए, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोई सीएसआर खर्च नहीं किया गया है।

22. कर्मचारियों और औद्योगिक संबंधों का विवरण

औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण थे, हालांकि वर्ष के दौरान विमान तकनीशियनों (एफटीई) द्वारा 06 दिनों का टूल डाउन आंदोलन किया गया था।

विभिन्न श्रेणियों के तहत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थीः

- कार्यपालक : 355 (324 स्थायी + 31 संविदात्मक)
- कर्मचारी : 4610 (2118 स्थायी + 2453 संविदात्मक + 39 सेवानिवृत्त)

- कुल : 4965 (2442 स्थायी + 2484 संविदात्मक + 39 सेवानिवृत्त)
- उपरोक्त में से तकनीकी कार्मिक : 4046 (2440 स्थायी + 1769 अनुबंध + 38 सेवानिवृत्त)
- एअर इंडिया और अन्य सहायक कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी : 0
- अन्य कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी : 236

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के तहतकंपनी के कर्मचारियों के विवरण के संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम–5 के साथ पठित धारा–197, सरकारी कंपनी होने के नाते एआईईएसएल पर लागू नहीं है।

23. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और आउटगो

(क) **ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षणः** आपकी कंपनी ने ऊर्जा के गैर–नवीकरणीय स्रोतों के संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए, जहां भी संभव हो, सभी प्रयास किए हैं।

(ख) विदेशी मुद्रा आय और आउटगो

	(रूपये)
आय	332 लाख
आउटगो	365 लाख

24. जोखिम प्रबंधन

कंपनी से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने की दृष्टि से एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई थी और इसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 06–01–2022 को आयोजित अपनी 74वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक https:\\www.aiesl.in\RiskManagementPolicy.aspx

उक्त नीति को लागू करने के लिए कंपनी द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

25. नियामकों के महत्वपूर्ण आदेश

नियामकों या अदालतों या अधिकरण द्वारा वर्ष के दौरान भविष्य में चल वर्तमान स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

26. सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण

वास्तविक चिंता संबंधी रिपोर्ट हेतु निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित धारा 177(9) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) दिनांक 12–01–2022 तक एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, इसलिए, एअर इंडिया के सतर्कता विभाग ने दिनांक 12.01.2022 तक एआईईएसएल सहित एअर इंडिया की सहायक कंपनियों के सतर्कता कार्य को निष्पादित किया है।

इसके बाद, नई होल्डिंग कंपनी अर्थात एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) का सतर्कता विभाग एआईईएसएल सहित एआईएचएल की सहायक कंपनियों के सतर्कता कार्य को निष्पादित कर रहा है।

27. लेखापरीक्षक

संविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने मैसर्स प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था।

प्रबंधन के उत्तरों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट **संलग्न** है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ स्व–व्याख्यात्मक हैं, और आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स जे.पी. सैनी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा दी गई सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर/टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स जी.एस. माथुर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया था।

28. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

29. सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का आपकी कंपनी द्वारा लागू सीमा तक अनुपालन किया गया था।

30. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित कार्यवाही का विवरणः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कंपनी के नाम पर कोई आवेदन या कार्यवाही लंबित नहीं थी।

31. बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते समय एकमुश्त निपटान और मूल्यांकन पर मूल्यांकन राशि के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का एकमुश्त निपटान नहीं किया गया है।

32. रिपोर्ट के अनुबंधः

निम्नलिखित प्रमाणपत्र/रिपोर्ट आदि संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं:

क. प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विस्तृत प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध–क' के रूप में संलग्न है।

ख. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध–ख' के रूप में संलग्न है।

ग. वार्षिक विवरणी का उद्धरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3), धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुपालन में, फॉर्म एमजीटी में वार्षिक रिटर्न का उद्धरण–9 इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध–ग' के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट https:\\www.aiesl.in\AnnualReturn.aspx पर उपलब्ध है।

घ. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरणः

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन, होल्डिंग कंपनी और अन्य समूह कंपनियों के साथ थे, और कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में अनुमोदित थे। संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण फॉर्म एओसी–2 में इस रिपोर्ट के साथ 'अनुबंध–घ' के रूप में संलग्न है।

33. आभारोक्ति

बोर्ड, वर्ष के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक और विभिन्न अन्य एजेंसियों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए निष्ठापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

आपका निदेशक मंडल इस अवसर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों के निरंतर समर्थन और योगदान की सराहना करता है। निदेशक मंडल भी इस अवसर पर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए अपना आभार और निष्ठापूर्ण धन्यवाद व्यक्त करता है। निदेशक मंडल आपके विश्वास और निरंतर समर्थन को स्वीकार करता है और भविष्य में भी इसकी कामना करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीआईएन : 02055541

दिनांक : 27–12–2022
स्थान : नई दिल्ली

'अनुबंध – क'

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणः

राजस्व

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान अर्जित 1185.54 करोड़ रुपये कुल राजस्व की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान यह 1906.52 करोड़ रुपये था, अर्थात लगभग 720.98 करोड़ रूपये (60.81 प्रतिशत) की वृद्धि।

व्यय

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष के 1202.27 करोड़ रुपये (पुनर्स्थापित) की तुलना में 1331.24 करोड़ रुपये था, अर्थात लगभग 128.97 करोड़ रूपये (10.73 प्रतिशत) की वृद्धि।

उद्योग विश्लेषण

विमान एमआरओ

व्यावसायिक सेवाओं के संवर्धन में विकास के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुरक्षण, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) बाजार में आगामी अवधि में मजबूत वृद्धि होने की संभावना है। इस क्षेत्र को स्पेयर पार्ट्स के लिए एक विनिर्माण केंद्र माना जाता है, जो कि अपनी लागत–कुशलता के कारण इनकी आपूर्ति अन्य देशों को करता है, इस प्रकार, अनुरक्षण, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) उद्योग के विकास को काफी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण विनिर्माण कार्यों के भीतर उपकरणों और सेवाओं के मानकीकरण के कारण, इस बाजार में महत्वपूर्ण मांग बढ़ने की संभावना है। उद्योग रिपोर्ट, भारत की पहचान दुनिया के सातवें सबसे बड़े नागर विमानन बाजार के रूप में करती है। यह 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए तैयार है, जो भारत में एमआरओ सुविधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार की संभावनाओं को दर्शाता है। भारत में लगभग 90 प्रतिशत एमआरओ आवश्यकताओं को वर्तमान में आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत का स्वदेशी एमआरओ क्षेत्र एक प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विकास क्षमता है। इस क्षेत्र के विकास को मुख्य रूप से बढ़ते विमानन उद्योग (लगभग 90,000 नौकरियों के सृजन और लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत) की उम्मीद है। विदेशी एमआरओ पर निर्भरता तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि घरेलू एमआरओ उद्योग आकार और सेवाओं की प्रमाणित विस्तार के मामले में अपने विदेशी समकक्षों के बराबर न हो जाए।

बाजार के रुझान

भारतीय एमआरओ उद्योग का आकार वर्ष 2021 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2031 तक 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो 5.6 प्रतिशत की अनुमानित वैश्विक सीएजीआर की तुलना में 8.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है। वर्तमान में 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर के साथ, देश के केवल अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में वाणिज्यिक यात्री विमानों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनने की संभावना है। यह वार्षिक रूप से 200–300 प्रमुख अनुरक्षण जांच संबंधी मांग में अंतरित होता है। कई एयरलाइनों के बेड़े में पुराने विमानों को बदलने से भी एमआरओ के लिए पुनर्वितरण अनुबंधों को पूरा करने की संभावनाएं बनती है। भारत एक बड़ा रक्षा विमान बाजार बनने की ओर भी अग्रसर है, जिससे सैन्य एमआरओ क्षमताओं की मांग भी बढ़ रही है।

विमानन उद्योग के दृष्टिकोण से, तीन मुख्य उपाय एमआरओ क्षेत्र के सतत विकास को अग्रसर करने में अत्यधिक योगदान देंगें।

देश में एमआरओ सुविधाएं स्थापित करने में अग्रणी बनकर एमआरओ इंटीग्रेटर्स बनना। इसके अलावा, एमआरओ पक्ष, मजबूत एमआरओ अवसंरचना स्थापित करने के लिए विमान ओईएम और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ संबंधों का लाभ उठा सकते हैं।

अमेरिका के फेडरल एविएशन एजेंसी और यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के नियमों का पालन करें। यह उद्योग में नए लोगों के प्रवेश सुलभ बनाएगा और प्रतिभा की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।

महामारी के कारण वैश्विक विमानन क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डालने के बावजूद, हाल के सप्ताहों में आसमान के खुलने से एयरलाइन क्षेत्र को आशा मिली है। उद्योग एक स्थिर पुनरुद्धार के प्रति आशावान है।

इस सेक्टर के खुलने के साथ, वैश्विक वाणिज्यिक विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) बाजार के लिए उम्मीद बनी हुई है, जो कि अधिकांश एमआरओ गतिविधियों को ठंडे बस्ते में डालने वाले विमानों और एयरलाइनों के ग्राउंडिंग से बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

उद्योग के सूत्रों ने अब संकेत दिया है कि वैश्विक एमआरओ सेक्टर, वर्ष 2022 से 2029 तक सात साल की अवधि में 6 प्रतिशत की दर से एक स्थिर विस्तार दर्ज करना चाहता है, वैश्विक स्तर पर और भारत में इस सेक्टर के लगभग 8.9 प्रतिशत से भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

पिछले एक दशक में, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में विकसित अत्याधुनिक विमानन अवसंरचना में दक्षिण पूर्व एशिया एक प्रमुख पक्ष के रूप में उभरा है।

सिंगापुर के एमआरओ पक्षों ने पिछले कुछ वर्षों में स्वयं को उद्योग में प्रमुख पक्षों के रूप में स्थापित किया है और न्यूनतम प्रभाव के साथ कोविड–19 के परिणामों को कम करने में सफल रहे हैं। इस उद्योग में सिंगापुर की सफलता के बाद, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के पक्ष, सिंगापुर के पक्षें की सफलता को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एमआरओ क्षमताओं का भी विकास कर रहे हैं।

वर्तमान में सिंगापुर, दक्षिण पूर्व एशिया में विमान एमआरओ बाजार का नेतृत्व कर रहा है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था के विकास में विमानन क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद, सिंगापुर पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में सबसे तेजी से विकसित होने वाले विमानन बाजारों में से एक बना है, जो देश में पर्यटकों की भारी वृद्धि और बढ़ती व्यापार यात्रा से प्रेरित है। भारत को भी घरेलू एमआरओ क्षेत्र पर जोर दते हुए इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।

पिछले बीस वर्षों में भारतीय विमानन क्षेत्र के तेजी से बढ़ने के बावजूद, भारत में विभिन्न कारणों से उचित एमआरओ सुविधाओं का अभाव है, सबसे महत्वपूर्ण भारत में एमआरओ सेवाओं के प्रावधान पर लगाए गए उच्च कर हैं। भारतीय एमआरओ का 90 प्रतिशत कार्य, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका और अन्य देशों को आउटसोर्स किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत के लिए भारतीय एमआरओ में प्रतिस्पर्धा है।

भारतीय बाजार में 8 प्रमुख पक्ष विद्यमान हैं, अर्थात एआईईएसएल, एअर वर्क्स, इंडैमर प्राइवेट लिमिटेड, डेक्कन चार्टर, ताज एयर, बर्ड एक्जीक्यूजेट, जीएमआर एयरो टेक्निक लिमिटेड और मैक्स एमआरओ प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास भारतीय आकाश में प्रचालन करने वाले अधिकांश विमानों पर एमआरओ संचालन करने का कौशल है। साथ ही, वे अपने ग्राहकों के लिए समय पर अनुरक्षण और ओवरहाल सेवाएं सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं।

विमानन उद्योग की रिपोर्ट में, हाल ही में, भारत को शीर्ष दस देशों की सूची में प्रवेश प्राप्त हुआ है और भारत वर्ष 2019 में दुनिया के चौथे सबसे बड़े नागर विमानन बाजार के रूप में उभरा है। भारत में एमआरओ सुविधाएं के लिए यह वर्ष 2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र की वृद्धि मुख्य रूप से बढ़ते

विमानन उद्योग द्वारा संचालित होगी। विश्लेषकों का कहना है कि, ''विदेशी एमआरओ पर निर्भरता तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि घरेलू एमआरओ उद्योग आकार और सेवाओं की प्रमाणित आकार के मामले में अपने विदेशी समकक्षों के बराबर न हो जाए''।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय एमआरओ उद्योग का आकार वर्ष 2021 में 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसके वर्ष 2030 तक 4 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की संभावना है। वर्तमान में 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर के साथ, देश, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के वाणिज्यिक यात्री विमानों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनने की संभावना है। उद्योग का कहना है कि इससे वार्षिक स्तर पर 200–300 प्रमुख अनुरक्षण जांच की मांग उत्पन्न होगी। कई एयरलाइनों के बेड़े में पुराने विमानों को बदलने से भी एमआरओ के लिए पुनर्वितरण अनुबंधों को पूरा करने की संभावना बनती है।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

वर्तमान में, भारत सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका जैसे देशों को 90 प्रतिशत एमआरओ सेवाएं आउटसोर्स करता है। नागरिक और रक्षा विमानों की बढ़ती संख्या को पूरा करने और टर्नअराउंड समय को अनुकूलित करने के लिए देश में एक एमआरओ पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। इसके अलावा, कई विमान के पुर्जे, विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित उपकरण खतरनाक सामान (डीजी) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ऐसे उत्पाद अनुरक्षण को भारत के भीतर रखने की आवश्यकता से देश में एमआरओ सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धी एमआरओ क्षेत्र से भारत को कई लाभ मिलेंगे। एयरलाइंस ईंधन और रसद लागत पर बचत करने और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने में सक्षम होंगी। भारतीय पट्टेदार वेट लीज पर प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करने में सक्षम होंगे, जिससे विमान वित्तपोषण और पट्टे पर देने के देश के प्रयासों का समर्थन होगा। भारत गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में विमान पट्टे पर देने और विमान वित्तपोषण को अधिसूचित करके इस क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। अंत में, एमआरओ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने से नौकरी के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एअर वर्क्स इंडिया (इंजीनियरिंग) प्राइवेट लिमिटेड, डेक्कन चार्टर्स लिमिटेड, इंडैमर एविएशन प्रा. लिमिटेड, मैक्स एमआरओ प्राइवेट लिमिटेड, ताज एयर, बर्ड एक्जीक्यूजेट और जीएमआर एयरो टेक्निक लिमिटेड सहित भारतीय एमआरओ बाजार में 8 प्रमुख पक्ष कार्य कर रहे हैं। इन 8 पक्षों के बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने और एआईईएसएल के पास कुल राजस्व का उच्चतम हिस्सा होने के कारण बाजार की प्रकृति केंद्रित हो गई है। इनमें से अधिकतर पक्ष, लाइन रखरखाव, भारी रखरखाव और घटक ओवरहाल प्रदान करते हैं। एआईईएसएल, भारत में पूर्ण विकसित इंजन ओवरहाल सुविधा प्रदान करने वाली एकमात्र कंपनी है। एआईईएसएल बाजार अग्रणी है, इसके बाद एअर वर्क्स का स्थान आता है, जिसका बाजार राजस्व के क्षेत्र में में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। एअर वर्क्स की वैश्विक उपस्थिति है, हालांकि वह केवल भारत में एमआरओ सेवाएं प्रदान करता है।

विमान इंजन एमआरओ बाजार में प्रमुख पक्ष हैं – लुफ्थांसा टेक्निक, रोल्स–रॉयस होल्डिंग पीएलसी, रेथियॉन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और सफरान एसए। प्रमुख इंजन एमआरओ प्रदाता, अपने इंजन एमआरओ ग्राहकों को विकसित करने के लिए लंबी अवधि की साझेदारी कर रहे हैं या संयुक्त उद्यम बना रहे हैं। क्षेत्रीय जेट, जो आमतौर पर 150 से कम सीटों वाला एक छोटा विमान है, एक निश्चित क्षेत्र, देश या महाद्वीप के भीतर छोटी दूरी की उड़ानों की बढ़ती मांग को देख रहा है। उल्लेखनीय है कि, क्षेत्रीय विमानन वैश्विक स्तर पर वार्षिक हवाई यातायात के 700 बिलियन उपलब्ध सीट किलोमीटर को पार कर चुका है। क्षेत्रीय विमानन ने पिछले दो दशकों में सबसे मजबूत यातायात वृद्धि को दर्शाया है। यह अनुमान लगाया गया है कि टियर–2 और टियर–3 शहरों के उदय, शहरीकरण और मेट्रो शहरों से दूर आबादी के प्रवास के कारण कोविड–19 महामारी के बाद, क्षेत्रीय हवाईअड्डों और छोटे यात्री विमानों की अत्यधिक मांग होगी। इन कारकों के कारण, वाणिज्यिक विमान एमआरओ बाजार में क्षेत्रीय जेट खंड वर्ष 2027 तक लगभग 10 प्रतिशत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा।

इंजन एमआरओः

विमान इंजन एमआरओ बाजार का आकार वर्ष 2028 तक 32.04 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो वर्ष 2021 में 22.15 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और वर्ष 2022–2028 के दौरान इसके 5.7 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

एशिया–प्रशांत क्षेत्र ने पिछले एक दशक में कुल विमान बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे इंजन एमआरओ सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका और यूरोप के कई एमआरओ सेवा प्रदाताओं ने इस क्षेत्र में अपनी रखरखाव सुविधाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा, विदेशी रखरखाव लागत को कम करने के लिए, कई एयरलाइनों ने इन–हाउस क्षमताओं को विकसित करने के लिए इंजन एमआरओ सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी की है।

वैश्विक और एशिया–प्रशांत विमान इंजन एमआरओ बाजार की वृद्धि, वर्ष 2020 के बाद ग्राउंडेड विमानों के फिर से शुरू होने और विमान की अपेक्षित भावी डिलीवरी से प्रेरित है।

भारतीय एयरोस्पेस उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते एयरोस्पेस बाजारों में से एक है। छह दशकों के लंबे इतिहास के साथ, देश के पास वैश्विक मानकों के अनुरूप संसाधनों का एक उत्कृष्ट पूल विद्यमान है। भारत की उदारीकृत अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अच्छे अवसर प्रदान करती है, जो निर्माण के साथ–साथ रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियों को आउटसोर्स करती हैं। जबकि पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा अपेक्षित है कि इंजन अगले दशक में वाणिज्यिक जेट एमआरओ व्यवसाय का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना रहेगा, बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है और इसकी गतिशीलता अधिक जटिल होती जा रही है। एयरो–इंजन ओईएम ने एक दशक से अधिक समय से आफ्टरमार्केट को लक्षित किया है और एमआरओ व्यवसाय के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह चलन जारी रहेगा और अन्य एमआरओ प्रदाताओं के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करेगा।

वैश्विक विमान इंजन एमआरओ बाजार के प्रमुख पक्ष हैं – जीई एविएशन (यूएस), रोल्स–रॉयस (यूके), प्रैट एंड व्हिटनी (यूएस), लुफ्थांसा टेक्निक (जर्मनी), सफरान एयरक्राफ्ट इंजन (पेरिस), एसआईए इंजीनियरिंग कंपनी (सिंगापुर), एअर फ्रांस इंडस्ट्रीज केएलएम इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस (फ्रांस), एमटीयू एयरो इंजन (जर्मनी), एसटी एयरोस्पेस (सिंगापुर) और डेल्टा टेकऑप्स (यूएस)।

इंजन एमआरओ में ओईएम का वर्चस्वः

एयरो–इंजन निर्माताओं ने उपयोग–आधारित बिक्री, अर्थात उपलब्धता–आधारित अनुबंधों का उपयोग करके व्यवसाय मॉडल की पेशकश की है। इसने ओईएम को एमआरओ सेवा प्रदाताओं के निर्माताओं के रूप में अपने मुख्य व्यवसाय का विस्तार करने की अनुमति दी है। ओईएम एमआरओ अब एयरो–इंजन की सभी प्रचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप ग्राहकों से सेवा प्रदाता को जोखिम और अनिश्चितताएं स्थानांतरित हो जाती हैं। जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम करने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जैसे कि वास्तविक समय में स्वास्थ्य निगरानी और पूर्वानुमान के संबंध में संवर्धित सेंसर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। इस डेटा का उपयोग रखरखाव के शर्त–आधारित दर्शन से लाभ लेने के लिए किया जाता है। इस दर्शन के माध्यम से, ओईएम ने आफ्टरमार्केट एमआरओ सेवा प्रावधान में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।

भारतीय सैन्य एयरो–इंजन एमआरओ कैनवसः

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इंजन के क्षेत्र में एकमात्र वास्तविक भारतीय पक्ष है, जिसके इंजन डिवीजन का विभिन्न आयातित डिजाइनों के लाइसेंस–उत्पादन का लंबा इतिहास रहा है। बेड़े के प्रतिस्थापन कार्यक्रमों, आधुनिकीकरण सामरिक और भारतीय वायु सेना के विमान उन्नयन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा व्यय में वृद्धि के साथ, भारतीय सैन्य विमान इंजन बाजार वर्ष–दर–वर्ष बढ़ने की ओर अग्रसर है। निकट भविष्य में कुछ प्रमुख इंजन खरीद कार्यक्रम एवरो, एएन–32, एलसीए तेजस, एएमसीए के लिए होंगे और इनमें लगभग 3400 से 4000 इंजनों

की खरीद शामिल है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सबसे बड़े हेलीकॉप्टर खरीद कार्यक्रमों की शुरुआत की है और उनकी आवश्यकताओं का उद्देश्य वर्ष 2027 के अंत तक हमले, उपयोगिता, बहु–भूमिका और एयरलिफ्ट प्लेटफार्मों सहित 1000 से अधिक रोटरी–विंग प्लेटफार्मों की खरीद के माध्यम से सैन्य हेलीकॉप्टर संपत्ति को मजबूत करना है।

अवसर और जोखिमः

आईएटीए के अनुसार, भारत के वर्ष 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की उम्मीद है। त्वरित टीकाकरण अभियान, आर्थिक गतिविधियों की उच्च दर के साथ, जुलाई 2021 में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर भारत के घरेलू हवाई यात्री यातायात में वृद्धि हुई है। जुलाई 2021 में, राजस्व यात्री किलोमीटर (आरपीके) की दृष्टि से भारत की घरेलू हवाई यात्री मात्रा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, जापान, रूस और अमेरिका जैसे प्रमुख विमानन बाजारों में सबसे अधिक थी। जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2021 में देश में आरपीके की वृद्धि 123 प्रतिशत तक बढ़ी है। विमान मरम्मत सेवाओं और रखरखाव की मांग भी बढ़ेगी।

वर्ष 2021 में भारत के एमआरओ उद्योग का आकार 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इसके वर्ष 2031 तक 8.9 प्रतिशत सीएजीआर पर 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

चार एमआरओ उद्योग क्षेत्रों (एयरफ्रेम, इंजन, घटक और लाइन) में इंजन रखरखाव, सबसे आकर्षक क्षेत्र है और मूल्य की दृष्टि से इंजन और एयरफ्रेम की भागीदारी 50–55 प्रतिशत की है।

एमआरओ क्षेत्र की क्षमता

वर्तमान में 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर के साथ, भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में वाणिज्यिक यात्री विमानों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनने के लिए तैयार है। यह वार्षिक आधार पर 200–300 प्रमुख रखरखाव जांच (ए से डी चेक) की मांग में परिवर्तित हो रहा है, जो भारत में एमआरओ सेवा प्रदाताओं के लिए बड़े अवसर को दर्शाता है। जून 2020 में, इंडिगो ने अपने पुराने ए320 नियोस को वर्ष 2022 के अंत या वर्ष 2023 की शुरुआत तक, अधिक ईंधन–कुशल ए320 नियोस के साथ प्रतिस्थापित करने की योजना की घोषणा की है। स्पाइसजेट के पास 200 से अधिक बी737 मेक्स विमान ऑर्डर पर हैं, जबकि गो एअर के पास 100 से अधिक ए320 विमाने हैं, जिनकी सुपुर्दगी अभी की जानी है। पट्टे के अनुबंध में निर्धारित पुनर्वितरण शर्तों को पूरा करने के लिए बेड़े को छोड़ने से पहले लगभग हर विमान को एमआरओ सेवाओं की आवश्यकता होती है। भारत में, एयरलाइंस बोइंग, एयरबस, एटीआर, एम्ब्रेयर और डोर्नियर जैसे वैश्विक पक्षों द्वारा निर्मित विमानों का प्रचालन होता हैं। इसके अलावा, अधिकांश विमान प्रमुख एमआरओ सेवाओं के लिए विदेश भेजे जाते हैं, जो भारत में एमआरओ उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग को प्रस्तुत करता है। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 31.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 24 चरणबद्ध मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन चरणबद्ध विमानों के अधिग्रहण से भारतीय बेड़े में मिराज–2000 की सेवाक्षमता में सुधार के लिए आवश्यक कलपुर्जे और एयरफ्रेम उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला के विषयों के मामले में, ये कलपुर्जे लागत प्रभावी और लाभकारी हो सकते हैं। फेज आउट विमान से प्राप्त पुर्जे और एयरफ्रेम सक्रिय सेवा में तेजी से वापसी या विस्तारित एमआरओ के बीच अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत के पास अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में लागत और प्रतिभा व्यापक स्तर पर उपलब्ध है। भारत में, एमआरओ कार्यबल की लागत 30–35 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटे के बीच है, जो पश्चिमी यूरोप या अमेरिका की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत कम है (हालांकि इसकी चीन या इंडोनेशिया में मजदूरी दरों के साथ तुलना की जा सकती है)। भारत में इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक बड़ा पूल भी विद्यमान है, जो विशेष रूप से अपनी उच्च कौशल आवश्यकताओं के साथ श्रम प्रधान एमआरओ उद्योग के लिए आवश्यक है। विकसित देशों को वृद्ध कार्यबल के अलावा उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग प्रतिभा की घटती उपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है। यह भारतीय इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को पश्चिम में माइग्रेट करने के लिए अत्यधिक आकर्षक अवसर प्रदान करता है जो भारत में एमआरओ उद्योग में प्रतिभा को बनाए रखने या आकर्षित करने पर विचार करने का एक प्रमुख कारक है। बोइंग, एयरबस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और प्रैट एंड व्हिटनी सहित कई कंपनियां, भारत में मरम्मत सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रही हैं। उदाहरण के लिए,

बोइंग इंडिया ने भारत को एक मरम्मत, विकास और रखरखाव केंद्र बनाने के लिए एअर वर्क्स के साथ सहयोग किया है। एयरबस ने विमानन सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और नवाचार में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए जीएमआर समूह के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एचएएल ने एमआरओ सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई पहलः

अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल सेवाओं के लिए सरकार की मौजूदा नीति ने खुली निविदाओं के माध्यम से एमआरओ के लिए भूमि को पट्टे पर देने और एएआई द्वारा लगाए जाने वाले रॉयल्टी को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि एमआरओ सुविधाएं स्थापित करने वाली संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन, मौजूदा 3 से 5 वर्ष की अल्पकालिक अवधि के स्थान पर 30 वर्ष के लिए की जाएगी। यह कदम एमआरओ क्षेत्र को स्थिरता और निश्चितता के साथ बढ़ावा देगा।

भारत को वैश्विक एमआरओ–हब बनाने के अपने उद्देश्य के तहत मंत्रालय, सैन्य और नागरिक अभिसरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एमआरओ गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए बेगमपेट (तेलंगाना), भोपाल (मध्य प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), चंडीगढ़, दिल्ली, जुहू (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और तिरुपति (आंध्र प्रदेश) जैसे आठ हवाईअड्डों की पहचान की गई है।

भारत के पास कम लागत वाली एमआरओ जनशक्ति की उपलब्धता का प्रमुख लाभ है, जो भारत को दुनिया के बाकी एमआरओ हब जैसे यूएसए, यूरोप, सिंगापुर और अन्य से अतिरिक्त प्रमुखता प्रदान करता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी के पास अपने व्यवसाय के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। इसके अलावा, मैसर्स जी.एस. माथुर एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सचेतक विवरणः

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिए गए विवरण भविष्योन्मुखी विवरण हैं। वास्तविक परिणाम, भौतिक रूप से अभिव्यक्त या निहित से भिन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण और उद्योग परिदृश्य पर चर्चा के साथ–साथ भविष्य के दृष्टिकोण, जहां भी उल्लेख किया गया है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सूचना और विश्लेषण, विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और प्रबंधन द्वारा विश्वास किए जाने पर आधारित है। महत्वपूर्ण कारक जो बताए गए, व्यक्त या निहित में अंतर ला सकते हैं, उनमें आर्थिक स्थितियां, घरेलू और साथ ही वैश्विक जैसे बाजार में सक्रिय मांग और आपूर्ति बल, समय–समय पर कर सहित सरकार की नीतियां, नियम और विनियम, कानून और अन्य नियम और साथ ही व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव डालने वाले अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीआईएनः 02055541

दिनांकः 27–12–2022
स्थानः नई दिल्ली

'अनुबंध–ख'

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन के कोड पर कंपनी का दर्शन

कंपनी को अच्छे निगमित शासन पर पूरा विश्वास है और लगातार पालन कर रहे है। कंपनी की अनिवार्य प्रकृति पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व के मूल्यों पर आधारित है। कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानक को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगमित शासन के संबंध में कंपनी का सिध्दांत इसके सभी प्रचालनों में पारदर्शिता, विवरण प्रस्तुत करना तथा कानून और विनियमों के अंतर्गत अंशधारकों की कीमत मे वृद्धि सुनिश्चित करना है।

2. निदेशक मंडल

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के उपक्रम एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इससे पहले, एआईईएसएल एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, हालांकि एआई के विनिवेश और एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार, एआईईएसएल की संपूर्ण शेयरधारिता एआई से एआईएचएल को 12.01.2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप, एआईईएसएल, एआईएएचएलप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। होल्डिंग कंपनी में परिवर्तन के दृष्टिगत, प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने दिनांक 31–12–2021 के कार्यालय ज्ञापन औरा तत्पश्चात 12–01–2022 और 11–02–2022 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा एआईईएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया था।

तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 11–02–2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा निर्धारित अनुसार एआईईएसएल के बोर्ड की संरचना, नीचे दिया गया है:

क) 31 मार्च 2022 तक बोर्ड की संरचना

क्र.सं	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	नामित निदेशक
2.	श्री विमलेन्द्र आनंद (वी.ए.) पटवर्धन संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए), नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक*
3.	श्री सत्येंद्र कुमार (एस.के.) मिश्रा संयुक्त सचिव (जेएस), एआई प्रभाग, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक
4.	श्रीमती परमा सेन संयुक्त सचिव (जेएस), निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	नामित निदेशक (महिला निदेशक)

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 31–12–2021 और 12–01–2022 के कार्यालय ज्ञापन के तहत श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष और सुश्री मीनाक्षी मलिक, नामित निदेशक दिनांक 01.01.2019 से एआईईएसएल के बोर्ड से

पदमुक्त हो गए हैं। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 27–01–2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा, श्री प्रांजोल चंद्रा सीएमडी–एआईएएचएल को एआईएसएल के बोर्ड में नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

एआईईएसएल के बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 11–02–2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, श्री प्रांजोल चंद्रा, एआईईएसएल के बोर्ड में निदेशक के पद से पदमुक्त हो गए हैं और श्रीमती परमा सेन, संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम, को एआईईएसएल के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

चूंकि दिनांक 11–02–2022 के आदेश के अनुसार नागर विमानन मंत्रालय द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन में, कंपनी के अध्यक्ष की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए, एआईईएसएल के बोर्ड ने दिनांक 24–02–2022 संकल्प संदर्भ सं. एआईईएसएल/एचक्यू/सीएस/10/06/2021–22 के परिपत्रण द्वारा श्री विक्रम देव दत्त को एआईईएसएल के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया था और नागर विमानन मंत्रालय/होल्डिंग कंपनी के किसी भी अगले निर्देश तक अपेक्षित संकल्प पारित किया था।

बोर्ड ने, कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव बंसल और नामित निदेशक के रूप में सुश्री मीनाक्षी मलिक द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना की है।

वर्ष के दौरान, बोर्ड और शेयरधारकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष द्वारा की गई है।

* नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा दिनांक 14–12–2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसरण में, दिनांक 14–12–2022 से श्री विमलेंद्र आनंद (वी.ए.) पटवर्धन के स्थान पर श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (श्री राजेश सिंह), संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, को कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके आगे, बोर्ड ने श्री वी.ए. पटवर्धन द्वारा कंपनी के बोर्ड में प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा की है।

ख) निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

एआईईएसएल पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। कंपनी में कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है।

नामांकित (अंशकालिक) निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

कंपनी के पास कंपनी के किसी भी निदेशक को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन देने की नीति नहीं है। कंपनी अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति बनाने से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

कंपनी ने कोई स्टॉक विकल्प योजना शुरू नहीं की है।

ग) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति:

i) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड की नौ बैठकें आयोजित की गईं:

क.सं	बैठक	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	67वीं	27-04-2021	4	4
2.	68वीं	25-06-2021	4	4
3.	69वीं	30-06-2021	4	4
4.	70वीं	28-07-2021	4	4
5.	71वीं	26-08-2021	4	4
6.	72वीं	09-11-2021	4	3
7.	73वीं	13-12-2021	4	4
8.	74वीं	06-01-2022	4	4
9.	75वीं	12-01-2022	4	4

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–167(1)(ख) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

iii) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

निदेशक	शैक्षिक योग्यता	वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में शामिल हुए (13.12.2021)	अन्य कंपनियों का विवरण	
		आयोजित (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान)	उपस्थित हुए		कंपनियों में निदेशक	समितियों में सदस्यता
श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष (14.02.2020 से 12.01.2022 तक)	आईआईटी, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग, वित्त में डिप्लोमा, आईसीएफएआई, हैदराबाद, एक्जीक्यूटिव मास्टर– व्यवसाय, आईआईएफटी, दिल्ली आईएएस अधिकारी–1988 बैच (नागपुर कैडर)	9	9	हां	**अध्यक्ष : 8** [एआईएल, एआईईएसएल, एएएल, एचसीआई, एआई, एसएटीएस और एआईएएचएल] **निदेशक : 3** [एएमएल, एएमएचएल और बीवाईएनएल]	**अध्यक्षः 1** सीएसआर समिति : 1 [एआईएएसएल] **सदस्य : 3** **क.** नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)–1 (एआईएल) **ख.** लेखापरीक्षा समिति – 2 (एआईएएसएल एवं एचसीआई)
श्री विक्रम देव दत्त – अध्यक्ष (27 जनवरी 2022 से)	बी.टेक एंड पीजीडीएम, आईएएस (यूटी : 93)	0	लागू नहीं	लागू नहीं	**अध्यक्ष : 5** [एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल एएएल, एचसीआई] **निदेशक : 1** [पीबीएसपीएल]	**अध्यक्षः 4** क. सीएसआर समिति : 2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ख. एचआर समिति :1 [एएएल] ग. उडान सुरक्षा समितिः1 [एएएल] **सदस्य : 5** **क.** लेखापरीक्षा समितिः5 (एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल, एएएल और एचसीआई)

निदेशक	शैक्षिक योग्यता	वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में शामिल हुए (13.12. 2021)	अन्य कंपनियों का विवरण	
		आयोजित (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान)	उपस्थित हुए		कंपनियों में निदेशक	समितियों में सदस्यता
श्री एस.के. मिश्रा, निदेशक	एम.टेक (अप्लायड जियोलॉजी) एम. ए. (पब्लिक पालिसी), आईआरएस (आईटी : 1990)	9	9	हां	**निदेशक : 3** [एआईएएचएल, एआईईएसएल और एआईएएसएल]	**सदस्य : 5** **क.** लेखापरीक्षा समिति – 2 (एआईएएचएल, एआईईएसएल और एआईएएसएल) **ख.** सीएसआर समिति :2 (एआईईएसएल और एआईएएसएल)
श्री वी.ए. पटवर्धन, निदेशक (20.03.2020 से 14.12.2022)	बी कॉम और आईएएस अधिकारी, 1996 बैच	9	9	हां	**निदेशक : 6** [एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल, पीएचएल, आईआरईडीए और एसईसीआई]	**अध्यक्ष : 4** क. लेखापरीक्षा समिति : 2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी):1 [आईआरईडीए] ग. हितधारक संबंध समिति: 1 [आईआरईडीए] **सदस्य : 9** क. लेखापरीक्षा समिति:3 [पीएचएल, एसईसीआई और आईआरईडीए] ख. सीएसआर समिति:2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ग. पारिश्रमिक समिति:1 [एसईसीआई] घ. एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन कमेटी:1 [आईआरईडीए] ड. जोखिम प्रबंधन समिति:2 [आईआरईडीए और एसईसीआई]
सुश्री मीनाक्षी मलिक, महिला निदेशक (11–09–2020 से 12–01–2022 तक)	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एमबीए)	9	8	हां	**निदेशक : 4** [एआईएल, एआईईएसएल, एआई सेट्स और एएएल]	शून्य

निदेशक	शैक्षिक योग्यता	वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में शामिल हुए (13.12. 2021)	अन्य कंपनियों का विवरण	
		आयोजित (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान)	उपस्थित हुए		कंपनियों में निदेशक	समितियों में सदस्यता
श्री प्रांजोल चंद्रा, निदेशक (12–01–2022 से 11–02–2022 तक)	बी.ई (यांत्रिकी)	1	1	लागू नहीं	**निदेशक : 2** [एएएल और एचसीआई]	**सदस्य : 2** क. लेखापरीक्षा समितिः2 [एएएल और एचसीआई] ख. उड़ान सुरक्षा समितिः1 [एएएल] ग. एचआर समितिः1 [एएएल]
श्रीमती परमा सेन, महिला निदेशक (11–02–2022 से प्रभावी)	एमएससी भौतिकी, आईए और एएस (1994)	0	लागू नहीं	लागू नहीं	**निदेशक : 4** [एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल और एनएफएचसीएल]	**सदस्य : 4** क. लेखापरीक्षा समितिः2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ख. सीएसआर समितिः2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल]
श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (श्री राजेश सिंह) (14–12–2022 से प्रभावी)	बीएससी (भूविज्ञान), एम.एससी (भूविज्ञान), आईआईटी, सार्वजनिक नीति प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	**निदेशक : 6** [एआईईएसएल, एआईएएसएल, पीएचएल, एनआईईआई, एनआईसीएसआई और डीआईसी]	**अध्यक्ष : 1** लेखापरीक्षा समितिः1 [एआईईएसएल] **सदस्य : 1** सीएसआर समितिः1 [एआईईएसएल]

टिप्पणियाँ :

1. निदेशकों की संख्या अधिकतम सीमा के भीतर है : –कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 20 कंपनियां (जिनमें अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं)।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है।
4. डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की सदस्यता की संख्या दस की अधिकतम सीमा के भीतर है, जिसमें पांच अध्यक्षता की अनुमत सीमा शामिल है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।
5. संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम :

   क) एआईएल – एइर इंडिया लिमिटेड
   ख) एआईईएसएल – एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
   ग) एआईएक्सएल – एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड
   घ) एआईएएसएल – एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
   ड.) एएएल – एलायंस एअर एविएशन लिमिटेड
   च) एचसीआई – होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

छ) एआई एसएटीएस – एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

ज) एएमएल – एअर मॉरीशस लिमिटेड

झ) एएमएचएल – एअर मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड

ट) बीवाईएनएल – भारत यंत्र निगम लिमिटेड

ठ) पीबीएसपीएल – पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

ड) एनएफएचसीएल – नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड

ढ) पीएचएल – पवन हंस लिमिटेड

ण) एसईसीआई – सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

प) आईआरईडीए – इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड

फ) एनआईईआई – भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज

ब) एनआईसीएसआई – राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएं शामिल

भ) डीआईसी – डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

3. बोर्ड की प्रक्रियाएं :

बोर्ड की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या नई दिल्ली में सफदरजंग हवाईअड्डे पर कंपनी के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाती थीं। बैठकें आम तौर पर पहले से निर्धारित होती हैं। अत्यावश्यकता या तात्कालिक मामले में, परिपत्र द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं। बैठक की कार्यसूची संबंधित अधिकारियों/सीईओ द्वारा तैयार की जाती है और इसे कंपनी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के अभिलेख, आमतौर पर बोर्ड के सदस्यों को पहले से परिपत्रित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास सभी सूचनाओं तक पहुंच है और वे चर्चा की कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के मामलों पर बेहतर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, बोर्ड कुछ मामलों को इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को सौंपता है।

4. आचार संहिता

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को स्वीकार किया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा इस रिपोर्ट के **अनुबंध–ख–1** के साथ संलग्न है।

5. बोर्ड समितियां

लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट गवर्नेंस के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, लेखापरीक्षा समिति मूल रूप से मार्च 2016 में निदेशक मंडल की स्वीकृति के साथ संदर्भ की शर्तों को अपनाते हुए गठित की गई थी और समय–समय पर इसका पुनर्गठन किया गया था, जब होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित निदेशकों में कोई परिवर्तन होता है। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के दिनांक 31–12–2021 और तत्पश्चात दिनांक 12–01–2022 और 11–02–2022 के कार्यालय ज्ञापन तहत बोर्ड के

पुनर्गठन के अनुसरण में, बोर्ड ने 02–03–2022 को एक परिपत्र संकल्प पारित करके लेखापरीक्षा समिति का भी पुनर्गठन किया गया था।

इसके बाद, दिनांक 14–12–2022 से श्री विमलेंद्र आनंद (वीए) पटवर्धन के स्थान पर एआईईएसएल के बोर्ड में श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (श्री राजेश सिंह), संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, की नियुक्ति के अनुसरण में बोर्ड द्वारा दिनांक 15.12.2022 को परिपत्र संकल्प को पारित करके दिनांक 16.12.2022 को लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है।

क) समिति की संरचना :

दिनांक 31–03–2022 की स्थिति के अनुसार, पदेन क्षमता में निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष*
श्री विक्रम देव दत्त सीएमडी, एआईएएचएल	सदस्य
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, एआई प्रभाग, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्रीमती परमा सेन संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

* *श्री विमलेंद्र आनंद (वी.ए.) पटवर्धन के स्थान पर दिनांक 14–12–2022 से एआईईएसएल के बोर्ड में श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (श्री राजेश सिंह), संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय की नियुक्ति के अनुसरण में, परिपत्र प्रस्ताव पारित करके बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसलिए, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष का पदभार श्री वी.ए. पटवर्धन से श्री राजेश सिंह को उनकी पदेन क्षमता में परिवर्तित किया गया है।*

ख) संदर्भ की शर्तें : लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (4) के तहत निर्धारित हैं :

i. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना,

ii. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना,

iii. वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना,

iv. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन को स्वीकृति प्रदान करना या बाद में संशोधन हेतु

v. अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच करना,

vi. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो,

vii. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना,

viii. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

ग) समिति की बैठकें :

बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी के वित्तीय विवरण सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान सात बार बैठकें कीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं	बैठक की संख्या	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या
1	22वीं	27-04-2021	3
2	23वीं	25-06-2021	3
3	24वीं	30-06-2021	3
4	25वीं	26-08-2021	3
5	26वीं	09-11-2021	2
6	27वीं	13-12-2021	3
7	28वीं	06-01-2022	3

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, बोर्ड ने मूल रूप से दिनांक 08–11–2019 को एक सीएसआर समिति का गठन किया है। हालाँकि, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा अपने दिनांक 31–12–2021 के कार्यालय ज्ञापन और तत्पश्चात दिनांक 12–01–2022 और 11–02–2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा एआईईएसएल बोर्ड ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का भी दिनांक 02–03–2022 को पुनर्गठन किया (एक परिपत्र संकल्प पारित करके) गया है।

इसके बाद, दिनांक 14–12–2022 से श्री विमलेंद्र आनंद (वीए) पटवर्धन के स्थान पर एआईईएसएल के बोर्ड में श्री राजेश सिंह श्रीनारायण शर्मा (श्री राजेश सिंह), संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, की नियुक्ति के अनुसरण में बोर्ड द्वारा दिनांक 15.12.2022 को परिपत्र संकल्प को पारित करके दिनांक 16.12.2022 को लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है।

दिनांक 31–03–2022 तक, सीएसआर समिति में पदेन क्षमता में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री विक्रम देव दत्त सीएमडी, एआईएएचएल	अध्यक्ष
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, एआई प्रभाग, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्रीमती परमा सेन संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

* *दिनांक 15–12–2022 के परिपत्र संकल्प को पारित कर बोर्ड द्वारा 16–12–2022 को सीएसआर समिति के पुनर्गठन के क्रम में सीएसआर समिति के सदस्य श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन के स्थान पर श्री राजेशसिंह श्रीनारायण शर्मा (श्री राजेश सिंह), को पदेन क्षमता में नियुक्त किया है।*

6. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम बैठकें :

कंपनी की आम बैठकों अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) का विवरण नीचे दिया गया है :

एजीएम / ईजीएम	बैठक की तिथि व समय	बैठक का स्थान	विशेष संकल्प
04 ईजीएम	14-01-2022 को 1500 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	हां
16 एजीएम	13-12-2021 को 1430 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	हां
15 स्थगित एजीएम	23-02-2021 को 1500 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	नहीं
15 एजीएम	29-12-2020 को 1630 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	नहीं
ईजीएम	13-07-2020 को 1500 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	हां
14 एजीएम	21-11-2019 को 1415 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	नहीं

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पता : सी–101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई 400083 है, जो कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) है।

7. प्रकटीकरण और वैधानिक अनुपालन : –

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यहार, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण किए गए हैं और इन्हें आवधि रूप में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे उचित निर्णय ले सकें और बोर्ड व्यवसायिक विषयों की व्यवस्था के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण के लिए स्पष्ट नीति का अनुसरण करता है। प्रकटन, सूचना, दस्तावेजों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए फाइलिंग को समयबद्ध तरीके से किया जाता है और इसमें कोई मामला लंबित नहीं है। स्व–मूल्यांकन के आधार पर कंपनी, वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–2022 दोनों के लिए डीपीई कॉर्पोरेट के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्रेड के तहत आती है। डीपीई ने 2020–21 के दौरान डीपीई शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु एआईएसएल को उत्कृष्ट ग्रेडिंग भी प्रदान की है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

ह / –
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीआईएनः 02055541

दिनांकः 27–12–2022
स्थानः नई दिल्ली

'अनुबंध–ख–1'

आचार संहिता

घोषणापत्र

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/–
(शरद अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

दिनांक : 27–12–2022
स्थान : नई दिल्ली

'अनुबंध–ग'

फॉर्म संख्या एमजीटी 9–वार्षिक विवरणी से उद्धरण

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)
नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरणी:

1.	सीआईएन	U74210DL2004GOI125114
2.	पंजीकरण की तारीख	11.03.2004
3.	कंपनी का नाम	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) (पूर्व में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
4.	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड / केन्द्रीय सरकार की कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110001, दूरभाष :011–23422000, 011-24600748
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
7.	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लिंक इनटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस मार्ग, विखरोली वेस्ट, मुंबई –400083

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें) –

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	तकनीकी हैंडलिंग, एमआरओ, और अन्य सेवाएं	9987	100 प्रतिशत

III. होल्डिंग, सहायक तथा सहयोजित कंपनी का विवरण:

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीआईएन	होल्डिंग / सहायक / सहयोजित	शेयरों का %	लागू धारा
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एयरलाइन्स हाऊस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001.	U74999DL2018GOI328865	होल्डिंग	100%	2 (46)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

क. श्रेणीवार शेयरधारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2021 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2022 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) वैयक्तिक/हिंदू संयुक्त परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) निगमित निकाय	166,666,491	9	166,666,500	100	166,666,500	-	166,666,500	100	0.00
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता	166,666,491	9	166,666,500	100	166,666,500	-	166,666,500	100	0.00
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	लागू नहीं								
1. संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) म्युचुअल फंड/यूटीआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(छ) वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर–संस्थाएं	लागू नहीं								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2021 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2022 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
iii) कार्यालय पदधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) निदेशकगण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) हिंदू संयुक्त परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) क्लीयरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) विदेशी निकाय – डी आर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	**166,666,491**	**9**	**166,666,500**	**100**	**166,666,500**	**-**	**166,666,500**	**100**	**0.00**

* *निकाय कॉर्पोरेट : कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग, 12–01–2022 तक निकाय कॉरपोरेट अर्थात एअर इंडिया लिमिटेड व इसके नमितियों के पास थी और उसके बाद 12–01–2022. से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) व इसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।*

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता

क्र. स.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/ भारग्रस्त शेयरों का%	
1.	एअर इंडिया लिमिटेड और इसके नामिति	166,666,500	100	-	-	-	-	100 (12-01-2022 तक)
2.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और इसके नामिति	-	-	-	166,666,500	100	.-	100 (12-01-2022 से लागू)

प्रमोटरों की शेयरधारिता : कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है – जिसके पास दिनांक 12–01–2022 तक प्रति 10/– रुपये के 166,666,500 इक्विटी शेयर हैं। इसके बाद, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की पूरी शेयरहोल्डिंग एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा 12–01–2022 को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई, और पूरी शेयरहोल्डिंग भारतीय प्रमोटरों के पास थी।

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें): एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के अनुसरण में, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में एअर इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण शेयरधारिता दिनांक 12.01.2022 को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को अंतरित कर दी गई थी।

क्र सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**वर्ष के आरंभ में**				
	एअर इंडिया लिमिटेड	166,666,500	100%	-	-
	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	-	-	-	-
2.	**वर्ष के अंत में**				
	एअर इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-
	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	-	-	166,666,500	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशकगण, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के अलावा):

क्र. सं.	10 शीर्ष शेयरधारको में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शयरों का कुल प्रतिशत
1	लागू नहीं				
2					
3					

ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशकगण तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	शून्य				
2	(नोट : इक्विटी शेयर केवल होल्डिंग कंपनी (अर्थात 12–01–2022 तक एअर इंडिया लिमिटेड और 12–01–2022 से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड) के नामांकित व्यक्तियों के पास हैं, जिसमें निदेशक भी शामिल हैं)				
	कुल				

च. ऋणग्रस्तता – बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	–	–	–	–
i) मूल राशि	–	–	–	–
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	–	–	–
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	–	–	–	–
* परिवर्धन	–	–	–	–
* कमी	–	–	–	–

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
निवल परिवर्तन	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	–	–	–	–
i) मूल राशि	–	–	–	–
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	–	–	–
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक :

(आंकडे रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
	सीईओ को छोड़कर वर्ष 2021–2022 के दौरान कंपनी में पूरे समय के निदेशक नहीं थे, केएमपी के तहत सीईओ का विवरण दिया गया है						शून्य
1	सकल वेतन	–	–	–	–	–	–
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–	–	–
3	स्वेट इक्विटी	–	–	–	–	–	–
4	अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें	–	–	–	–	–	–
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	–	–	–	–	–	–
	कुल (क)	–	–	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक – लागू नहीं

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	–	–	–	–	–	–
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	–	–	–	–	–	–
	कमीशन	–	–	–	–	–	–
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	–	–	–	–	–	–
	कुल (1)	–	–	–	–	–	–
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	–	–	–	–	–	–
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	–	–	–	–	–	–
	कमीशन	–	–	–	–	–	–
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–	–	–	–	–
	कुल (2)	–	–	–	–	–	–
	कुल (ख) = (1 + 2)	–	–	–	–	–	–
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	–	–	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	–	–	–	–	–	–

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(आंकड़े मिलियन में)

क्र	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक							
		सीईओ			सीएस		सीएफओ		कुल
		श्री सुब्रमण्यन सेंथिलकुमार (01.04.2021 से 31.05. 2021 तक)	श्री कुमारवेल पलानी (01.06. 2021 से 30. 06.2021 तक)	श्री चंद्रशेखर बालकृष्ण कारखानिस (01.07. 2021 से 30.07. 2021 तक)	श्री जोस मैथ्यू (30.07. 2021 से 31. 03.2022 तक)	सुश्री साक्षी मेहता (09.11. 2021 से 31.03. 2022)	श्री कपिल असेरी (01.04.2021 से 09.11. 2021 तक)	श्री गोपाल कृष्ण वलेचा (09.11. 2021 से 31.03. 2022)	
1	सकल वेतन								
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	577710	242193	278671	3061290	340800	1576426	852000	**6929090**
	(ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	8100	-	-	-	-	-	-	**8100**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-	-	
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**585810**	**242193**	**278671**	**3061290**	**340800**	**1576426**	**852000**	**6937190**

* श्री गगन बत्रा तत्कालीन होल्डिंग कंपनी, अर्थात एअर इंडिया (एआई) में अपने कार्यभार के अतिरिक्त। दिनांक 09–11–2021 तक एआईईएसएल में सीएस का पद भी संभाल रहे थे। एआईईएसएल से उन्हें शून्य पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था।

VII. दंड/सज़ा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सज़ा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
क. कंपनी		कुछ नहीं			
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सज़ा/ कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
ख. निदेशकगण		कुछ नहीं			
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी			कुछ नहीं		
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीआईएनः 02055541

दिनांकः 27–12–2022
स्थानः नई दिल्ली

अनुबंध–घ

फार्म सं. एओसी–2

[अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों / व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण संबंधी फॉर्म, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म लैंथ लेनदेन शामिल हैं:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण, जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेन–देन दर्ज नहीं किया गया था, आर्म लैंर्थ के आधार पर नहीं था, केवल निम्नलिखित को छोड़करः

i) कंपनी के बोर्ड ने 07–12–2020 को आयोजित अपनी बैठक में बही मूल्य पर एअर इंडिया लिमिटेड (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) से नागपुर में एमआरओ लेने के प्रशासनिक मंत्रालय के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी थी।

ii) कंपनी के बोर्ड ने 06–01–2022 को आयोजित अपनी बैठक में दो वी2500 इंजन, एपीयू, लैंडिंग गियर और अन्य घटकों से आसंजित एक ए320 क्लासिक विमान की खरीद के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसे एअर इंडिया से 27.50 लाख रूपये जमा जीएसटी की कुल लागत पर खरीदा गया है और इसका पंजीकरण संख्या वीटी–ईएसएफ है। हालांकि, उक्त विमान वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति के बाद एआईईएसएल को सुपुर्द कर दिया गया था।

2. आर्म लैंथ आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के तहत संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेन–देन, व्यापार के सामान्य क्रम में एक आर्म लैंथ के आधार पर थे, जिन्हें दिनांक 09.11.2021 को आयोजित कंपनी की 72वीं बोर्ड बैठक द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण इस प्रकार है:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	संव्यवहार की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि (मिलियन में)
एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) होल्डिंग कंपनी (12.01.2022 तक)	**प्रचालन से राजस्व**	1 अप्रैल 2021 – 12 जनवरी 2022	**आय**	**8739.9**
	एआई को देय राशि पर ब्याज		**व्यय**	955.26
	किराए का परिसर			912.18
	बिजली और ताप प्रभार			201.07
	बेचे गए माल की कीमत			9.09
	वेतन – कर्मचारी / श्रमशक्ति का किराया			-285.17
	कर्मचारी चिकित्सा व्यय			163.16
	आईटी उपकरण का रखरखाव			31.63
	वेतन – आकस्मिक श्रमिक			4.17
	अन्य व्यय			202.45
	कुल व्यय			**2193.85**

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लेन–देन की प्रकृति	संव्यवहार की अवधि	लेन–देन की मुख्य शर्तें	राशि (मिलियन में)
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) होल्डिंग कंपनी, दिनांक 12 जनवरी 2022 से	**प्रचालन से राजस्व**	12 जनवरी 2022 – 31 मार्च 2022	आय	-
	कुल व्यय		व्यय	**407.27**
एलायंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)	**प्रचालन से राजस्व**	1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022	आय	506.35
	अन्य आय (ब्याज)			134.93
	कुल व्यय		व्यय	**5.8**
एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	**प्रचालन से राजस्व**	1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022	आय	14.12
	हैंडलिंग प्रभार		व्यय	238.34
	जनशक्ति लागत			2.99
	बकाया राशि पर ब्याज एआईएटीएसएल			68.33
	कुल व्यय			**309.66**
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई) (सेंटोर होटल्स)	होटल का व्यय– ड्यूटी पर कर्मचारी	1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022	व्यय	13.45
एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड समूह कंपनी (एआईएक्सएल) 12 जनवरी 2022 तक	**प्रचालन से राजस्व**	1 अप्रैल 2021 – 12 जनवरी 2022	आय	708.27
	अन्य आय (ब्याज)			30.5
	कुल व्यय		व्यय	**3.8**
एअर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड समूह कंपनी (एआईएसएटीएस) 12 जनवरी 2022 तक	**प्रचालन से राजस्व**	1 अप्रैल 2021 – 12 जनवरी 2022	आय	0.2
	हैंडलिंग प्रभार		व्यय	81.72
	अनुबंध पर जनशक्ति का किराया			18.72
	उपकरण का किराया / पट्टे			5.76
	अन्य व्यय			5.65
	कुल व्यय			**111.85**
कुल राशि **(मिलियन में)**				**1318 करोड़ रूपये के समतुल्य 13179.94**

टिप्पणी :

1. लेखांकन मानकों के अनुसार 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' का विवरण वित्तीय विवरणों में खातों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

ह/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीआईएनः 02055541

दिनांकः 27–12–2022
स्थानः नई दिल्ली

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्य,
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,
एअरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली–110001

मैंने **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड**, (CIN:U74210DL2004GOI125114) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका।

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए सामान्यतः इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

क. मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के उपबंधों तथा बनाए गए एवं यथालागू नियमों का अनुपालन निम्नलिखित प्रेक्षण के अधीन किया हैः

क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा 4 और 5 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, चूंकि, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और 178 के प्रावधानों के साथ कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 का अनुपालन नहीं किया है।

ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के 178 के अनुसार कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार बोर्ड की पारिश्रमिक और नामांकन समिति का गठन नहीं किया

है, क्योंकि यह नियम 6 में उल्लिखित निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

तथापि, दिनांक 05 जुलाई 2017 की एमसीए, कपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) सशोधन नियम, 2017 की अधिसूचना के तहत, सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जो गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां है, को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियां; (कंपनी पर लागू नहीं)

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक; (कंपनी पर लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (कंपनी पर लागू नहीं)

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निमोध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं)

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999; (कंपनी पर लागू नहीं)

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008; (कंपनी पर लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है; (कंपनी पर लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं) एवं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998; (कंपनी पर लागू नहीं)

(vi) विमानन क्षेत्र में निम्नलिखित कानून विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू होते है–

- वायुयान अधिनियम, 1934
- डीजीसीए द्वारा जारी नागर विमानन की आवश्यकताएं

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं, कि कंपनी ने विमानन कानूनों के तहत उपरोक्त सीएआर का अनुपालन किया है और कंपनी द्वारा ऐसे विमानन कानूनों के अनुपालन की समीक्षा, इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है, जो डीजीसीए और अन्य नामित पेशेवरों/प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा के अध्यधीन हैं।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के पालन की परीक्षा भी की है :

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; और

ख) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 14 मई, 2010 के का.ज्ञा.सं. 18(8)/2005–जीएम में निर्धारित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन संबंधी मार्गनिर्देश।

ग) गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता हेतु कोई समझौते करना अपेक्षित नहीं था।

मैंने कंपनी में परीक्षण के आधार पर लागू निम्नलिखित कानून के संबंध में अनुपालन ढांचे, प्रक्रिया और प्रणाली का निरीक्षण किया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यौन उत्पीड़न विरोधी नीति तैयार की है। यौन उत्पीड़न संबंधित प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि उसकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा एवं अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा की जानी है।

समीक्षा अवधि के दौरान तथा प्रबंधन द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्या तथा अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उपरोक्त विषय और उसमें उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं किः

उपरोक्त अवलोकन के अधीन, कार्यपालक निदशेक, गैर कार्यपालक निदेशक और नामित निदेशकों का समुचित तालमेल बिठाते हुए कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस दी जाती है और जहां बोर्ड की बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जाती है, वहां कम से कम एक नामित निदेशक की उपस्थिति सुनिश्चित की गई, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट भेजा गया तथा बैठक से पूर्व एवं बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई।

प्रबंध मंडल की प्रस्तुति के अनुसार बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन एवं मेरे विश्वास के अनुसार कंपनी पर लागू कानून, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों को मॉनीटर करने एवं उनका अनपुालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रक्रिया एवं प्रणाली उपलब्ध है। यह सूचित किया गया है कि विभिन्न सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांगों, दावों, जुर्मानों आदि का कंपनी ने उत्तर दिया है तथा यथाआवश्यक सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, भारत सरकार के निर्णय पर विचार करते हुए, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता, तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को स्थानांतरित कर दी गई है और कंपनी के बोर्ड का भी पुनर्गठन किया गया है और कंपनी के शेयरों को दिनांक 12 जनवरी 2022 को एआईएएचएल को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, एआईएएचएल, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की नई मूल कंपनी / होल्डिंग कंपनी बन गई है।

कृते जे पी सैनी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
(जीवन प्रकाश सैनी)
प्रोप्राइटर
एफसीएस संख्या : 3671
सीपी संख्याः 2100

दिनांक : 17 नवंबर, 2022
स्थानः नई दिल्ली
यूडीआईएन : F003671D001816108

नोट 1 : उपरोक्त के संबंध में विशेमा गैर–अनुपालन/टिप्पणी/लेखापरीक्षा क्वॉलीफिकेशन, संदेह अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां यथास्थान दी गई है।

नोट 2 : यह रिपोर्ट हमारे दिनांक के पत्र के साथ पढी जाए जो परिशिष्ट “क” के रूप में संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अविभाज्य भाग है।

परिशिष्ट–क

सेवा में
सदस्यगण,
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,
एअरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली –110001.

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

2. मैंने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लखेापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण, परीक्षण जांच के आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित था।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है।

कृते जे पी सैनी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
(जीवन प्रकाश सैनी)
प्रोप्राइटर
एफसीएस संख्या : 3671
सीपी संख्याः 2100

दिनांक : 17 नवंबर, 2022
स्थान : नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के अवलोकनों पर प्रबंधन के उत्तर

	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
क	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप. धारा 4 और 5 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, चूंकि, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और 178 के प्रावधानों के साथ कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 का अनुपालन नहीं किया है।	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, एआईईएसएल को दिनांक 05 जुलाई, 2017 की एमसीए अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अपेक्षा से छूट दी गई है।
ख	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के 178 के अनुसार कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार बोर्ड की पारिश्रमिक और नामांकन समिति का गठन नहीं किया है, क्योंकि यह नियम 6 में उल्लिखित निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है। परंतु, दिनांक 05 जुलाई 2017 की एमसीए, कंपनी (निदशेकों की नियुक्ति और योग्यता) सशोधन नियम, 2017 की अधिसूचना के तहत, सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जो गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां है, को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, एआईईएसएल को 05 जुलाई, 2017 और 13 जुलाई, 2017 की एमसीए अधिसूचनाओं द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन की अपेक्षा से छूट दी गई है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 20 अक्तूबर, 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बहतर ज्ञान हेतु आवश्यक हैं।

क. नकद प्रवाह पर टिप्पणी

शुद्ध नकद प्रवाह (प्रयुक्त) / प्रचालन गतिविधियों से – 1111.65 करोड़ रूपये

शुद्ध गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह – (702.67) करोड़ रूपये

निवेश गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले शीर्ष निवल **नकद** प्रवाह में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नकद बहिर्वाह के रूप में 703.08 करोड़ रूपये शामिल हैं। हालांकि, 674 करोड़ रूपये की राशि की परिसंपत्ति को तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) से नकद के वास्तविक भुगतान के बिना बही अंतरण के आधार पर अंतरित की गई थी। इस प्रकार, परिसंपत्ति का भाग, जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया है, उसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, 674 करोड़ रूपये का प्रभाव प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत दिखाया गया है, जिस पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप, निवेश गतिविधियों में उपयोग किए गए शुद्ध नकदी प्रवाह और प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह को 674 करोड़ रूपये अधिक दर्शाया गया है और, इसके परिणामस्वरूप 'नकद प्रवाह विवरण' के संबंध में इंड एएस–7 का अनुपालन नहीं हुआ है।

ख. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी :

कंपनियों (लेखापरीक्षक रिपोर्ट), 2020 की मद संख्या 3(i)(ख) के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षक को यह बताना होगा कि, *"क्या इन परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, क्या इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां देखी गईं हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या उनका लेखा बहियों में ठीक से निपटाया गया है।'* स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध–क में सांविधिक लेखापरीक्षक ने कहा है कि, मूर्त परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, लेकिन लेखा बहियों में परिणामी प्रभाव नहीं दिया गया है।

हालांकि, तथ्य यह है कि नागपुर एमआरओ, त्रिवेंद्रम एमआरओ, मुंबई बेस (पश्चिमी क्षेत्र), हैदराबाद बेस (दक्षिणी क्षेत्र) और कोलकाता बेस (पूर्वी क्षेत्र) में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है और न ही कंपनी द्वारा और न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा, वित्तीय विवरणों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह/–
(अतूर्वा सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30–12–2022

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों के लिए प्रबंधन के उत्तर

सी एंड एजी की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
क. नकदी प्रवाह पर टिप्पणी **शुद्ध नकद प्रवाह (प्रयुक्त) / प्रचालन गतिविधियों से – 1111.65 करोड़ रूपये** **शुद्ध गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह – (702.67) करोड़ रूपये** निवेश गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले शीर्ष निवल रोकड़ प्रवाह में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नकद बहिर्वाह के रूप में 703.08 करोड़ रूपये़ शामिल हैं। हालांकि, 674 करोड़ रूपये की राशि की परिसंपत्ति को तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) से नकद के वास्तविक भुगतान के बिना बही अंतरण के आधार पर अंतरित की गई थी। इस प्रकार, परिसंपत्ति का भाग, जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया है, उसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, 674 करोड रूपये़ का प्रभाव प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत दिखाया गया है, जिस पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, निवेश गतिविधियों में उपयोग किए गए शुद्ध नकदी प्रवाह और प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह को 674 करोड़ रूपये अधिक दर्शाया गया है और, इसके परिणामस्वरूप 'नकद प्रवाह विवरण' के संबंध में इंड एएस–7 का अनुपालन नहीं हुआ है।	जैसा कि अनंतिम टिप्पणियों में कहा गया है कि, इंडएएस–7 के पैरा–16 में, निवेश गतिविधियों से सृजित होने वाले नकदी प्रवाह में शामिल हैं. अर्थात पैरा–16 में दिए गए सभी बिंदु, उस पैरा में दिए गए उदाहरणों तक ही सीमित नहीं हैं। इंड एएस– 7 के पैरा 16 नकदी. प्रवाह विवरण में यह भी उललेख है कि केवल व्यय जो तुलन पत्र में लेखांकित परिसंपत्ति में परिणामित होते हैं, वे निवेश गतिविधियों के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, इंडएएस – 7 नकदी. प्रवाह विवरण के पैरा 11 में उल्लेख किया गया कि एक इकाई अपने नकदी प्रवाह को संचालन, निवेश और वित्तपोशण गतिविधियों से इस तरह से प्रस्तुत करती है जो उसके व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त है। गतिविधि द्वारा वर्गीकरण, ऐसी जानकारी प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को इकाई की वित्तीय स्थिति और उसके नकदी और नकदी समकक्षों की राशि पर उन गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने में सक्षम बनाता है। इस जानकारी का उपयोग उन गतिविधियों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, इंडएएस–7 के पैरा 12 का संदर्भ लें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जब आस्थगित भुगतान के आधार पर अधिग्रहीत परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के संबंध में भुगतान की गई किस्त में ब्याज शामिल होता है, तो ब्याज तत्व को वित्तपोशण गतिविधियों के तहत वर्गीकृत किया जाता है और ऋण तत्व को निवेश गतिविधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। एमआरओ नागपुर, 674 करोड़ रुपये की राशि तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड अर्थात तत्कालीन होल्डिंग कंपनी से एआईईएसएल को स्थानांतरित किए गए थे और तदनुसार देयता सृजित हुई थी, जिसे एआईएचएल को अंतरित कर दिया गया है। इसलिए, इंडएएस–7 के अनुरूप जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इसे निवेश गतिविधि के रूप में दिखाया जा सकता है।

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियां</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>इसके अलावा, एमआरओ नागपुर ने तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड को 674 करोड़ रूपये अंतरित किए थे। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, देय राशि में समग्र वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप, निवेश गतिविधियों में वृद्धि हुई। वैकल्पिक रूप से, 674 करोड़ रूपये के संव्यवहार को दोनों मदों से बाहर रखा जा सकता था। इसने वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को इस अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि को शामिल नहीं करने के कारणों के बारे में अस्पष्ट बना दिया होगा, जैसा कि लेखों के अग्रभाग औरा खातों से भी देखा जा सकता है। पीपीई शीर्षों के तहत 674 करोड़ रुपये का संवर्धन, इस तथ्य के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है कि दिनांक 31.03.2021 को मौजूदा पीपीई और सीडब्ल्यूआईपी का डब्ल्यूडीवी केवल 59.76 करोड़ रुपये था।</td></tr>
<tr><td>ख. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी :

कंपनियों (लेखापरीक्षक रिपोर्ट), 2020 की मद संख्या 3(i)(ख) के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षक को यह बताना होगा कि, "क्या इन परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों को उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, क्या इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां देखी गईं हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या उनका लेखा बहियों में ठीक से निपटाया गया है।" स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध–क में सांविधिक लेखापरीक्षक ने कहा है कि, मूर्त परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, लेकिन लेखा बहियों में परिणामी प्रभाव नहीं दिया गया है। हालांकि, तथ्य यह है कि नागपुर एमआरओ, त्रिवेंद्रम एमआरओ, मुंबई बेस (पश्चिमी क्षेत्र), हैदराबाद बेस (दक्षिणी क्षेत्र) और कोलकाता बेस (पूर्वी क्षेत्र) में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है और न ही कंपनी द्वारा और न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा, वित्तीय विवरणों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।</td><td>'कंपनी की नीति के अनुसार, पीपीई के भौतिक सत्यापन के लिए, कंपनी ने एक पेशेवर फर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त किया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से पीपीई (दिल्ली) की संपत्ति टैगिंग शामिल है ...'

विषय पर बल के पैरा सं. 8 का संदर्भ भी लिया जा सकता है, जहां उल्लेख किया गया है कि.

कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से पीपीई (दिल्ली) की संपत्ति टैगिंग सहित पीपीई के भौतिक सत्यापन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विसंगतियों और अतिरेक को समायोजित लेखाबद्ध किया जाएगा (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 30(क) का संदर्भ लें।)

<u>कोट न किया गया</u>

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि संपत्ति के गैर–भौतिक सत्यापन के संबंध में तथ्य प्रक्रियाधीन है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान नागपुर से संपत्ति को एअर इंडिया से स्थानांतरित किया गया है, केवल उसी को चालू वर्ष के दौरान सत्यापित नहीं किया जा सका है।</td></tr>
</table>

सी एंड एजी की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
	नोट–2 के तहत उपरोक्त के अलावा, फुटनोट 2.1 के रूप में निम्नलिखित का स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। कोट किया गया *'उपरोक्त परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण में एमआरओ नागपुर की परिसंपत्ति शामिल है, जिसमें शामिल है...* *6740 मिलियन रुपये की राशि बिना किसी भौतिक हैंडओवर–टेकओवर के।'* परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, इसे हमारी पिछली रिपोर्टों में शामिल किया गया है और खातों के अनुमोदन के लिए हमारी बैठकों में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को भी जानकारी दी गई थी। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि पिछले दो वर्षों में कोविड–19 के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका था।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एआई इंजीनियंरिंग सर्विसेस लिमिटेड के

सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

हमने एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (पहले एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस के रूप में जानी जाती थी) (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधी ब्यौरा एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी (जिसे यहां आगे ''स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कहा जाएगा''कंपनी) सहित वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में यथाअपेक्षित तरीके, से आवश्यक सूचना देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप उचित दृष्टिकोण, यथासंशोधित (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार मामलों की स्थिति के बारे में 31 मार्च, 2022 को कंपनी के कार्यकलापों तथा इसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तनों एवं उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के भाग–वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई हमारी रिपोर्ट के भाग–''वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व'' में उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तार से वर्णन किया है और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मत है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

1. कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति के गठन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4), धारा 177 और धारा 178 की छूट के लिए लोक उद्यम विभाग को दिनांक 01.09.2020 को पत्र लिखा है। लोक उद्यम विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।

2. क) इन्वेंटरी पर भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 9 के अनुसारः

   इन्वेंटरी का मापन लागत या प्राप्य निवल मूल्य पर किया जाना है।

   वर्ष के दौरान कंपनी ने इन्वेंटरी का मूल्यांकन तुलनात्मक औसत लागत पर किया है। वर्ष के अंत में इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार नहीं किया गया है। अतः हम उसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

   ख) इन्वेंटरी को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है।

3. कंपनी ने कुछ खर्चों का लेखाकरण करते हुए और खर्चों का प्रावधान करते हुए स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की है। इस गैर–अनुपालन के प्रभाव को निश्चित नहीं किया गया है।

4. कंपनी ने इंटर कंपनियों के औसत शेष पर देय/प्राप्य ब्याज की गणना की है। कंपनी ने विभिन्न इंटर कंपनियों के साथ एमएसए के अनुसार ब्याज की गणना नही की है।

5. कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि पर (भारतीय लेखांकन मानक) इंड एएस 36 का अनुपालन नहीं किया है।

6. क) कुछ नियंत्रण खाता बही सहित कर्मचारियों से वसूली योग्य और कुछ देय राशि के गैर–मिलानयुक्त मदों समायोजन और मिलान प्रक्रिया में है। (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 29(iv) का संदर्भ लें।)

   ख) व्यापार प्राप्य, प्राप्त जमा, भुगतान जमा और व्यापार देय पुष्टि के अधीन हैं। (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 29(i) का संदर्भ लें।)

   ग) कंपनी राजस्व और स्रोत पर कर कटौती के समाधान की प्रक्रिया में है, जैसा कि वित्तीय लेखा में और यह 26 एएस के अनुसार है।

   घ) माल एवं सेवाकर (जीएसटी) और अन्य सांविधिक देय राशि, दायर किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ मिलान की प्रक्रिया में हैं। (खातों की टिप्पणियों के लिए नोट संख्या 29(iii) देखें।)

7. तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड, एआईईएसएल की ओर से स्व–अंशदायी पेंशन योजना के तहत भुगतान करती थी और इसकी वसूली कंपनी से की जाती थी और कंपनी की बहियों में 104.08 मिलियन डेबिट शेष राशि दिखाई दे रही है, जो समाधान के अधीन है। (खातों पर नोट के नोट संख्या 29 (ii) का संदर्भ लें।)

8. कंपनी ने चरणबद्ध आधार पर पीपीई (दिल्ली) की संपत्ति टैगिंग सहित पीपीई के भौतिक सत्यापन के लिए सनदी लेखाकारों की एक पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है। विसंगतियों और अधिकता को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समायोजित/लेखाबद्ध किया जाएगा। (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 30(क) का संदर्भ लें)।

9. चालू वर्ष में 71.45 मिलियन रुपये की पूर्व अवधि व्यय को लेखांकित किया गया है। वर्ष 2020–2021 की बहियों का पुनर्कथन किया गया है और परिणामी समायोजन/प्रकटीकरण किया गया है। (खातों पर नोट के लिए नोट संख्या 28 देखें।)

इन मामलों के संबंध में हमारी राय अर्हक नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामल

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें वे मामले हैं, जो हमारे व्यवसायी निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थें। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में तथा उन पर हमारी राय बनाने

में समग्र रुप से संबोधित किया गया था और इन मामलों पर हम अलग राय नहीं देते है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रति उत्तर
1.	1) तत्कालीन एअर इंडिया (एआई) के विनिवेश पर नीति आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत और तत्पश्चात विनिवेश पर सचिवों के प्रमुख समूह (सीजीडी) की सिफारिशों के दृष्टिगत आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28 जून 2017 को आयोजित अपनी बैठक में तत्कालीन एअर इंडिया समूह के नीतिगत विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था। 2) सीसीईए ने सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) का भी गठन किया। 3) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2019 में नाम और शैली के तहत एसपीवी के गठन के लिए एक पूर्व–कार्यात्मक मंजूरी दी गई थी, जिसे अब एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के रूप में जाना जाता है, जो संचित कार्यशील पूंजी ऋण के भंडारण के लिए चार सहायक कंपनियों अर्थात एआईएएसएल, एएएएएल, एआईईएसएल, एचसीआई, पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स और अन्य गैर प्रचालनिक परिसंपत्तियों के साथ किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है। 4) सहायक कंपनियों में निवेश के हस्तांतरण के एआईएसएएम के निर्णय के अनुसार, कंपनी (एआईईएसएल) के शेयरों को तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड से बही मूल्य पर एआईएएचएल को स्थानांतरित किया जा रहा था। तदनुसार, एआईईएसएल के शेयरों के हस्तांतरण के लिए तत्कालीन एआईएल और एआईएएचएल के बीच शेयर क्रय समझौता (एसपीए) को दिनांक 10 जनवरी, 2022 को निष्पादित किया गया था। 5) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार और एसपीए के अनुसार, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता तत्कालीन एआईएल से एआईएएचएल को हस्तांतरित कर दी गई है और कंपनी के बोर्ड का भी पुनर्गठन किया गया है और कंपनी के शेयरों को दिनांक 12 जनवरी, 2022 से एआईएएचएल को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल), एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की नई मूल कंपनी/होल्डिंग कंपनी बन गई है।	• हमने एअर इंडिया लिमिटेड और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के बीच दिनांक 10 जनवरी 2022 को निष्पादित शेयर क्रय करार प्राप्त किया है। • एअर इंडिया लिमिटेड ने एअर इंडिया लिमिटेड और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के बीच दिनांक 10 जनवरी 2022 को निष्पादित शेयर क्रय करार के तहत 16,66,66,500 इक्विटी शेयरों का अंतरण एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को किया है। • तत्कालीन एअर इंडिया ने नागपुर एमआरओ सुविधा को एआई एसेट होल्डिंग कंपनी को 674,00,19,040.85 रुपये में स्थानांतरित कर दिया है। एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी ने शीर्षक वाली संपत्तियों को कंपनी को हस्तांतरित कर दिया है। कंपनी सकल ब्लॉक के रूप में वर्ष 2021–2022 के दौरान 674,00,19,040.85 रूपये की धनराशि ले चुकी है और उस पर मूल्यह्रास लगाया गया है जिससे तत्कालीन एअर इंडिया की बहियों में संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन को ध्यान में रखते हुए लेखांकित किया गया है। • 70,97,88,045.11/– रुपये की राशि की इन्वेंटरी को एइर इंडिया द्वारा एआई एसेट होल्डिंग कंपनी को अंतरित कर दिया गया है। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की ओर से एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी की बहियों में समान रखा गया है। लेखों के नोट संख्या 26 का संदर्भ लें।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रति उत्तर
	6) इसके अलावा, भारत सरकार के निर्णय की तर्ज पर, विनिवेश के निर्णय की तारीख को तत्कालीन एआईएल की बहियों में 21,175.63 मिलियन रूपये की राशि को एआईईएसएल से तत्कालीन एआईएल को अंतरित किया गया है।	
2.	भारत सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से विनिवेश के बाद, एआईईएसएल के पात्र स्थायी कर्मचारियों सहित एअर इंडिया लिमिटेड के पात्र स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ सुविधा को मंजूरी दी है। योजना के अनुसार, इस योजना के तहत सभी व्यय बजटीय प्रावधानों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।	• नागर विमानन मंत्रालय का दिनांक 16 फरवरी 2022 का पत्र जिसमें कहा गया है कि एअर इंडिया के विनिवेश के मद्देनजर, सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रबंधन द्वारा सरकार से, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले एआई लाभार्थियों (एआईईएसएल के पात्र स्थायी कर्मचारियों सहित) को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराई जाएगी। • वित्तीय वर्ष 2021–2022 में पात्र कर्मचारियों के लिए बहियों में बीमांकिक आधार पर चिकित्सा व्यय का प्रावधान नहीं किया गया है। • तुलनपत्र में कर्मचारी लाभ के प्रावधानों में शामिल चिकित्सा देयता को दिनांक 31.03.2022 को तुलनपत्र में 233.42 करोड़ रुपये की सीमा तक बढ़ा दिया गया है। लेखों के नोटों के नोट संख्या 33(ख)(ii) का संदर्भ लें।

वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी को तैयार करने का उत्तदायित्व कंपनी के निदशेक मंडल का है। अन्य जानकारी में बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तदायित्व रिपोर्ट, निगमित शासन तथा शेयरधारकों से संबंधित जानकारी शामिल है, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम इस पर किसी प्रकार का समापन आश्वासन प्रस्तुत नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

हमारे कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अन्य जानकारी में वस्तुतः असंगतता है तो हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करना होगा। इस मामले में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरादयित्व

अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण मानकों के अनसुरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह

का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन लागू करना, युक्तियुक्त तथा विवेकाधिकार निर्णय लेना एवं प्राक्कलन करना, सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाने वाले तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलती के परे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखाकरण रिकार्डों की यथार्थता तथा परिपूर्णता के सुनिश्चय के लिए प्रभावी तौर पर प्रचलित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव भी शामिल है।

जब तक की निदेशक मंडल या तो कंपनी का परिसमापन करने या फिर प्रचालन बंद करने के लिए इच्छुक न हो अथवा ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न होने तक वित्तीय विवरण तैयार करने में गोईंग कंन्सर्न के रुप में कंपनी की योग्यता को बनाए रखने का निर्धारण, गोईंग कंन्सर्न से संबंधित यथा लागू मामलों का प्रकटन तथा लेखाकरण के गोईंग कंन्सर्न आधार का उद्योग करने के लिए निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

धोखाधड़ी अथवा कपट के कारण वित्तीय विवरण संपूर्णतः तथ्यपरक गलती से परे है, इसके बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना तथा एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना हमारा उद्देश्य है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लेखाकरण के मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा महत्वपूर्ण तथ्यपरक गलती होने का हमेशा पता लगाएगी। तथ्यपरक गलती धोखा अथवा त्रुटि के कारण हो सकता है तथा महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल अथवा सामूहिक तौर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों पर युक्तियुक्त रुप से प्रभाव डाल सकता है।

लेखा मानकों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षक के रुप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा लेखापरीक्षा के आरंभ से अंत तक व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हमारे द्वारा नीचे उल्लिखित कार्य भी पूरे किए जाते हैः

- वित्तीय विवरणों की, कपट अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलतियों की पहचान तथा ज़ोखिमों का निर्धारण करना, उन ज़ोखिमों के प्रत्युत्तरदायिता में लेखापरीक्षा को डिज़ाईन तथा निष्पादित करना एवं लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। कपट के परिणामस्वरुप होने वाली तथ्यपरक गलती के पता न लगाए जाने की ज़ोखिम की तुलना में अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, ज़ालसाज़ी, इरादतन चूक, अन्यथा–कथन अथवा नियंत्रण का अभिभाव समाहित हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरुप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाईन किया जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3)(i) के अधीन कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के स्थापित होने तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविता पर राय प्रकट करने के लिए भी हम उत्तरदायी है।

- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन प्राक्कलनों तथा संबंधित प्रकटनों की युक्तियुक्तता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के गोइंग कर्न्सन आधार का प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर गोइंग कर्न्सन के तौर पर कंपनी के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकने वाली घटनाओं अथवा शर्तों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है अथवा नहीं इसका निष्कर्ष निकालना हमारे द्वारा महत्वपूर्ण अनिश्चितता के होने का निष्कर्ष निकाले जाने पर वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अथवा ऐसे प्रकटनों के अपर्याप्त होने की स्थिति में हमारी राय रुपांतरित करना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं अथवा शर्तें गोइंग कंर्न्सन के तौर पर कंपनी का बने रहना समाप्त करा सकेगी।

- प्रकटनों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण, संरचना तथा विषय–वस्तु तथा वित्तीय विवरण मूलाधार संव्यवहारों एवं घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के तौर पर दर्शाते हैं अथवा नहीं इसका मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरणों में ऐसे गलत विवरण शामिल है जो अकेले या सामूहिक रूप से, वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकारी रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। हम (i) लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र को निर्धारित करने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी तथ्यपरक गलतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री तथा गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान देते है।

अन्य मामलों के अलावा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा आंतरिक नियंत्रण में पहचान की गई कुछ महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्य–क्षेत्र तथा समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में हम शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है, उनके साथ संप्रेषण करते है।

शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें हम स्वंतत्रता के बारे में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे द्वारा संकलित किया गया एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं तथा हमारे स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त रुप से दबाव डाल सकने वाले सभी संबंधित तथा अन्य मामले एवं जहां लागू हो, संबंधित संरक्षोपाय उन सभी को संप्रेषित करते हैं।

शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें संप्रेषित मामलों में से विद्यमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे उनका हम निर्धारण करते हैं तथा इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन हमारे द्वारा तब तक किया जाता है जब तक कि विधि अथवा विनियम द्वारा मामले पर सार्वजनिक प्रकटन प्रतिबाधित न किया जाए अथवा तथा जब अत्यंत विरल परिस्थितियों में हमारे द्वारा निर्धारण किया जाता है कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हितलाभों से युक्तियुक्त तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होने की अपेक्षा होती है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा यथापेक्षित हम **अनुबंध–क** में लागू होने की सीमा तक आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

ख) जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं।

ग) तुलन–पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही के साथ हैं।

घ) हमारी राय में, पूर्वकथित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ड़) सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों से, निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05/06/2015 के परिपत्र संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी को छूट प्राप्त है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के संबंध में **"अनुबंध–ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें और हमारी रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर अपरिवर्तित मत प्रकट करती है।

छ) एमसीए के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,

ज) हमें खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली है, इसलिए हम इस पैरा के तहत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सिवाय इस रिपोर्ट के पैरा और अनुबंध–ख में बताए गए कुछ अवलोकनों को छोडकर।

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :–

i. कंपनी ने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणो ं पर नोट 27 देखें;

ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि ठको ं पर कोई पूर्वानुमानित महत्वपूर्ण हानि नहीं है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।

iv. क) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस आशय के साथ, चाहे लिखित

रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कोई भी निधि अग्रिम या उधार के रूप में या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या धन से), कि मध्यस्थ,

- वित्तपोशण पक्ष द्वारा या उनकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (अंतिम मध्यस्थ), या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान रूप में प्रदान करना, तथा

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई निधि प्राप्त नहीं की है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी,

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष या उसकी ओर से किसी भी तरीके (अंतिम मध्यस्थ) में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें।
- अंतिम लाभार्थीय से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान प्रकार की निधि प्रदान करें।

ग) उक्त परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उचित मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड iv (क) और iv (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है, इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं है।

ट. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में हम रिपोर्ट करते है कि :–

क) क्या कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है?

यदि हां, लेखा कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर संसाधित करने का, वित्तीय प्रभावों सहित, लेखा आकलन पर होने वाले परिणाम को, यदि कोई हो, बताया जाए।

हां, निम्नलिखित के अलावा, कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था हैः–

- लेखों के रखरखाव के लिए कंपनी के पास एसएपी है। पास की गई अधिकांश प्रविष्टियों के साथ सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए है। इसके बारे में प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- सृजित लेखांकन कोडों का प्रयोग अंतिम प्रयोक्ता द्वारा उपयुक्त रूप से किया जाएगा। सही शीर्षों में प्रविष्टियों का लेखांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि प्रविष्टियों के शुद्धिकरण से बचा जा सके।

- इंटर कंपनी शेष के बकाया राशि पर ब्याज के परिकलन की कोई पद्धति कंपनी में नहीं है। इसे मैनुअली किया जाता है।

ख) क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा विद्यमान ऋण या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि का अधित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामलों की पुनःसंरचना की गई है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। अतः वर्ष के दौरान ऋणदाता द्वारा ऋण/कर्ज/ब्याज आदि का अभित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामला नहीं है।

ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई प्राप्त/प्राप्य निधि नहीं है।

कृते और की ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002438C

हस्ता/–
सीए प्रतिभा शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन– 22400755BAKAUC1412

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20–10–2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–क

हमारी समतिथिक रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत पैरा–I में संदर्भित

(i) (क) i) कंपनी अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और मूर्त संपत्ति की स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दर्शाए गया हैं,

ii) कंपनी के स्वामित्व में कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए इससे संबंधित पैरा लागू नहीं होते हैं।

(ख) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास दो वर्ष में एक बार मूर्त संपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया विद्यमानप है। मूर्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन सनदी लेखाकारों की एक पेशेवर फर्म द्वारा किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मूर्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, लेकिन लेखाबहियों में परिणामी प्रभाव नहीं दिया गया है। लेखों के नोटों के नोट संख्या 30(क) का संदर्भ लें।

(घ) अचल संपत्तियों से संबंधित शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जो कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित पट्टा समझौते के साथ कंपनी द्वारा पट्टे पर दिए गए हैं), वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

(ड.) अचल संपत्तियों से संबंधित शीर्षक विलेखों का ब्यौरा, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, निम्नानुसार हैः–

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर धारित है	चाहे प्रमोटर, निदेशक या उनका संबंधी या कर्मचारी हो	धारण की अवधि – रेंज दर्शाएं जहां उपयुक्त हो	कंपनी के नाम पर धारण न करने का कारण*
क. भूमि	180.00	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	08.04.2022	वित्तीय विवरणों के नोट 2.1 का संदर्भ लें
ख. भवन	2634.45	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	08.04.2022	वित्तीय विवरणों के नोट 2.1 का संदर्भ लें
ग. जेट 9डी टेस्ट हाउस	10.42	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	01.04.2019	वित्तीय विवरणों के नोट 2.2 का संदर्भ लें

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया दो वर्ष में एक बार की जाती है। लेकिन प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इसलिए, हम प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हम दरसूची के प्रत्येक वर्ग के लिए समग्र रूप से लेखाबहियों में इसके परिणामी प्रभाव पर 10 प्रतिशत या उससे अधिक की किसी भी विसंगतियों पर टिप्पणी करने में भी असमर्थ हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान चालू संपत्ति की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(1)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों को रक्षित या अरक्षित निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) से (च) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक और किसी अन्य पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है और कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लागू होने वाली सीमा तक किसी भी जमा राशि या धनराशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जनता से जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) (क) कंपनी की लेखाबहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमने देखा है कि कंपनी, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री–कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और टीडीएस, जीएसटी और भविष्य निधि को छोड़कर उपयुक्त अधिकारियों को कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित थी। कंपनी ने इस तरह के सभी अविवादित बकायों को वर्ष के अंत तक चुका दिया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात 31 मार्च 2022 को देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की बकाया सांविधिक बकाया राशि निम्नानुसार हैः

सांविधिक देय रशियां की प्रकृति	दिनांक 31 मार्च 2022 को 6 माह से अधिक के लिए बकाया राशि (मिलियन रूपये में)
माल और सेवाकर	131.8
भविष्य निधि	0.3
टीडीएस	7.3
व्यावसायिक कर	0.1

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल न किए गए विदेशी व्यापार क्षेत्र के संबंध में वैधानिक बकाया, यदि कोई हो, चूंकि रिकॉर्ड संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों में बनाए रखा जाता है, जो सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि बकाया राशि समय पर जमा की गई है या नहीं ।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण कंपनी द्वारा वैधानिक देय राशि जमा नहीं की गई है।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	टीडीएस/ आयकर	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस प्रदान करने की तिथि	मांग राशि
1	2015–16	टीडीएस	10.02.2022	21.03.2022	4,85,129
2	2015–16	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	2,79,27,703
3	2015–16	आयकर	28.12.2017	03.01.2018	-
4	2016–17	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	4,31,39,528
5	2017–18	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	6,22,86,454
6	2017–18	आयकर	27.12.2019	27.12.2019	-
8	2018–19	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	18,45,77,891
10	2018–19	आयकर	12.07.2021	12.07.2021	-
11	2019–20	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	32,37,74,500
		कुल			64,21,91,205*

* उपरोक्त मांग पर धारा 220(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक का ब्याज 160.43 करोड़ रुपये होगा।

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व की अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था।

हालांकि, चालू वर्ष में 714.5 मिलियन रुपये की पूर्व अवधि के व्यय को लेखांकित किया गया है (लेखों के नोटों के नोट संख्या 28 को देखें)।

(ix) (क) कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की एक समग्र जांच पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि, प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की गई है।

(ड.) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, आदेश के खंड (ix) (ड.) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) (क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या आगे के पब्लिक ऑफर (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णत, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी पर वर्ष के दौरान ध्यानार्थ या रिपोर्ट किया गया कोई धोखाधड़ी या कोई भौतिक धोखाधड़ी कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) वर्ष के दौरान, लागत लेखापरीक्षक/सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट या हमारे द्वारा केन्द्रीय सरकार के कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–13 के तहत निर्धारित के रूप में फॉर्म एडीटी–4 में दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा गया है।

(xii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii)(क),(ख) और (ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xiii) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा–177 और 188 के अनुपालन में हैं, और इसके विवरणों को वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित है।

(xiv) (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं है।

(ख) हमारे द्वारा लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने तक, रिपोर्ट का अनुपालन लंबित था और इसलिए वित्तीय विवरणों पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(xv) कंपनी ने अपने निदेशकों के साथ और अपने निदेशकों से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई भी गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, इस आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–1ए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश का खंड(xvi)(क) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों में परिभाषित अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) जैसा कि प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है, कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में निहित समूह की परिभाषा के अनुसार समूह के पास एक से अधिक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(xvii) कंपनी को चालू वर्ष में और तत्काल पूर्व के पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है। तुलन पत्र की तिथि को, मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां जब भी वे देय हों, कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

(xx) (क) कंपनी को अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx) और (बी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते और की ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002438C

हस्ता/–
सीए प्रतिभा शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन– 22400755BAKAUC1412

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20–10–2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर समतिथिक हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(च) में संदर्भित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (क) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं– अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोटिंर्ग (मार्गदर्शी नोट) पर आतंरिक वित्तीय नियत्रंणों की लखेापरीक्षा की मागर्दर्शी नोट तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसरण में की है, जिन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन माना जाता है एवं दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं तथा दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस तरह योजनाबद्ध तथा निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा बनाए रखने एवं ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंधों में प्रभावी रूप से क्रियाशील होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी क्रियाशील प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, विमान महत्वपूर्ण कमी की जोख़िम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोख़िम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन तथा क्रियाशील प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है। वित्तीय विवरणों में धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोख़िम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अभिप्रेत है, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए डिज़ाईन की गई प्रक्रिया। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित होते हुए युक्तिसंगत वर्णन के साथ यथार्थ तथा स्पष्ट रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों का संव्यवहार तथा स्थिति दर्शाती है। (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक संव्यवहार रिकार्ड किए गए है तथा केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसरण में ही कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय किए जा रहे हैं, ऐसा उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं। (3) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम का समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

दुर्भिसंधि की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को हटाए जाने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या फिर कपट के परिणामस्वरूप विवरणों में व्यापक गलती हो सकती है तथा उनका पता नहीं चल सकता। आगे की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की कोई भी वास्तविकता इस जोख़िम के अधीन होती है कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो सकते है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता अथवा मात्रा में अवनति हो सकती है।

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2022 को निम्नलिखित कमियों की पहचान की गई :

i) कंपनी के पास, प्रविष्टियों के समय पर लेखाकरण, की कोई प्रभावी प्रणाली विद्यमान नहीं थी ताकि लेखांकन प्रविष्टियों के दोहरीकरण/शुद्धिकरण को रोका जा सके।

ii) बेहतर नियंत्रण प्रक्रिया के लिए मेकर चेकर प्रक्रिया होनी चाहिए।

iii) एसएपी में अधिकांश प्रविष्टियां और अन्य समूह कंपनियों द्वारा वहन किए गए खर्चों से संबंधित प्रविष्टियां और फिर कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई प्रविष्टि की वैधता की जांच करने के लिए कोई समर्थन नहीं था।

iv) कंपनी के पास अन्य पक्षों के साथ शेष राशि के मिलान की प्रभावी प्रणाली नहीं थी।

v) कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन अभी भी लंबित है और इसलिए, हम बहियों में किसी परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारा सुझाव है कि आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुपालन के साथ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाए।

सामग्रीगत कमी

''सामग्रीगत कमी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटाकें पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंण पर आधारित दिनांक 31 मार्च 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त और कुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण किया है।

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और ये सामग्रीगत खामियां ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते और की ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002438C

हस्ता/–
सीए प्रतिभा शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन– 22400755BAKAUC1412

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20–10–2022

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के लेखों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए निदेशों का अनुपालन किया है।

प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002438C

हस्ता/–
(प्रतिभा शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 400755

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20–10–2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
विषय पर बल	
1. कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति के गठन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4), धारा 177 और धारा 178 की छूट के लिए लोक उद्यम विभाग को दिनांक 01.09.2020 को पत्र लिखा है। लोक उद्यम विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हेतु कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना सं. 839 (ड.) के तहत छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), धारा 177 एवं धारा 178 के तहत क्रमशः स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति के गठन एवं नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में छूट के लिए लोक उद्यम विभाग को दिनांक 01.09.2020 को पत्र लिखा गया है। लोक उद्यम विभाग से अभी उत्तर प्रतीक्षित है।
2. ख) इन्वेंटरी को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। क) इन्वेंटरी पर भारतीय लेखा मानक 2 के पैरा 9 के अनुसारः इन्वेंटरी का मापन लागत या प्राप्य निवल मूल्य पर किया जाना है। वर्ष के दौरान कंपनी ने इन्वेंटरी का मूल्यांकन तुलनात्मक औसत लागत पर किया है। वर्ष के अंत में इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार नहीं किया गया है। अतः हम उसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।	इस संबंध में, चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यापक प्रयास किए जाएंगे और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ और आंतरिक तकनीकी और वित्त कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। भौतिक सत्यापन और इन्वेंट्री मदों की स्थिति के मूल्यांकन के बाद विषय के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
3. कंपनी ने कुछ खर्चों का लेखाकरण करते हुए और खर्चों का प्रावधान करते हुए स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की है। इस गैर–अनुपालन के प्रभाव को निश्चित नहीं किया गया है।	अनुमान के आधार पर प्रावधान किए गए हैं और वास्तविक इनवॉइस भिन्न हो सकता है और कंपनी के पास दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच के बाद और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात भुगतान जारी करने की नीति है। इसलिए प्रावधान पर टीडीएस जमा करने का अर्थ है, टीडीएस के रूप में उस सीमा तक भुगतान जारी करना, इस प्रकार टीडीएस की कटौती सटीक नहीं होगी। हालांकि, इनवॉइस की प्रक्रिया के समय लागू दरों पर टीडीएस की कटौती की जाती है।
4. कंपनी ने इंटर कंपनियों के औसत शेष पर देय/प्राप्य ब्याज की गणना की है। कंपनी ने विभिन्न इंटर कंपनियों के साथ एमएसए के अनुसार ब्याज की गणना नही की है।	कंपनियों के समूह के शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रारंभिक और अंतिम शेष के औसत के आधार पर ब्याज लगाया गया है। समूह की कंपनियों द्वारा इस प्रक्रिया का निरंतर पालन किया गया है। एमएसए में आवश्यक संशोधनों को निष्पादित किया गया है और संबंधित कंपनियों को सूचित किया गया है।
5. कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि पर इंड एएस 36 का अनुपालन नहीं किया है।	वर्ष के दौरान, अधिग्रहीत अचल संपत्ति में एअर इंडिया से एमआरओ नागपुर के लिए 542 करोड़ शामिल हैं। एमआरओ, नागपुर संपत्ति के लिए हानि का आवश्यक परीक्षण चालू वर्ष के दौरान किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई, चालू वर्ष के दौरान निष्पादित की जाएगी।

6. क) कुछ नियंत्रण खाता बही सहित कर्मचारियों से वसूली योग्य और कुछ देय राशि के गैर–मिलानयुक्त मदों समायोजन और मिलान प्रक्रिया में है।	क) वित्तीय वर्ष 2022–23 की तीसरी और चौथी तिमाही में समाधान और उपयुक्त समायोजन के लिए कार्रवाई की जाएगी। विषय, विशिष्ट रूप से, 10.41 करोड़ के डेबिट शेष से संबंधित विषय को स्व–अंशदायी अधिवर्षिता पेंशन योजना के तहत दर्शाया गया है। चालू वर्ष के दौरान इस राशि को एआईईएसएल या एआईएएचएल द्वारा अवशोषित किए जाने की संभावना है। इस राशि को एअर इंडिया को हस्तांतरित करने के भी प्रयास किए जाएंगे क्योंकि एअर इंडिया से अंतर–कंपनी अंतरण के कारण यह डेबिट शेष एआईईएसएल की बहियों में >3 वर्षों से प्रदर्शित है। इस बिंदु को विशेष रूप से विषय पर बल के मद संख्या 7. के माध्यम से रिपोर्ट किया गया है।
ख) व्यापार प्राप्य, प्राप्त जमा, भुगतान जमा और व्यापार देय पुष्टि के अधीन हैं। (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 29(i) का संदर्भ लें।)	ख) जैसा कि नोट 29(i) में बताया गया है, विक्रेताओं और ग्राहकों के साथ समायोजन की प्रक्रिया प्रगति पर है। चालू वर्ष के दौरान, शेष राशियों के समायोजन और पुष्टि का कार्य प्रगति पर है।
ग) कंपनी राजस्व और स्रोत पर कर कटौती के समाधान की प्रक्रिया में है, जैसा कि वित्तीय लेखा में और यह 26 एएस के अनुसार है।	ग) पिछली बैठक के बाद से, टीडीएस के मिलान के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मार्च 2022 तक दायर किए गए एएस 26 बनाम/लेखाबही बनाम आईटीआर में प्रदर्शित होने वाले विवरणों का समाधान मार्च 2022 तक पूरा कर लिया गया है। इस विषय से संबंधित समायोजन, इसके आवश्यक सत्यापन के पश्चात दूसरी तिमाही/तीसरी तिमाही के दौरान लेखाबहियों में किया जाएगा।
घ) माल एवं सेवाकर (जीएसटी) और अन्य सांविधिक देय राशि, दायर किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ मिलान की प्रक्रिया में हैं।	घ) समायोजन की कार्रवाई, प्रगति पर है और तीसरी तिमाही तक इसमें महत्वपूर्ण प्रगति होने की संभावना है।
7. तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड, एआईईएसएल की ओर से स्व–अंशदायी पेंशन योजना के तहत भुगतान करती थी और इसकी वसूली कंपनी से की जाती थी और कंपनी की बहियों में 104.08 मिलियन डेबिट शेष राशि दिखाई दे रही है, जो समाधान के अधीन है। (खातों पर नोट के नोट संख्या 29 (ii) का संदर्भ लें।)	जैसा कि उपर्युक्त बिन्दु सं. 6 (क) में वर्णित है
8. कंपनी ने चरणबद्ध आधार परे पीपीई (दिल्ली) की संपत्ति टैगिंग सहित पीपीई के भौतिक सत्यापन के लिए सनदी लेखाकारों की एक पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है। विसंगतियों और अधिकता को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समायोजित/लेखाबद्ध किया जाएगा। (खातों की टिप्पणियों के नोट संख्या 30(क) का संदर्भ लें)।	जैसा कि उपर्युक्त बिंदु संख्या 2 में पहले ही उल्लेख किया गया है, इस संबंध में चालू वर्ष और आगामी वर्षों के दौरान पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार बाहरी और आंतरिक तकनीकी और वित्त कर्मियों और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करके आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
9. चालू वर्ष में 71.45 मिलियन रुपये की पूर्व अवधि व्यय को लेखांकित किया गया है। वर्ष 2020–2021 की बहियों का पुनर्कथन किया गया है और परिणामी समायोजन/प्रकटीकरण किया गया है। (खातों पर नोट के लिए नोट संख्या 28 देखें।)	यह पिछले वर्षों से संबंधित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को देय किराये के खर्चों के कारण है।

लेखापरीक्षा अवलोकन – प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें :–

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें, वे मामलें हैं, जो हमारे व्यवसायी निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थें। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में तथा उन पर हमारी राय बनाने में समग्र रुप से संबोधित किया गया था और इन मामलों पर हम अलग राय नहीं देते है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का प्रतिउत्तर	प्रबंधन का उत्तर
1. ऋण हानि इंड एएस के लिए कंपनी को मुख्य रूप से देनदारों वाली वित्तीय संपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) को पहचानने की आवश्यकता होती है, जिसमें कंपनी द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान शामिल होते हैं।	**सिद्धांत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** • इंड एएस के अनुसार, ऋणों और अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान की गणना करते समय 'उपगत हानि' दृष्टिकोण से 'प्रत्याशित हानि' दृष्टिकोण में बदलाव है। • हमने ईसीएल गणनाओं पर विश्वास किया है, जो एक विशेषज्ञ/बाहरी एजेंसी द्वारा की गई थी। • महत्वपूर्ण डेटा की सटीकता और पूर्णता की समीक्षा की गई। • ईसीएल की गणना प्रणाली संतोषजनक पाई गई। • देखें लेखा नीति संख्या 11(ए) (v)______	यह एक तथ्यात्मक विवरण है यह एक तथ्यात्मक विवरण है यह एक तथ्यात्मक विवरण है यह एक तथ्यात्मक विवरण है
2. (1) तत्कालीन एअर इंडिया (एआई) के विनिवेश पर नीति आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत और तत्पश्चात विनिवेश पर सचिवों के प्रमुख समूह (सीजीडी) की सिफारिशों के दृष्टिगत आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28 जून 2017 को आयोजित अपनी बैठक में तत्कालीन एअर इंडिया समूह के नीतिगत विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था। 2) सीसीईए ने सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) का भी गठन किया। 3) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2019 में नाम और शैली के तहत एसपीवी के गठन के लिए एक पूर्व–कार्यात्मक मंजूरी दी गई थी, जिसे अब एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के रूप में जाना जाता है, जो संचित कार्यशील पूंजी ऋण के भंडारण के लिए चार सहायक कंपनियों अर्थात एआईएएसएल, एएएएएल, एआईईएसएल, एचसीआई, पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स और अन्य गैर प्रचालनिक परिसंपत्तियों के साथ किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है।	● हमने एअर इंडिया लिमिटेड और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के बीच दिनांक 10 जनवरी 2022 को निष्पादित शेयर क्रय करार प्राप्त किया है। ● एअर इंडिया लिमिटेड ने एअर इंडिया लिमिटेड और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के बीच दिनांक 10 जनवरी 2022 को निष्पादित शेयर क्रय करार के तहत 16,66,66,500 इक्विटी शेयरों का अंतरण एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को किया है। ● तत्कालीन एअर इंडिया ने नागपुर एमआरओ सुविधा को एआई एसेट होल्डिंग कंपनी को 674,00,19,040.85 रुपये में स्थानांतरित कर दिया है। एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी ने शीर्षक वाली संपत्तियों को कंपनी को हस्तांतरित कर दिया है। कंपनी सकल ब्लॉक के रूप में वर्ष 2021–2022 के दौरान 674,00,19,040.85 रूपये की धनराशि ले चुकी है और उस पर मूल्यह्रास लगाया गया है जिससे तत्कालीन एअर इंडिया की बहियों में संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन को ध्यान में रखते हुए लेखांकित किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है यह एक तथ्यात्मक विवरण है यह एक तथ्यात्मक विवरण है

4) सहायक कंपनियों में निवेश के हस्तांतरण के एआईएसएएम के निर्णय के अनुसार, कंपनी (एआईईएसएल) के शेयरों को तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड से बही मूल्य पर एआईएएचएल को स्थानांतरित किया जा रहा था। तदनुसार, एआईईएसएल के शेयरों के हस्तांतरण के लिए तत्कालीन एआईएल और एआईएएचएल के बीच शेयर क्रय समझौता (एसपीए) को दिनांक 10 जनवरी, 2022 को निष्पादित किया गया था। 5) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार और एसपीए के अनुसार, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता तत्कालीन एआईएल से एआईएएचएल को हस्तांतरित कर दी गई है और कंपनी के बोर्ड का भी पुनर्गठन किया गया है और कंपनी के शेयरों को दिनांक 12 जनवरी, 2022 से एआईएएचएल को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके परिणामस्रूप, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल), एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की नई मूल कंपनी / होल्डिंग कंपनी बन गई है। 6) इसके अलावा, भारत सरकार के निर्णय की तर्ज पर, विनिवेश के निर्णय की तारीख को तत्कालीन एआईएल की बहियों में 21,175.63 मिलियन रूपये की राशि को एआईईएसएल से तत्कालीन एआईएल को अंतरित किया गया है।	• 70,97,88,045.11/– रुपये की राशि की इन्वेंटरी को एअर इंडिया द्वारा एआई एसेट होल्डिंग कंपनी को अंतरित कर दिया गया है। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की ओर से एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी की बहियों में समान रखा गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
3. भारत सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से विनिवेश के बाद, एआईईएसएल के पात्र स्थायी कर्मचारियों सहित एअर इंडिया लिमिटेड के पात्र स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ सुविधा को मंजूरी दी है। योजना के अनुसार, इस योजना के तहत सभी व्यय बजटीय प्रावधानों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।	• नागर विमानन मंत्रालय का दिनांक 16 फरवरी 2022 का पत्र जिसमें कहा गया है कि एअर इंडिया के विनिवेश के मद्देनजर, सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रबंधन द्वारा सरकार से, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले एआई लाभार्थियों (एआईईएसएल के पात्र स्थायी कर्मचारियों सहित) को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराई जाएगी। • वित्तीय वर्ष 2021–2022 में पात्र कर्मचारियों के लिए बहियों में बीमांकिक आधार पर चिकित्सा व्यय का प्रावधान नहीं किया गया है। • तुलनपत्र में कर्मचारी लाभ के प्रावधानों में शामिल चिकित्सा देयता को दिनांक 31.03.2022 को तुलनपत्र में 233.42 करोड़ रुपये की सीमा तक बढ़ा दिया गया है। • लेखों के नोटों के नोट संख्या 33(ख)(ii) का संदर्भ लें।	निर्णय के आधार पर और उचित विचार–विमर्श के बाद 233.42 करोड़ रुपये वापस लिखे जाने या एआईएएचएल को सरेंडर करने की आवश्यकता है।

अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट : -	
1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथापेक्षित हम **अनुबंध–क** में लागू होने की सीमा तक आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
2. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं किः	
क) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ख) जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ग) तुलन–पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही के साथ हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
घ) हमारी राय में, पूर्वकथित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ड़) सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों से, निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05/06/2015 के परिपत्र संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी को छूट प्राप्त है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के संबंध में **"अनुबंध–ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें और हमारी रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर अपरिवर्तित मत प्रकट करती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
छ) एमसीए के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
ज) हमें खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली है, इसलिए हम इस पैरा के तहत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सिवाय इस रिपोर्ट के पैरा और अनुबंध–ख में बताए गए कुछ अवलोकनों को छोड़कर।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
झ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः–	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
i. कंपनी ने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों पर नोट 27 देखें;	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि ठकों पर कोई पूर्वानुमानित महत्वपूर्ण हानि नहीं है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
iv. क) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस आशय के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कोई भी निधि अग्रिम या उधार के रूप में या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या धन से), कि मध्यस्थ	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
• वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उनकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (अंतिम मध्यस्थ), या	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
• अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान रूप में प्रदान करना, तथा	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई निधि प्राप्त नहीं की है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी,	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
• प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष या उसकी ओर से किसी भी तरीके (अंतिम मध्यस्थ) में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
• अंतिम लाभार्थीय से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान प्रकार की निधि प्रदान करें।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
ग) उक्त परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उचित मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड iv (क) और iv (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है, इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में हम रिपोर्ट करते है कि :– क) क्या कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, लेखा कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर संसाधित करने का, वित्तीय प्रभावों सहित, लेखा आकलन पर होने वाले परिणाम को, यदि कोई हो, बताया जाए। हां, निम्नलिखित के अलावा, कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है:– • लेखों के रखरखाव के लिए कंपनी के पास एसएपी है। पास की गई अधिकांश प्रविष्टियों के साथ सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए है। इसके बारे में प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।	बाहरी स्थानों पर पारित प्रविष्टियों के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न हैं। हालाँकि, ये हार्ड कॉपी में उपलब्ध हैं और लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत किए गए हैं। इसे दिल्ली के लिए भी संलग्न करने का प्रयास किया जाएगा।

• कंपनी पेरोल के रखरखाव और संरक्षण के लिए आंशिक रूप से सूचना प्रणाली का उपयोग करती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
• सृजित लेखांकन कोडों का प्रयोग अंतिम प्रयोक्ता द्वारा उपयुक्त रूप से किया जाएगा। सही शीर्षों में प्रविष्टियों का लेखांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि प्रविष्टियों के शुद्धिकरण से बचा जा सके।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
• इंटर कंपनी शेष के बकाया राशि पर ब्याज के परिकलन की कोई पद्धति कंपनी में नहीं है। इसे मैनुअली किया जाता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
ख) क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा विद्यमान ऋण या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि का अधित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामलों की पुनःसंरचना की गई है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। अतः वर्ष के दौरान ऋणदाता द्वारा ऋण/कर्ज/ब्याज आदि का अभित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामला नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई प्राप्त/प्राप्य निधि नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
लेखापरीक्षा अवलोकन	
स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध–क	
उपर उल्लिखित रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत पैरा–I में संदर्भित	
(i) (क) कंपनी अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और मूर्त संपत्ति की स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दर्शाए गया हैं,	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ii) कंपनी के स्वामित्व में कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए इससे संबंधित पैरा लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ख) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास दो वर्ष में एक बार मूर्त संपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया विद्यमानहै। मूर्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन सनदी लेखाकारों की एक पेशेवर फर्म द्वारा किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मूर्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, लेकिन लेखाबहियों में परिणामी प्रभाव नहीं दिया गया है। लेखों के नोटों के नोट संख्या 30 (क) का संदर्भ लें।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(घ) अचल संपत्तियों से संबंधित शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जो कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित पट्टा समझौते के साथ कंपनी द्वारा पट्टे पर दिए गए हैं), वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए कंपनी के नाम पर नहीं हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ड.) अचल संपत्तियों से संबंधित शीर्षक विलेखों का ब्यौरा, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, निम्नानुसार हैः–	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। उक्त संपत्तियां बिंदु सं. 1 और 2 एमआरओ नागपुर की परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) से दिनांक 31 मार्च, 2021 को बही मूल्य पर बही अंतरण किया गया है।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर धारित है	चाहे प्रमोटर, निदेशक या उनका संबंधी या कर्मचारी हो	धारण की अवधि – रेंज दर्शाएं जहां उपयुक्त हो	कंपनी के नाम पर धारण न करने का कारण'
पीपीई					
क. भूमि	180.00	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	08.04.2022	वित्तीय विवरणों के नोट 2.1 का संदर्भ लें
ख. भवन	2634.45	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	08.04.2022	वित्तीय विवरणों के नोट 2.1 का संदर्भ लें
ग. जेट 9डी टेस्ट आउस	10.42	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	01.04.2019	वित्तीय विवरणों के नोट 2.2 का संदर्भ लें

(उपर्युक्त तालिका)	इसके अलावा, बिंदु संख्या 3 जेट 9डी टेस्ट हाउस में उल्लिखित संपत्तियां का निर्माण मुंबई में तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है और दिनांक 1.04.2019 को 10.42 मिलियन रुपये के वहन मूल्य पर एआईईएसएल को अंतरित की गई है।
(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया दो वर्ष में एक बार की जाती है। लेकिन प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इसलिए, हम प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हम दरसूची के प्रत्येक वर्ग के लिए समग्र रूप से लेखाबहियों में इसके परिणामी प्रभाव पर 10 प्रतिशत या उससे अधिक की किसी भी विसंगतियों पर टिप्पणी करने में भी असमर्थ हैं।	यह वास्तव में, एआईईएसएल की कार्रवाई का एक कमजोर क्षेत्र है और इस संबंध में वर्तमान वर्ष के साथ–साथ बाद के वर्षों के दौरान पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, बाहरी और आंतरिक तकनीकी के साथ–साथ वित्त कर्मियों और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करके आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान चालू संपत्ति की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों को रक्षित या अरक्षित निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) से (च) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक और किसी अन्य पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है और कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

(v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लागू होने वाली सीमा तक किसी भी जमा राशि या धनराशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जनता से जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

(vii) (क) कंपनी की लेखाबहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमने देखा है कि कंपनी, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री–कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और टीडीएस, जीएसटी और भविष्य निधि को छोड़कर उपयुक्त अधिकारियों को कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित थी। कंपनी ने इस तरह के सभी अविवादित बकायों को वर्ष के अंत तक चुका दिया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात 31 मार्च 2022 को देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की बकाया सांविधिक बकाया राशि निम्नानुसार हैः

सांविधिक देय रशियां की प्रकृति	दिनांक 31 मार्च 2022 को 6 माह से अधिक के लिए बकाया राशि (मिलियन रूपये में)
माल और सेवाकर	131.8
भविष्य निधि	0.3
टीडीएस	7.3
व्यावसायिक कर	0.1

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल न किए गए विदेशी व्यापार क्षेत्र के संबंध में वैधानिक बकाया, यदि कोई हो, चूंकि रिकॉर्ड संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों में बनाए रखा जाता है, जो सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि बकाया राशि समय पर जमा की गई है या नहीं ।

देय	रूपये मिलियन में
जीएसटी	16.87 करोड रुपये (6 महीने से कम सहित) की सीमा तक जीएसटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए प्रावधान दिनांक 31.03. 2022 को बना हुआ है। अभी तक, आज की तिथि तक 70 लाख का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि का भुगतान भी विभाग द्वारा मांगे जाने पर किया जा रहा है क्योंकि ब्याज की कोई चक्रवृद्धि नहीं है।
पीएफ	यह कुछ कर्मचारियों से संबंधित है जिनके लिए अभी यूएएन नंबर सृजित किया जाना है।
टीडीएस	जमा की गई राशि
कर	जमा की गई राशि

जीएसटी और टीडीएस से संबंधित बकाया राशि पहले के विलंबित भुगतानों पर ब्याज/शुल्क के कारण है। भुगतान नीचे सारणीबद्ध रूप में किए गए हैः

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण कंपनी द्वारा वैधानिक देय राशि जमा नहीं की गई है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टीडीएस/आयकर	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस प्रदान करने की तिथि	मांग राशि
1	2015–16	टीडीएस	10.02.2022	21.03.2022	4,85,129
2	2015–16	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	2,79,27,703
3	2015–16	आयकर	28.12.2017	03.01.2018	
4	2016–17	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	4,31,39,528
5	2017–18	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	6,22,86,454
6	2017–18	आयकर	27.12.2019	27.12.2019	
7	2018–19	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	18,45,77,891
8	2018–19	आयकर	12.07.2021	12.07.2021	
9	2019–20	टीडीएस	17.03.2020	19.03.2020	32,37,74,500
		कुल			**64,21,91,205***

* उपरोक्त मांग पर धारा 220(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक का ब्याज 160.43 मिलियन रुपये होगा।

कंपनी ने कर अधिकारियों द्वारा जारी की गई मांग के विरूद्ध अपील दायर की है। कंपनी की राय है कि निर्णय, कंपनी के पक्ष में होगा। हालाँकि, विवेक के मामले में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व की अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था। हालांकि, चालू वर्ष में 71.45 मिलियन रुपये की पूर्व अवधि के व्यय को लेखांकित किया गया है (लेखों के नोटों के नोट संख्या 28 को देखें)।	यह पिछले वर्षों से संबंधित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को देय किराये के खर्चों के कारण है
(ix) (क) कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की एक समग्र जांच पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि, प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की गई है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ड.) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, आदेश के खंड (ix)(ड.) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(x) (क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या आगे के पब्लिक ऑफर (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णत, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी पर वर्ष के दौरान ध्यानार्थ या रिपोर्ट किया गया कोई धोखाधड़ी या कोई भौतिक धोखाधड़ी कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ख) वर्ष के दौरान, लागत लेखापरीक्षक/सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट या हमारे द्वारा केन्द्रीय सरकार के कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–13 के तहत निर्धारित के रूप में फॉर्म एडीटी–4 में दर्ज नहीं की गई है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(ग) हमने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(xii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii)(क),(ख) और (ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

(xiii)	संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा–177 और 188 के अनुपालन में हैं, और इसके विवरणों को वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(xiv)	(क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं है। (ख) हमारे द्वारा लेखापरीक्षा अवधि के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने तक, रिपोर्ट का अनुपालन लंबित था और इसलिए वित्तीय विवरणों पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा गया है।	अब से आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी।
(xv)	कंपनी ने अपने निदेशकों के साथ और अपने निदेशकों से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई भी गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, इस आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(xvi)	(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश का खंड (xvi) (क) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	(ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों में परिभाषित अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	(घ) जैसा कि प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है, कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में निहित समूह की परिभाषा के अनुसार समूह के पास एक से अधिक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(xvii)	कंपनी को चालू वर्ष में और तत्काल पूर्व के पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(xviii)	वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(xix)	वित्तीय अनुपातों, वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है। तुलन पत्र की तिथि को, मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां जब भी वे देय हों, कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

(xx)	(क) कंपनी को अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिसे एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
(xxi)	कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
लेखापरीक्षा अवलोकन		
स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध–ख		
इन वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं दुर्भिसंधि की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को हटाए जाने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या फिर कपट के परिणामस्वरूप विवरणों में व्यापक गलती हो सकती है तथा उनका पता नहीं चल सकता। आगे की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की कोई भी वास्तविकता इस जोख़िम के अधीन होती है कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो सकते है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता अथवा मात्रा में अवनति हो सकती है। हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2022 को निम्नलिखित कमियों की पहचान की गई : i) कंपनी के पास, प्रविष्टियों के समय पर लेखाकरण, की कोई प्रभावी प्रणाली विद्यमान नहीं थी ताकि लेखांकन प्रविष्टियों के दोहरीकरण/शुद्धिकरण को रोका जा सके। ii) बेहतर नियंत्रण प्रक्रिया के लिए मेकर चेकर प्रक्रिया होनी चाहिए। iii) एसएपी में अधिकांश प्रविष्टियां और अन्य समूह कंपनियों द्वारा वहन किए गए खर्चों से संबंधित प्रविष्टियां और फिर कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई प्रविष्टि की वैधता की जांच करने के लिए कोई समर्थन नहीं था।		i) सभी वैधानिक बकायों के भुगतान की प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। अतीत में भुगतान और रिटर्न दाखिल करने में देरी, मुख्य रूप से धन की कमी के साथ–साथ जनशक्ति की कमी के कारण हुई है। ii) मेकर चेकर प्रक्रिया में सुधार के लिए उपयुक्त कार्रवाई प्रगति पर है। iii) पूर्व में, एअर इंडिया अंतर–कंपनी हस्तांतरण के माध्यम से खर्चों को स्थानांतरित करती थी क्योंकि अनुबंधों को केवल एआईएल द्वारा ही अंतिम रूप दिया जाता था। एअर इंडिया के विनिवेश के साथ, इस तरह की व्यवस्था समाप्त हो गई है और सभी खर्चों का लेखांकन सीधे एआईईएसएल द्वारा किया जाता है और अब कोई अंतर–कंपनी स्थानांतरण प्रविष्टियां नहीं की जाती हैं।

iv) कंपनी के पास अन्य पक्षों के साथ शेष राशि के मिलान की प्रभावी प्रणाली नहीं थी।	iv) ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों के साथ सुलह की कार्रवाई प्रगति पर है। चालू वर्ष के दौरान शेष राशि की और पुष्टि के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।
v) कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन अभी भी लंबित है और इसलिए, हम बहियों में किसी परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारा सुझाव है कि आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुपालन के साथ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाए।	v) अनुपालन के साथ–साथ आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों को रिपोर्ट करने की प्रणाली पहले से ही प्रचलित है। अब से आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी।
सामग्रीगत कमी ''सामग्रीगत कमी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
मत हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्‌देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंण पर आधारित दिनांक 31 मार्च 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त और कुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण किया है। हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और ये सामग्रीगत खामियां ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

31 मार्च 2022 को तुलनपत्र

(रूपये मिलियन में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को (पुनर्स्थापित)
परिसपत्तियाः			
1) गैर चालू परिसंपत्तियां			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	5,887.08	487.96
(ii) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	2	1,134.69	109.53
(iii) वित्तीय परिसंपत्तियां :			
क) अन्य वित्तीय संपत्तियां	3	0.06	0.06
iv) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	3,202.87	-
v) आयकर परिसंपत्तियां	10	-	-
		10,224.70	**597.55**
2) चालू परिसंपत्तियां			
i) इन्वेंटरियां	5	684.54	828.24
ii) वित्तीय परिसंपत्तियां:			
क) व्यापार प्राप्य	6	5,534.49	12,799.78
ख) नकद और नकद समतुल्य	7	2,569.40	4.83
ग) उपर्युक्त (ख) के अलावा अन्य बैंक शेष	8	1.00	33.75
घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	8.37	3.91
iii) चालू कर परिसंपत्तियां	10	1,085.04	780.72
iv) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	160.67	188.07
		10,043.51	**14,639.30**
कुल		**20,268.21**	**15,236.85**
इक्विटी और देयताएं :			
1 इक्विटी			
i) इक्विटी शेयर पूंजी	12	1,666.67	1,666.67
ii) अन्य इक्विटी	13	-15,481.79	-23,921.58
		-13,815.12	**-22,254.92**
2 देयताएं:			
गैर चालू देयताएं			
i) वित्तीय देयताएं			
क) उधार		-	-
ख) व्यापार देयताएं		-	-
ग) अन्य वित्तीय देयताएं	16	21,582.90	-
ii) अन्य चालू प्रावधान	14	6,415.01	6,645.63
iii) अन्य देयताएं		-	-
		27,997.91	**6,645.63**
चालू देयताएं			
i) वित्तीय देयताएं			
क) व्यापार देयताएं			
– एमएसएमई	15	35.84	36.23
– एमएसएमई के अलावा	15	4,044.71	6,094.44
ख) अन्य वित्तीय देयताएं	16	613.51	19,340.82
ii) चालू प्रावधान	17	1,369.11	2,668.03
iii) अन्य चालू देयताएं	18	22.26	2,706.62
		6,085.42	**30,846.14**
कुल		**20,268.21**	**15,236.85**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और	1	-	-
वित्तीय विवरण के भाग का सृजन करने वाले नोट	2-51		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

* त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 28 देखें।

कृते और उनकी ओर से

निदेशक मंडल के कृते और उनाकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 002438C

हस्ता./-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीआईएन 02055541

हस्ता./-
विमलेंद्र ए पटवर्धन
निदेशक
डीआईएन 08701559

हस्ता./-
प्रतिभा शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन : 22400755BAKAUC1412

हस्ता./-
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./-
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता./-
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण

(ईपीएस के अलावा रूपये मिलियन में)

विवरण	नोट सं.	2021—22	2020—21 (पुनर्स्थापित)*
आय			
1. प्रचालन से राजस्व	19	18,819.09	11,600.19
2. अन्य आय	20	246.13	255.24
3. कुल आय (1+2)		**19,065.21**	**11,855.43**
4. खर्च			
कर्मचारी लाभ व्यय	21	6,013.70	6,911.07
वित्त लागत	22	1,525.23	1,561.59
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	23	606.42	115.20
अन्य खर्चे	24	5,167.03	3,434.84
कुल खर्च		**13,312.39**	**12,022.69**
पूर्वावधि समायोजन के पश्चात कुल व्यय		**13,312.39**	**12,022.69**
5. अपवादात्मक मदों तथा कर पूर्व लाभ/(हानि) मदें और कर (3—4)		**5,752.82**	**-167.27**
6. असाधारण मदें	45	-	-
7. असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/ (हानि) (5+6)		**5,752.82**	**-167.27**
8. कर व्यय :			
i) वर्तमान कर		584.52	-
ii) न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स क्रेडिट पात्रता		583.16	-
iii) आस्थगित कर आय		2,619.71	-
9. अवधि के लिए कर पश्चात लाभ/(हानि)		**8,371.17**	**-167.27**
10. अन्य व्यापक आय			
परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)		68.62	215.21
कुल व्यापक आय		**8,439.79**	**47.94**
11. 10 रूपये के प्रति शेयर अर्जन			
मूल	25	**50.23**	**-1.00**
विलयित	25	**50.23**	**-1.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और	1		
वित्तीय विवरण के भाग का सृजन करने वाले नोट	2-51		

*त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 28 देखें।

कृते और उनकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 002438C

हस्ता./-
प्रतिभा शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन : 22400755BAKAUC1412

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2022

निदेशक मंडल के कृते और उनकी ओर से

हस्ता./-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीआईएन 02055541

हस्ता./-
विमलेंद्र ए पटवर्धन
निदेशक
डीआईएन 08701559

हस्ता./-
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./-
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता./-
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

(रूपये मिलियन में)

	विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
क.	**प्रचालनिक गतिविधियों से नकद प्रवाह विवरण**				
	करों और असाधारण मदों से पहले शुद्ध (हानि)/लाभ :		5,752.82		-167.27
	समायोजन हेतु :				
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	606.42		115.20	
	संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से लाभ शुद्ध/(हानि)	-		0.02	
	कॉल और सावधि जमा पर ब्याज	-4.09		-1.97	
	ब्याज व्यय	1,525.23		1,561.59	
	प्रावधान : अपेक्षित ऋण हानि के लिए	10.70		98.46	
	गैर वसूलीयोग्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	24.54		-	
	प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	27.01		-	
	शुद्ध निष्क्रीय विनिमय लाभ	36.52		19.50	
	कर्मचारी लाभ दायित्वों की पुनर्मापन	68.62		215.21	
	अन्य समायोजन	0.06	2,295.02	-	2,008.00
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन (हानि)/लाभ		**8,047.84**		**1,840.73**
	संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन				
	व्यापार और अन्य प्राप्तियां	7,218.07		14,037.23	
	व्यापार और अन्य देनदारियां	-2,050.13		-1,440.67	
	अन्य वित्तीय संपत्ति और अन्य संपत्ति	-441.00		326.28	
	अन्य वित्तीय देनदारियां और अन्य देनदारियां	-1,358.30	3,368.64	-13,162.55	-239.72
	संचालन से नकदी प्रवाह		11,416.48		1,601.02
	आयकर (भुगतान)/धनवापसीं		-300.00		-
	गतिविधियों से निकल नकद प्रवाह (प्रयुक्त)/परिचालन		**11,116.48**		**1,601.02**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	अचल संपत्तियों का अधिग्रहण	-7,030.77		-118.85	
	संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की बिक्री (शुद्ध)	-		-	
	ब्याज आय	4.09	-7,026.68	1.97	-116.87
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह		**-7,026.68**		**-116.87**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	ब्याज व्यय	-1,525.23		-1,561.59	
	वित्तीय गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह		**-1,525.23**		**-1,561.59**
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		2,564.57		-77.44
	नकद और नकद समतुल्य (प्रारंभिक शेष)		**4.83**		82.28
	नकद और नकद समतुल्य (अंतिम शेष)		**2,569.40**		**4.83**
	नकद और नकद समकक्षों का घटक				
	उपलब्ध धन	0.36		0.17	
	चालू खाते में शेष राशि	1,244.08		4.60	
	अन्य जमा खाता	1,324.97		-	
	उपलब्ध ड्राफ्ट/चेक	-	**2,569.40**	0.06	**4.83**

नकद प्रवाह विवरण : नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक 7 (इंडएएस–7) में निर्धारित ''अप्रत्यक्ष विधि'' के तहत तैयार किया गया है, और परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा वर्तमान नकदी प्रवाह।

कृते और उनकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 002438C

हस्ता./-
प्रतिभा शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन : 22400755BAKAUC1412

निदेशक मंडल के कृते और उनकी ओर से

हस्ता./-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीआईएन 02055541

हस्ता./-
विमलेंद्र ए पटवर्धन
निदेशक
डीआईएन 08701559

हस्ता./-
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./-
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता./-
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
	मिलियन में शेयरों की संख्या	रूपये मिलियन में	मिलियन में शेयरों की संख्या	रूपये मिलियन में
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				
जोडें : वर्ष के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-
घटाएं : पुनर्खरीद	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**166.67**	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**

रूपये मिलियन में

विवरण	अन्य इक्विटी (पुनर्स्थापित)		कंपनी के शेयरधारकों के प्रति कुल इक्विटर
	आरक्षित निधि और अतिरेक प्रतिधारित आमदनी	अन्य वृहत आय – आरक्षित निश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	
1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	**-23,969.52**	**-**	**-23,969.52**
पिछले वर्षों के आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव	-	-	**-**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	-95.82	-	**-95.82**
जमा/घटा : पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	-71.45	-	**-71.45**
अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	215.21	**215.21**
31 मार्च 2021 तक शेष	**-24,136.79**	**215.21**	**-23,921.58**
1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	-23,921.58	**-**	**-23,921.58**
पिछले वर्षों के आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव	-	-	**-**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	8,371.17	-	**8,371.17**
जमा/घटा : पूर्व अवधि समायोजन	-	-	**-**
अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	68.62	**68.62**
31 मार्च 2022 तक शेष	**-15,550.41**	**68.62**	**-15,481.79**

कृते और उनकी ओर से

निदेशक मंडल के कृते और उनकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 002438C

हस्ता./-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीआईएन 02055541

हस्ता./-
विमलेंद्र ए पटवर्धन
निदेशक
डीआईएन 08701559

हस्ता./-
प्रतिभा शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन : 22400755BAKAUC1412

हस्ता./-
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./-
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता./-
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां

नोट – 1

क. निगमित सूचना

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (भारत सरकार की कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीआईएनः U74210DL2004GOI125114 सहित बनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। दिनांक 03 अगस्त, 2020 को कंपनी ने अपना नाम एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से बदलकर एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड रखा है। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय एयरलाइन्स हाऊस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली और दिल्ली–110001 में स्थित है। कंपनी ने दिनांक 01 जनवरी 2015 से एमआरओ सेवाएं प्रदान करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया है। कंपनी, भारतीय और विदेशी थर्ड पार्टियों को मुख्यतः एअरलाइन को लाइन रखरखाव सेवाएं तथा एमआरओ सेवाएं भी प्रदान करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है।

ख. लेखांकन परिपाटी

कंपनी ने यह वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, वर्ष के लिए उस तिथि को समाप्त हुए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, तैयार किए है (साथ में इसके बाद वित्तीय विवरण कहलाए जाएंगे)।

i. अनुपालन का विवरण और तैयारी और प्रस्तुति का आधारः

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं और ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियम प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर मापे गए, कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, जैसा कि नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में बताया गया है। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखा मानक आरंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन में संशोधन किया गया हो।

उचित मूल्य वो मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा अथवा इस बात पर ध्यान दिए बिना की मूल्य सीधे तौर पर अवलोकन योग्य है या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित है, बाजार सहभागियों के बीच एक लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। परिसंपत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में कंपनी परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि बाजार सहभागी मापन दिन पर परिसंपत्ति अथवा देयता का मूल्य निर्धारण करने के लिए उन विशेषताओं को ध्यान में रखते है।

मापन के लिए उचित मूल्य और/अथवा इन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण का उद्देश्य, लेन–देन के मामलों को छोड़कर, जो भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे में है और मापदंड जिसमें उचित मूल्य की कुछ समानताएं है लेकिन वो उचित मूल्य नहीं है, जैसे भारतीय लेखा मानक 2 में प्राप्य निवल मूल्य अथवा भारतीय लेखा मानक 36 में उपयोग मूल्य, इस तरह के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, स्तर के आधार पर जिस पर उचित मूल्य मापन के लिए निवेश लक्षित है और संपूर्णता में उनका महत्व है, उचित मूल्य मापन स्तर 1, 2, और 3 में वर्गीकृत किए गए है, जो निम्न प्रकार से है :–

- स्तर 1 : निवेश सक्रिय बाजार में समान परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित) है, जिसे मापन दिवस पर ईकाई प्राप्त कर सकती है।
- स्तर 2 : निवेश कथित मूल्यों के अलावा स्तर 1 में शामिल किए गए है और परिसंपत्ति अथवा देयता के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लक्षित है।
- स्तर 3 : निवेश परिसंपत्ति अथवा देयता के लिए अलक्षित निवेश है।

तुलन पत्र में निरतंर आधार पर पहचाने जाने वाले परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है तथा यह स्थानांतरण स्तरों के बीच स्तर के अनुसार हुआ है। यह कार्य वर्गीकरण का पुर्नमूल्यांकन (पूरी तरह से उचित मूल्यमापन महत्वपूर्ण होने के साथ न्यूनतम स्तर के आधार पर) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक किया जाता है।

उचित मूल्य दर्शाने के उद्देश्य से कंपनी में परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण उनकी प्रकृतिकारक और परिसंपत्तियों और देयताओं के खतरों के आधार पर निर्धारित किया गया है जैसा कि ऊपर उचित मूल्य स्तर पर बताया गया है।

ii. कार्यात्मक मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा जिसमें कंपनी का प्रचालन (कार्यात्मक मुद्रा) भारतीय रुपया (रु.) है, जिसमें कंपनी मुख्य रुप से नकदी उत्पन्न करती है और उसका विस्तार करती है। तदनुसार प्रबंधन ने उसकी कार्यात्मक मुद्रा के रुप में भारतीय रुपए (रु.) का निर्धारण किया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए गए है, जो कंपनी की प्रस्तुती और कार्यात्मक मुद्रा है और वित्तीय विवरणों एवं टिप्पणियों में प्रकटित सभी राशियों को जब तक की न कहा गया हो, निकटतम मिलियन तक (दो दशमलव तक) पूर्णांकित किया गया है।

iii. चालू और गैर चालू वर्गीकरण

कंपनी सेवा क्षेत्र में होने के कारण कोई विशिष्ट प्रचालन साइकिल नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची **iii** के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को "प्रचालन साइकिल" के रुप में अपनाया गया है।

कंपनी चालू और गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है।

किसी परिसंपत्ति को चालू में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मापदंडों में से किसी एक को पूरा करती है :–

- कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में इसका प्राप्त होना अपेक्षित है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना है।
- रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 माह के अंदर इसका प्राप्त होना अपेक्षित है।

- यह नकद या नकद के समान है, जब तक इसे एक्सचेंज करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता या रिपोर्टिंग तिथि के 12 माह के बाद कम से कम एक देयता का निपटारा करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता।

अन्य सभी परिसंपत्तियां गैर–चालू में वर्गीकृत की गई है।

किसी देयता को चालू में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब वह निम्नलिखित मापदंडों में से किसी एक को पूरा करता है।

- कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में इसका निपटारा होना अपेक्षित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सेवाएं प्रदान करना है।
- रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के अंदर इसका निपटारा किया जाना है अथवा कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 महिनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकारी नहीं है। एक देयता की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती है, परिणामस्वरुप इसका निपटारा इक्विटी उपकरण जारी करने के साथ है, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता।

अन्य सभी देयताएं गैर–चालू में वर्गीकृत की गई है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताओं को केवल गैर–चालू रुप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं:

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च, 2022 को, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया। नीचे उल्लिखित संशोधनों को लागू करने की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए लागू होती है, हालाँकि कि इन्हें समयपूर्व लागू करने की अनुमति है। समूह ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और प्रभाव महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

क. इंड एएस 16, संपत्ति संयंत्र और उपकरण :

संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय से अधिक, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण की मद की लागत के भाग के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से लागत से कटौती की जाएगी।

ख. इंड एएस 37, प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तिः

संशोधन में विनिर्दिष्ट किया गया है कि अनुबंध को 'पूरा करने की लागत' में 'वे लागतें जो सीधे अनुबंध से संबंधित हैं, इसमें शामिल हैं। किसी अनुबंध से सीधे संबंधित लागतें या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें हो सकती हैं (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के लिए मूल्यह्रास शुल्क का आवंटन)।

ग. इंड एएस – 103 व्यापार संयोजन :

संशोधन विनिर्दिष्ट करता है कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पहचान की गई संपत्ति और देनदारियों के लिए, पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की

गई देनदारियों को अधिग्रहण की तारीख पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, भारतीय लेखा मानकों (वैचारिक फ्रेमवर्क) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषा को पूरा करना चाहिए।

घ. **इंड एएस 109 – वित्तीय साधन** :

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि वित्तीय देनदारियों की पहचान के लिए '10 प्रतिशत परीक्षण' करते समय, उधारकर्ता में केवल उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच सीधे या दूसरे की ओर से भुगतान या प्राप्त शुल्क शामिल होता है।

ड. **इंड एएस 116– इंड एएस में वार्षिक सुधार** – यह संशोधन पट्टा प्रोत्साहन के समाधान के संबंध में किसी भी संभावित भ्रम को दूर करने के लिए पट्टेदार द्वारा लीजहोल्ड सुधारों की प्रतिपूर्ति के उदाहरण को हटा देता है, जो उस उदाहरण में लीज प्रोत्साहनों का वर्णन करने के तरीके के कारण उत्पन्न हो सकता है।

v. महत्वपूर्ण लेखा अनुमान / निर्णय

इन वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधन ने कुछ निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाई है, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग, परिसंपत्तियों, देयताओं की रिपोर्ट की राशि और आय और व्यय की मात्रा को प्रभावित करते है। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। जहॉ आवश्यक हो, लेखांकन अनुमानों के संशोधनों की संभावित रुप से पहचान की जाती है। अनुमान और निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्र (जैसा कि संबंधित लेखा नीतियों में कहा गया है), जो वित्तीय वक्तव्यों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है, निम्न प्रकार से है :–

क) परिसंपत्तियों की क्षति

ख) उपयोगी जीवन और संपति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य का मापन और कौन से लागत के घटकों को पंजीकृत किया जा सकता है इसका मूल्यांकन

ग) निवेश संपति के रुप में संपत्ति के वर्गीकरण का आधार

घ) बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का आधार

ड.) पुनःवितरण की लागत का अनुमान

च) आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान

छ) निर्धारित लाभ दायित्वों की पहचान और मापन

ज) पट्टे का वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मूल्यांकन

झ) उचित मूल्यों और अपेक्षित ऋण हानि का मापन (ईसीएल)

ञ) मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि क्या कराधान विवादों और कानूनी दावों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा। यह संभव है या नहीं।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

क. संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण की मूल लागत में अधिग्रहण, उनको प्रयोग के स्थान पर लाना तथा उस तिथि

तक जबकि परिसंपत्ति को प्रयोग के लिए लिया गया है के लिए ब्याज पर लिया गया ऋण आनुषंगिक व्यय में शामिल है।

ख. परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन आवर्ती आधार पर किया जाता है, ताकि प्रत्येक संपत्ति प्रत्येक दो वर्षों में सत्यापित की जा सके और यदि कोई त्रुटि पाई गई तो उन्हें बही खातों में दर्ज किया जाए।

(वर्ष में)

परिसंपत्तियां	**कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उपयोगिता आयु**
कार्यालय उपकरण	5
रैंप उपकरण	15
फर्नीचर और फिक्सचर	10
इलेक्ट्रिकल फिटिंग	10
कम्प्यूटर	3
कारखाना उपकरण और उपस्कर	10
संयंत्र और मशीनरी	15
वाहन	8

2. मूल्यह्रास / परिशोधन

i. मूल लागत के 5 प्रतिशत का अवशिष्ट मूल्य रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ii में निर्धारित किए गए अनुसार परिसंपत्तियों की उपयोगिता आयु पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है।

ii. अधिग्रहण के पूर्ण वर्ष के लिए प्रदान की गई संपत्ति के अतिरिक्त मूल्यह्रास और निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है।

iii. निश्चित आर्थिक आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उनकी अनुमानित उपयोगी आयु के बाद परिशोधन किया गया है। अनिश्चित उपयोगी जीवन वाले अमूर्त परिसंपत्तियों का परीक्षण क्षति के लिए किया जाता है।

3. पट्टा

अनुबंध के प्रारंभ के समय कंपनी मूल्यांकन करती है, कि क्या अनुबंध में पट्टे शामिल है। यदि अनुबंध विचाराधीन विनिमय अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो पट्टों के लेनदेन के मूल्यांकन हेतु कंपनी ने श्रेष्ठता दृष्टिकोण के लिए व्यावहारिक समीचीन लागू किया। तद्नुसार, भारतीय लेखा मानक 116 केवल उन अनबुंधों पर लागू किया जाता है, जिन्हें पूर्व में भारतीय लेखा मानक 17 के तहत पट्टों के रुप में पहचाना जाता था। पट्टेदार के रुप में पट्टे् (पट्टे पर ली गई परिसपंत्ति), अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों के लिए कंपनी एक मान्यता और मापन दृष्टिकोण लागू करती है और पट्टा अनुबंध जिसमें पट्टेदार और पट्टाकर्ता दोनों को बिना दूसरे पक्ष से अनुमति के और बिना किसी महत्वपूर्ण दडं के पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है।

पट्टेदार के रूप में:

अनुबंध के प्रारंभ में कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध में पट्टे शामिल है या नहीं। अनुबंध जिसमें पट्टा शामिल है, विचार विनियम की अवधि के दौरान पहचाने गए परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह निर्धारण करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध, पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकारी देता है, कंपनी निर्धारित करती है कि :–

i. अनुबंध में पहचान की गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है।

ii. कंपनी के पास पट्टे की अवधि में परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ है तथा

iii. कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

अल्पकालिक, कम मूल्य के पट्टेदार और पट्टाकर्ता के अनुबंधों के लिए जिसमें पट्टेदार एवं पट्टाकर्ता प्रत्येक को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन नगण्य दंड से अधिक नहीं, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान स्ट्रेट लाईन के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

पट्टाकर्ता के रूप में:

पट्टे जिसके लिए कंपनी पट्टाकर्ता है, वित्त अथवा प्रचालन लीज के रुप में वर्गीकृत किए गए है। जब भी पट्टे की शर्तों ने पट्टे के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को व्यापक रुप से पट्टेदार को स्थानांतरित किया है, उस अनुबंध को वित्त पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी पट्टे प्रचालन लीज के रुप में वर्गीकृत किए गए है। जब कंपनी मध्यवर्ती पट्टाकर्ता होती है, तो वह अपने लाभों को मुख्य पट्टे और उप पटट् जैसे खातों में अलग से दर्ज करती है। उप पट्टे को, मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली आरओयू परिसंपत्ति के संदर्भ में वित्त या प्रचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टों के लिए, किराए की आय को, संबंधित पट्टे की अवधि और स्ट्रेट लाईन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

4. राजस्व की पहचान

i. कंपनी को मुख्यतः अनुरक्षण, रिपेयर एवं ओवरहॉल सेवाएं (एमआरओ सेवाएं), लाइन रखरखाव, (विमान इंजनों का तकनीकी हैंडलिंग) और अन्य विमान संबंधी सेवाओं से राजस्व प्राप्त होता है।

ii. प्रचालन से राजस्व

राजस्व की पहचान तब होती है, जब बाह्य माल अथवा सेवा (परिसंपत्ति) ग्राहक को संतोषजनक विधि से स्थानांतरित की जाती है। जब ग्राहक उक्त परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है, तब परिसंपत्ति स्थानांतरित की जाती है। विमान और विमान इंजन द्वारा उड़ाए गए ब्लॉक घंटों के आधार पर हुए करार के संबंध में, राजस्व की पहचान उड़ाए गए वास्तविक ब्लॉक घंटों के आधार पर होती है। लाइन रखरखाव सेवाओं के अन्य करार के संबंध में, राजस्व की पहचान हैंडल किए गए उड़ानों की संख्या से होती है।

iii. प्रशिक्षण सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान शुल्क प्राप्त होने के बाद होती है।

iv. निवल मूल्यह्रास से अधिक मूल्य के पीपीई की बिक्री/स्क्रैप से उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि को गैर प्रचालन राजस्व अथवा अन्य व्यय के रूप में लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

v. समय अनुपात के आधार पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज से प्राप्त हुई आय को मान्यता दी जाती है। किराए से होने वाली आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

vi. बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाले दावों को, बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत किए जाने पर लेखाबद्ध किया जाता है।

vii. विक्रेता से प्राप्त हुए वारंटी के दावे/क्रेडिट नोट उनके प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्य किए जाते है।

5. इन्वेंटरियां

इन्वेंटरी में प्राथमिक रुप से स्टोर तथा कलपुर्जें और खुले औजार शामिल होते है। इन्वेंटरी में विविध स्टोर और कलपुर्जें शामिल है जिनका मापन कम किमत पर और प्राप्य निवल मूल्य (एनआरवी) पर किया जाता है। इन्वेंटरी की लागत तुलनात्मक औसत आधार पर निर्धारित की जाती है। प्राप्य निवल मूल्य इन्वेंटरी के लिए अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों की सभी अनुमानित लागतों को कम करता है।

6. कर्मचारी हितलाभ

क. **अल्पावधि कर्मचारी हित :** सभी कर्मचारी हितलाभ जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों में दिए जाते हैं, उनको अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ कहा जाता है। हितलाभ जैसे वेतन, मज़दूरी एवं अल्पावधि क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति आदि तथा बोनस, अनुग्रह अनुदान की अनुमानित लागत उस अवधि में दर्शाए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

ख. **रोजगार पश्चात हितलाभ**

परिभाषित योगदान योजनाओं में, कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान शामिल है। कंपनी के पास दिनांक 01 दिसंबर 2021 तक स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट विद्यमान है। उसके बाद, ट्रस्ट को भंग कर दिया गया है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ईपीएफओ को राशि स्थानांतरित कर दी गई है। निश्चित अवधि के संबंध में अनुबंध (एफटीसी) कर्मचारियों, भविष्य निधि (पीएफ) बकाया कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कार्यालय में जमा किया जाता है। वेतन संरचना के घटकों से संबंधित दिनांक 28 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट (एससी) का एक निर्णय आया था, जिसके तहत ईपीएफ अधिनियम के तहत भविष्य निधि में योगदान की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। आवेदन की प्रभावी तिथि सहित निर्णय से संबंधित व्याख्यात्मक पहलू विद्यमान हैं। प्रबंधन की दृष्टि से, भविष्य निधि के लिए योगदान की गणना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार की जानी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का बकाया, नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों के पास जमा किया जाता है। परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए कंपनी के भुगतान को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी उन सेवाओं का निष्पादन करते हैं, जिनमें भुगतान शामिल होता है।

परिभाषित हितलाभ योजना वे है जो निधिबद्ध नहीं होती जैसे उपदान, छुट्‌टी नकदीकरण, जिसमें बीमारी छुट्‌टी और अन्य लाभ शामिल हैं।

उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा चिकित्सा की देयता वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत बीमांकिक तौर पर निर्धारित की जाती है।

सभी योग्य और स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों (तत्कालीन एआईएल से कंपनी में स्थानांतरित) के चिकित्सा लाभों के लिए, सरकार ने दिनांक 16 फरवरी 2022 को एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत ऐसे सभी कर्मचारी एआईएएचएल (मूल कंपनी) के माध्यम से सीजीएचएस सुविधाओं के सदस्य बनने के लिए सदस्यता लेंगे और इस योजना के लिए संबंधित व्यय, भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता में से एआईएएचएल को प्रदान किया जाएगा।

7. परिसंपत्तियों की क्षति

तुलन–पत्र की प्रत्येक तिथि पर लेखाकरण मानक–36 के अनुसार क्षति के लिए परिसंपत्तियों के वहन मूल्य का परीक्षण किया जाता है जिससे निम्नलिखित का निर्धारण किया जाए :

क) क्षति हानि, यदि कोई है तो, के लिए प्रावधान, और

ख) पूर्वावधि में दर्शाया गया क्षति हानि का निराकरण, यदि कोई हो ,

परिसंपत्ति की वर्तमान राशि अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाने की स्थिति में क्षति हानि को माना जाता है।

8. आय पर कर

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

i. चालू कर

वर्तमान कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, चालू कर, यदि कोई हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

ii. आस्थगित कर

आस्थगित कर की पहचान वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की मात्रा के बीच अस्थाई अंतर के संबंध में और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए संबंधित कर आधार पर की जाती है। सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं की पहचान की जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर/भिन्नता के रुप में उस सीमा तक की जाती है, जहॉ तक ये संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके लिए कटौती योग्य अस्थायी अंतर का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह की आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की पहचान नहीं की जाती है, यदि लेन–देन में परिसंपत्ति और देयता की प्रारंभिक पहचान (व्यापार संयोजन के अलावा) में अंतर उत्पन्न होता है, जो न तो करयोग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है। इसके अलावा आस्थगित कर देयताओं की पहचान नहीं की जाती यदि प्रारंभिक गुडविल/साख की पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखरखाव राशि की समीक्षा हर एक रिपोर्टिंग अवधि समाप्ति पर की जाती है तथा उस सीमा तक कम की जाती है कि पर्याप्त मात्रा में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे इसकी अब कोई संभाव्यता नहीं है, जो परिसंपत्ति अथवा उसके किसी भाग की वसूली कर सकेगी।

कर कानूनों के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान किया जाता है, जो भविष्य के आयकर देयता के समायोजन के रुप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है और यदि इस बात के ठोस प्रमाण है कि

कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी तो इसे आस्थगित कर संपत्ति माना जाता है। तदनुसार, जब इसकी संभावना होती है कि भविष्य में इससे जुडे आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे, तब (एमएटी) को तुलन पत्र में एक परिसंपत्ति के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति और देयताओं का मापन उस कर दर पर किया जाता है, जो उस वर्ष में अधिनियमित किए गए अथवा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत तक लगातार अधिनियमित किए गए कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर, देयताओं के समाधान या परिसंपत्तियों के प्राप्त होने के समय लागू है।

आस्थगित कर सपंत्तियां और आस्थगित कर देयताओं को निरस्त किया जाता है यदि वर्तमान कर संपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं के विरुद्ध निरस्त करने के लिए विधिक रुप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और एक ही कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हो।

आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान की जाती है और उन्हें इस हद तक आगे बढ़ाया जाता है कि कंपनी के प्रचालन और वित्तीय पुनर्गठन, राजस्व उत्पादन और लागत में कमी कार्यक्रम के आधार पर भविष्य में परिसंपत्तियों की प्राप्ति होगी इस बात की एक आभासी निश्चिती होती है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थिगित कर

लाभ और हानि में वर्तमान और आस्थगित कर की पहचान की जाती है सिवाय इसके कि वे उन वस्तुओं से संबंधित है जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में स्वीकृत किया गया है, तथा जिस मामले में वर्तमान या आस्थगित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकृत किया गया हो। जहाँ व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर और आस्थगित कर की उत्पत्ती होती है, कर का प्रभाव व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल होता है।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को निरस्त किया जाता है, जब वे एक ही कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हो और संबंधित प्राधिकारी निवल आधार पर वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देयताओं का निपटान करने का हेतु रखती हो।

9. प्रावधान, प्रासांगिक देयताएं और प्रासांगिक परिसंपत्तियां

क) पिछली घटनाओं के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा संरचानात्मक) की पहचान होने पर माप के आकलन में काफी प्रावधान शामिल करना पड़ सकता है और यह भी संभव है कि संसाधनों को खर्च करना पड़ सकता है। धन के संबंध में समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होने पर वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों में छूट प्रदान की जाती है, जो उचित होने पर देयता की विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। इन आकलनों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान में सर्वोत्कृष्ट आकलनों को दर्शाने के लिए समायोजित किए जाते है। प्रावधान से संबधित व्यय लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख) जोखिमों और दायित्व को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान के रुप में स्वीकृत की गई राशि, तुलन पत्र की तारीख में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए सबसे अच्छा अनुमान है। जब वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए नकदी प्रवाह के अनुमानों का उपयोग करते हुए एक प्रावधान का मापन किया जाता है, तो यह राशि वहन उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है)।

ग) जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद की जाती है, तो प्राप्य को संपत्ति के रुप में स्वीकृत किया जाता है, यदि यह निश्चित रुप से निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी और प्राप्य की राशि को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है।

घ) प्रासंगिक देयताओं का पता उन संभावित दायित्वों के संबंध में नोट के माध्यम से लगाया जाता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी के नियत्रंण में पूरी तरह से नहीं होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना से होती है।

ङ) प्रासंगिक परिसंपत्तियां संभाव्य परिसंपत्तियां है जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होती है तथा जिनको मौजूद होने की पुष्टि भविष्य में होने वाली एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के हो ने अथवा ना होने द्वारा होती है जो कि पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आर्थिक लाभ की संभावना होने पर प्रासंगिक परिसंपत्ति दर्शाई जाती है।

भारयुक्त अनुबंध

च) जहां कंपनी के पास ऐसा अनुबंध होता है, जिसके तहत अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक होती है, वहां ऐसे अनुबंध को भारयुक्त अनुबंध कहा जाता है। वर्तमान भारयुक्त अनुबंधों के तहत आने वाले दायित्वों को प्रावधानों के रुप में पहचाना और मापा जाता है।

10. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए मूल तथा तनुकृत अर्जन/(हानि) प्रति शेयर (ईपीएस) डाटा प्रस्तुत करती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या के औसत मूल्य द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले कर के बाद निवल लाभ में बांटकर किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर कम अर्जन की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत संख्या तथा कम महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर पर कुल कर के बाद निवल लाभ के समायोजन को बांटकर किया जाता हैं।

11. वित्तीय साधन

एक ऐंटिटी के वित्तीय परिसंपत्तियां को बढ़ाती है जो पूरी तरह, शेष मूल राशि पर मूल तथा ब्याज के भुगतान पर पूरी तरह आधारित है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार करती है जिसे बाद में परिशोधित लागत, उचित मूल्य अन्य समेकित आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से अथवा लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित करती है। यह निर्धारण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इसके व्यवसाय मॉडल और वित्तीय संपत्तियों के नकद प्रवाह की प्रकृति पर आधारित है।

(ii) प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य पर की जाती है जिन्हें लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य की प्राप्ति पर दी जाने वाली छूट स्थानांतरण लागत के आधार पर किया जाता है।

(iii) उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य से वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

(क) परिशोधित लागत पर ली गई परिसंपत्तियां :

व्युत्पन्न एवं विशिष्ट निवेशों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों का उत्तरवर्ती मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। यदि इस प्रकार के व्यवसाय मॉडल के रुप में रखा जाता है जिसका उद्देश्य परिसंपत्ति से संविदा के रुप में नकद प्रवाह जमा करना होता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा की शर्तें निर्धारित तिथि पर नकद प्रवाह के लिए होती है जो पूरी तरह से शेष मूल्यराशि पर मूल्यराशि और ब्याज के भुगतान पर आधारित होती है।

(ख) अन्य समेकित आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

विशिष्ट निवेश वाली वित्तीय परिसंपत्ति का उत्तरवर्ती मापन अन्य कुल आय के द्वारा उचित मूल्य पर किया जाता है यदि इसे ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदा नकद प्रवाह और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्तें किसी निश्चित तिथि पर नकद प्रवाह को बढ़ाती है जो पूरी तरह, शेष मूल राशि पर मूल तथा ब्याज के भुगतान पर पूरी तरह आधारित है। कंपनी ने अपने निवेश के संबंध में अपरिवर्तनीय चुनाव किया है जो इसके व्यवसाय मॉडल पर आधारित अन्य समेकित आय में उचित मूल्य में तत्पश्चात होने वाले परिवर्तन संबंधी को दर्शाने के लिए इक्विटी साधन के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

उपरोक्त किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों को, जिसमें व्युत्पन्न शामिल है तत्पश्चात लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य निर्धारण किया गया है।

(iv) डी–रिकग्निशन

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त होना समाप्त होने पर अथवा कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारी को स्थानांतरित कर देने पर वित्तीय परिसंपत्ति को प्राथमिक रुप से डी–रिकग्नाइज्ड कर दिया जाता है।

(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी व्यापार से प्राप्य यह संविदा राजस्व प्राप्य और सभी पट्टा प्राप्य आदि के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनुमानित क्रेडिट हानि मॉडल पर हानि और क्षति से हुई हानि की पहचान का मूल्यांकन करती है।

(vi) बट्टा खाता

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की कुल राशि को वसूली की वास्तविक संभावना होने की सीमा तक बट्टे खाते में (आंशिक या पूरी तरह) डाल दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः उस मामले में होता है जबकि कंपनी यह निर्णय लेती है कि दूसरी पार्टी के पास बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि के लिए कोई परिसंपत्ति अथवा आय का स्त्रोत नहीं होता जिससे पर्याप्त नकद प्रवाह प्राप्त हो सके। तथापि बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियों को शेष राशि के वसूली के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी गतिविधियों में इसे अभी भी लगाया जा सकता है।

ख. वित्तीय देयताएं

(i) प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय देयताओं की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य पर की जाती है तथा ऋण तथा उधार एवं देयों

के मामले में अंतरण लागत से सीधे संबंधित निवल राशि कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार अन्य भुगतान ऋण एवं बैंक ओव्हरड्राफ्ट सहित उधार तथा व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल है।

(ii) वर्गीकरण

कंपनी लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर बाद में मापन के रुप में वर्गीकृत करती है। ऐसी देयताएं व्युत्पन्न सहित बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती है।

(iii) उत्तरवर्ती मापन

वत्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है जैसाकि नीचे दिया गया है।

(क) परिशोधित लागत पर ली गई देयताएं :

सभी वित्तीय दयेताओं की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य पर की जाती है और ऋण तथा उधार एवं देयों के मामले में अंतरण लागत से संबंधित निवल राशि के मूल्य पर की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य देय शामिल है।

(ख) लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं :

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान के समय व्यापार और वित्तीय देयताओं के रुप में नामित वित्तीय देयताएं शामिल होती है। वित्तीय देयताओं को वर्गीकृत माना जाता है जबकि निकट भविष्य में पुनः खरीद के उद्देश्य से उन्हें व्यापार के लिए रखा जाता है। इस श्रेणी में व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल होते है जिसे कंपनी द्व ारा भारतीय लेखा मानक 109 के परिभाषा के अनुसार प्रतिरक्षक संबंध में प्रतिरक्षक साधन नामित नहीं किया गया है। अलग ईमबेडेड व्युत्पन्न को, व्यापार के लिए रखे गए रुप में वर्गीकृत किया गया है। जब तक कि उन्हें प्रभावी प्रतिरक्षक साधन के रुप में नामित नहीं किया गया। व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर हानि अथवा लाभ की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

(IV) डी–रिकग्निशन

वित्तीय देयताओं को उस स्थिति को डी–रिकग्नाइज्ड कर दिया जाता है जब देयताओं के अंतर्गत उसका निपटान कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।

(V) वित्तीय साधनों की ऑफ–सेटिंग

पहचानी गई राशि का प्रति संतुलन करने के लिए, वर्तमान में लागू कानूनी अधिकारी होने पर और परिसंपत्तियों के समाधान करने के साथ–साथ देयताओं के समापन का ईरादा होने पर वित्तीय परिसपंत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रतिसंतुलन कर दिया जाता है और निवल राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है।

12. ऋण लागत

i. ऋण लागत, जो अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार होती है, पूंजीगत कार्य प्रगति सहित अर्हक संपत्ति के निर्माण में संपत्ति की लागत के हिस्से के रुप में, परिसंपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत की तारीख तक पूंजीकृत की जाती है।

ii. रु. 10.0 मिलियन के मूल्य से अधिक की अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपयोग की जा रही लंबित अवधि के ऋणों की प्राप्ति की प्रत्याशों में ऋण की राशि या अस्थायी ऋणों पर लगने वाला ब्याज अधिग्रहण के समय बकाया ऋण पर तुलनात्मक औसत ऋण दरों पर पूंजीकृत किया जाता है।

13. नकद और नकद समान

नकद और नकद के समान में नकद और अपने पास नकद तथा 03 महिने और उससे कम समय में मूल रूप से पूरा होने वाले छोटी अवधि की जमा शामिल होते है, जिनकी कीमत में बहुत कम अंतर होने का खतरा होता है।

14. विदेशी मुद्रा की वित्तीय मदें

i. विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व और खर्च के व्यवहार को स्थापित मासिक दरों पर (प्रकाशित आईएटीए दरों पर आधारित) रिकार्ड किया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा की वित्तीय मदों को डीलर असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के प्राप्ति/निपटान के कारण हुआ लाभ/(हानि) और वित्तीय विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और देयताओं के अंतरण को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

15. अनुबंध शेष

i) संविदागत संपत्ति

संविदागत संपत्ति, ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को सेवाएं प्रदान करके निष्पादन करती है, तो व्यापार प्राप्तियों सहित अर्जित प्रतिफल के लिए संविदागत संपत्ति को मान्यता दी जाती है।

ii) संविदागत देयताएं

संविदागत देयता, एक ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने का वह दायित्व है, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने से पहले विचार करता है, तो भुगतान किए जाने या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) संविदागत देयता को मान्यता दी जाती है । संविदागत देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जब कंपनी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम सहित संविदा के तहत निष्पादन करती है।

iii) वापसी देयताएं

रिफंड देयता ग्राहक से प्राप्त (या प्राप्य) कुछ या सभी प्रतिफलों को वापस करने का दायित्व है और इसे उस राशि पर मापा जाता है, जो कंपनी को अंततः संभावित है कि उसे ग्राहक को वापस करनी होगी। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रिफंड देनदारियों के अपने अनुमानों को अद्यतन करती है।

16. न्यूनतम सीमा

कंपनी ने व्यय/आय और प्रकटीकरण के वर्गीकरण में निम्नलिखित भौतिकवादी न्यूनतम सीमा अपनाई है।

न्यूनतम सीमा मद	यूनिट	न्यूनतम सीमा मूल्य
पूर्व अवधि के खर्चे/राजस्व		
वैयक्तिक सीमाओं पर आधारित पुनः विवरण	मिलियन	50.00
समग्र सीमाओं पर आधारित पुनः विवरण	मिलियन	पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व का 1 प्रतिशत
वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	मिलियन	50.00

नोट–2 : परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रूपये मिलियन में)

क्र. सं	विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01 अप्रैल 2021 को	संवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	कुल 31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	मूर्त परिसंपत्तियांः											
	भूमि	-	180.00	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00	-
क.	भवन	10.42	2,644.31	-	-	2,654.73	5.12	103.51	-	108.62	2,546.11	5.30
ख.	संयंत्र उपकरण											
	कार्यशाला उपकरण, उपकरण,	1,435.79	1,044.51	-	1.17	2,479.13	1,015.95	242.31	1.11	1,257.15	1,221.98	419.85
	मशीनरी और संयंत्र	92.72	1,858.95	-	-	1,951.68	49.48	190.78	-	240.26	1,711.42	43.24
	जीएच और रैंप उपकरण	-	0.86	-	-	0.86	-	0.18	-	0.18	0.68	-
ग.	फर्नीचर और फिक्चर	11.62	48.90	-	-	60.52	4.53	11.01	-	15.54	44.98	7.10
घ.	विद्युत फिटिंग	0.80	217.99	-	-	218.79	0.19	51.43	-	51.62	167.17	0.61
ड.	कंप्यूटर प्रणाली	10.03	4.19	-	-	14.22	6.76	2.79	-	9.55	4.67	3.28
च.	वाहनों	7.65	3.16	-	-	10.81	3.60	1.92	-	5.51	5.30	4.06
छ.	कार्यालय उपकरण	12.95	2.74	-	-	15.68	8.43	2.49	-	10.92	4.76	4.52
	मूर्त संपत्ति के लिए कुल	**1,581.99**	**6,005.60**	**-**	**1.17**	**7,586.42**	**1,094.03**	**606.42**	**1.11**	**1,699.35**	**5,887.08**	**487.96**
	पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	109.53	1,134.69	109.53	-	1,134.69	-	-	-	-	**1,134.69**	109.53
	कुल पूंजी कार्य–प्रगति	**109.53**	**1,134.69**	**109.53**	**-**	**1,134.69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,134.69**	**109.53**
	कुल योग	**1,691.52**	**7,140.29**	**109.53**	**1.17**	**8,721.11**	**1,094.03**	**606.42**	**1.11**	**1,699.35**	**7,021.77**	**-**
	पिछले वर्ष	**1,682.22**	**9.32**	**-**	**0.02**	**1,691.52**	**978.84**	**115.20**	**-**	**1,094.03**	**597.48**	**703.38**

नोट "2.1"

उपरोक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में एमआरओ नागपुर की संपत्ति शामिल है, जिसमें एयरफ्रेम रखरखाव सुविधा, जीई/जीईएनएक्स इंजन के लिए इंजन परीक्षण सुविधा, लीज होल्ड भूमि और निर्माणाधीन इंजन वर्कशॉप, राशि 6,740.0 मिलियन रुपये (पीवाई: रुपये शून्य) [इंजन सहित, शामिल है। वर्कशॉप सीडब्ल्यूआईपी की राशि 1,134.7 मिलियन (पीवाई : रुपये शून्य), है, जिसे तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बही मूल्य पर बिना किसी भौतिक हैंडओवर–टेकओवर के बही अंतरण कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय निदेश और तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड के नीतिगत विनिवेश के अनुरूप, दिनांक 07 दिसंबर, 2020 को बोर्ड की 64वीं बैठक में निदेशक मंडल ने एआई से नागपुर एमआरओ को लेने पर सहमति व्यक्त की। तदनुसार, मिहान एसईजेड यूनिट के विकास आयुक्त और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसीएल), नागपुर के अध्यक्ष को नागपुर एमआरओ को एआईईएसएल में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक आवेदन किया गया था। कंपनी को दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को एअर इंडिया से एआईईएसएल में उद्यमी के परिवर्तन के लिए मंजूरी मिल गई है और यह दस्तावेजों/समझौतों को निष्पादित करने की प्रक्रिया में है।

नोट "2.2"

उपरोक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में जेट 9डी टेस्ट हाउस का निर्माण शामिल है, जिसे 01 अप्रैल, 2019 को तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड से कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया है। भवन का निर्माण तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा 10.42 मिलियन रुपये के मूल्य पर किया गया है और कंपनी को बही अंतरण किया गया है।

नोट 3 : अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बैंक जमा – (12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ)	0.06	0.06
कुल	**0.06**	**0.06**

नोट 4 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(डीटीएल) के कारण आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यह्रास	26.46	-
कुल आस्थगित कर देयता	**26.46**	**-**
(डीटीए) के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति		
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	8.57	-
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	195.66	-
अवशोषित मूल्यह्रास और हानि	826.31	-
एमएटी क्रेडिट एसेट्स	-	-
एमएटी ऋण परिसंपत्तियां	583.16	-
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1,615.64	-
कुल आस्थगित कर संपत्ति	**3,229.33**	**-**
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति	**3,202.87**	**-**

नोट 5 : इन्वेंटरी

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
स्टोर और कलपुर्जे	17.51	18.53
विविध उपकरण	496.59	492.39
ईंधन, गैस, कोयला, तेल और स्नेहक	0.65	1.19
गैर–विमान सूची	6.38	6.38
अन्य इन्वेंटरी	163.41	309.75
कुल	**684.54**	**828.24**

नोट 6 : व्यापार से प्राप्य

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
रक्षित वसूली योग्य	-	-
अरक्षित, वसूलीयोग्य	5,534.49	12,799.78
प्राप्य व्यापार प्राप्तियों में क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	559.91	549.21
प्राप्य व्यापार – अशोध्य ऋण	-	-
	6,094.40	13,348.99
घटाः संदिग्ध हेतु प्रावधान	559.91	549.21
कुल	**5,534.49**	**12,799.78**

व्यापार प्राप्य अवधि संवर्धन अनुसूची

(रूपये मिलियन में)

31 मार्च, 2022 तक	बिना बिल देय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
विवरण		6 माह से कम	6 माह–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	2,732.54	861.32	1,305.31	42.84	239.89	352.59	5,534.49
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	5.88	261.23	292.80	559.91
अविवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**2,732.54**	**861.32**	**1,305.31**	**48.72**	**501.12**	**645.40**	**6,094.40**

(रूपये मिलियन में)

31 मार्च, 2021 तक	बिना बिल देय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
विवरण		6 माह से कम	6 माह–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	3,652.88	6,254.94	2,163.40	330.35	169.52	228.69	12,799.78
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	0.01	0.12	286.36	116.32	146.39	549.21
अविवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण							
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य							
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई							
विवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण							
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**3,652.88**	**6,254.95**	**2,163.52**	**616.70**	**285.84**	**375.08**	**13,348.99**

i. सेवाओं की बिक्री पर ऋण अवधि, सुरक्षा के साथ या उसके बिना 30 से 60 दिनों तक होती है।
ii. कंपनी आमतौर पर इन शेष राशियों पर कोई संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट वृद्धि नहीं रखती है और न ही कंपनी द्वारा प्रतिपक्ष को दी गई किसी भी राशि के प्रति ऑफसेट का कानूनी अधिकार है।
iii. संबंधित पक्षों से प्राप्य व्यापार विवरण नोट 38ए-VII में वर्णित किया गया है।
iv. व्यापार प्राप्तियों में कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।
v. व्यापार प्राप्तियों में बंद कंपनियों से प्राप्तियों की कोई राशि शामिल नहीं है।

नोट 7 : नकद और नकद समतुल्य

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बैंकों के पास शेष राशि		
क) चालू खातों में	1,244.08	4.60
ख) जमा खातों में (3 महीने से कम परिपक्वता)	1,324.97	-
ग) उपलब्ध नकदी	0.36	0.17
उपलब्ध चेक व ड्राफ्ट	-	0.06
कुल	**2,569.40**	**4.83**

नोट 8 : उपर्युक्त (ख) के अलावा बैंक शेष

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बैंकों के पास शेष		
मार्जिन जमा राशि (3 < परिपक्वता < 12)	1.00	33.75
	1.00	**33.75**

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अग्रिमों		
रक्षित – वसूली योग्य	-	-
अरक्षित–वसूली योग्य (इंटर कंपनी)	-	-
प्रतिभूति जमा राशि	8.37	3.91
कुल	**8.37**	**3.91**

नोट 10 : चालू कर परिसंपत्तियां

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आयकर और टीडीएस के लिए कुल अग्रिम भुगतान	1,669.56	780.72
घटा : कर हेतु प्रावधान	584.52	-
कुल	**1,085.04**	**780.72**

नोट 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पूर्वप्रदत्त खर्चे	32.44	11.78
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	122.21	172.38
फुटकर नकद राशि	0.01	-
जीएसटी अंतरिम बैंक खाता	-	-
निवेश पर उपार्जित ब्याज	6.01	3.91
कुल	**160.67**	**188.07**

नोट 12 : इक्विटी शेयर पूंजी

	विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
		शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपये मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपये मिलियन में
क.	**प्राधिकृत**				
	प्रति 10 रूपये मूल्य के 10,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,000,000)	1,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00
		1,000.00	**10,000.00**	**1,000.00**	**10,000.00**
ख.	**जारी, अंशदायी और पूर्णत प्रदत्त शेयर**				
	प्रति 10 रुपये मूल्य के 1666,66,500 इक्विटी शेयर	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
		166.67	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**

ग. शेयरों की संख्या का समायोजन :

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपये मिलियन में	शेयरों की संख्या मिलियन में	रूपये मिलियन में
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
जमा : वर्ष के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	**166.67**	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**

घ. इक्विटी शेयरों के साथ संबद्ध अधिकार वरियता और प्रतिबंध

कंपनी के पास शेयरों की एकल श्रेणी है अर्थात इक्विटी शेयर जिनकी कीमत 10 प्रति शेयर के बराबर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था और नकद के अलावा अन्य विचाराधीन शेयर जारी किए जाने का एक उदाहरण है और कंपनी द्वारा निगमन तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया है।

ड. धारक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर	**शेयरों की संख्या मिलियन में**	**रूपये मिलियन में**	**शेयरों की संख्या मिलियन में**	**रूपये मिलियन में**
एअर इंडिया लिमिटेड*	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड**	166.67	1,666.67	-	-

*12 जनवरी, 2022 तक

**12 जनवरी, 2022 से

च. 5 प्रतिशत से अधिक रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या मिलियन में	**रूपये मिलियन में**	**शेयरों की संख्या मिलियन में**	**रूपये मिलियन में**
एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड**	166.67	1,666.67	-	-
एअर इंडिया लिमिटेड*	-	-	166.67	1,666.67

छ. नकद में प्राप्त होने वाले भुगतान के साथ अनुबंध के अनुसार पूरी तरह से भुगतान के रूप में जारी किए गए और आवंटित शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को एयर इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 5(क) की शर्तों के आधार प्रर प्रदान की गई पूंजी के प्रति दिनांक 1 अप्रैल 2014 को होल्डिंग कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड स्थानांतरित की गई इंजीनियरिंग संपत्तियों के डब्ल्यूडीवी के लिए प्रत्येक 10 रूपये के 1666,16,500 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए थे।	शून्य	शून्य

नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार आवंटित शेयर और रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले 5 वर्ष की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयर शून्य (पिछले वर्ष शून्य) हैं।

ज. प्रमोटरों की शेयरधारिता *

प्रमोटरों का नाम	31 मार्च 2022 का		31 मार्च 2021 को	
	धारित शेयरों की संख्या मिलियन में	%	धारित शेयरों की संख्या मिलियन में	%
एआईएसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	166.67	100%	-	0%
एअर इंडिया लिमिटेड	-	0%	166.67	100%

टिप्पणी :

धारित शेयरों की संख्या और धारण का प्रतिशत, व्यक्तिगत क्षमता में रखे गए शेयरों को दर्शाते हैं।

यहां प्रमोटर का तात्पर्य प्रमोटर है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधित रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट 13 : अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2022 (रूपये मिलियन में)		31 मार्च 2021 (पुनर्स्थापित) (रूपये मिलियन में)	
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष/(घाटा) :				
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार शेष		-23,921.58		-23,969.52
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	8,371.17		-95.82	
घटाः				
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-		-	
जमाः पूर्व अवधि समायोजन	-		-71.45	
घटा : पूर्व अवधि समायोजन	-		-	
अन्य व्यापक आय				
जमाः परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	68.62		215.21	
शुद्ध अधिशेष		8,439.79		47.94
कुल भंडार और अधिशेष		**-15,481.79**		**-23,921.58**

प्रतिधारण आय :

प्रतिधारित आय वह लाभ है, जो कंपनी ने आज की तारीख तक अर्जित किया है, घटा – सामान्य रिजर्व, लाभांश या शेयरधारकों को भुगतान किए गए अन्य वितरणों में से कोई भी स्थानान्तरण। प्रतिधारित आय में परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन हानि/(लाभ), करों का निवल जो लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया हो, शामिल है। प्रतिधारित आय, कंपनी के लिए उपलब्ध मुक्त आरक्षित निधि है।

नोट 14: गैर चालू प्रावधान

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
क) उपदान	2,092.49	2,296.62
ख) अवकाश नकदीकरण	1,465.06	1,595.03
ग) चिकित्सा	2,241.44	2,241.44
घ) अन्य लाभ	616.02	512.54
कुल	**6,415.01**	**6,645.63**

नोट 15 : व्यापार प्राप्य

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण	35.84	36.23
अन्य देय	4,044.71	6,094.44
कुल	**4,080.54**	**6,130.67**

नोट 15.1 : व्यापार प्राप्यों की आयु अनुसूची

31 मार्च 2022 को

(रूपये मिलियन में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित बकाया (एमएसएमई)	35.67	0.14	0.03	-	35.84
(i) अविवादित देय राशि (अन्य)	2,243.84	1,224.12	493.48	83.14	4,044.71
(iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि (अन्य)	-	-	-	-	-
कुल	**2,279.50**	**1,224.26**	**493.51**	**83.14**	**4,080.54**

31 मार्च, 2021 तक

(रूपये मिलियन में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित बकाया (एमएसएमई)	34.73	0.35	0.09	1.06	36.23
(i) अविवादित देय राशि (अन्य)	4,059.03	467.81	1,367.39	200.22	6,094.44
(iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि (अन्य)	-	-	-	-	-
कुल	**4,093.76**	**468.16**	**1,367.48**	**201.28**	**6,130.67**

i. देय व्यापार सामान्य रूप से 30 से 60 दिनों के भीतर तय किया जाता है

ii. संबंधित पक्षों पार्टियों को देय व्यापार नोट 38 क-VII में प्रकट किया गया है

नोट 16 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
प्रतिभूति जमा राशि	-	30.91	-	23.42
बयाना राशि	-	4.02	-	4.10
ऋण और अग्रिम	-	94.95	-	104.26
कर्मचारियों को देय	-	256.62	-	461.65
अंतर–कंपनी देय/प्राप्य	21,582.90	152.06	-	18,654.24
अन्य	-	74.95	-	93.15
कुल	**21,582.90**	**613.51**	**-**	**19,340.82**

नोट 17 : चालू प्रावधन

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रावधान		
कर्मचारियों के लिए लाभ		
क) उपदान	624.42	779.73
ख) अवकाश नकदीकरण	437.63	463.28
ग) चिकित्सा	92.76	92.76
घ) अन्य लाभ	-	-
ड.) कर्मचारियों के अलावा	214.29	1,332.25
कुल	**1,369.11**	**2,668.03**

नोट 18 : अन्य चालू देयताएं

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सांविधिक देयताएं	22.26	2,706.62
अन्य	-	-
कुल	**22.26**	**2,706.62**

नोट 19 : प्रचालनों से राजस्व

(रूपये मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	**सेवाओं की बिक्री**		
	तकनीकी हैंडलिंग सेवा राजस्व	4,107.13	1,705.79
	अन्य सेवा राजस्व	13,970.17	9,193.21
		18,077.30	**10,899.00**
2	**अन्य प्रचालनिक राजस्व**		
	इंजीनियरिंग प्रशिक्षण राजस्व	108.35	170.21
		108.35	**170.21**
3	**आकस्मिक राजस्व**	633.44	530.97
		633.44	**530.97**
	प्रचालनों से कुल राजस्व	**18,819.09**	**11,600.19**

नोट 20 : अन्य आय

(रूपये मिलियन में)

क्र.सं	विवरण	2021-22	2020-21
1	अन्य आय	31.00	45.45
2	ब्याज आय	215.13	209.79
	कुल	**246.13**	**255.24**

नोट 21: कर्मचारी लाभ व्यय

(रूपये मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	वेतन, पारिश्रमिक और बोनस	5,024.73	5,562.77
2	भविष्य और अन्य निधियों में योगदान	254.98	309.04
3	कर्मचारी कल्याण व्यय	256.41	421.63
4	उपदान का प्रावधान	255.80	470.94
5	अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	221.77	146.68
	कुल	**6,013.70**	**6,911.07**

नोट 22: वित्तीय लागत

(रूपये मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	ब्याज व्यय	1,525.23	1,561.59
	कुल	**1,525.23**	**1,561.59**

नोट 23: मूल्यहृास और परिशोधन व्यय

(रूपये मिलियन में)

क.सं	विवरण	2021-22	2020-21
1	मूर्त संपत्ति का मूल्यह्वास	606.42	115.20
	कुल	**606.42**	**115.20**

नोट 24: अन्य व्यय

(रूपये मिलियन में)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	बीमा व्यय	71.51	54.65
2	सामग्री की खपत–विमान	2,105.81	966.47
3	हैंडलिंग प्रभार	349.67	159.57
4	संचार शुल्क	8.08	9.34
5	यात्रा खर्च	137.95	72.69
6	किराया	1,260.93	1,051.18
7	दरें और कर	61.62	87.00
8	मरम्मत एवं रखरखावः		
i)	इमारतें	45.42	18.58
ii)	अन्य	552.98	261.19
9	परिवहन का किराया	108.89	128.80
10	डीजीसीए से शुल्क	1.28	3.17
11	बिजली और हीटिंग प्रभार	297.34	307.83
12	जल प्रभार	14.96	43.49
13	प्रचार और बिक्री संवर्धन	0.64	0.57
14	मुद्रण और स्टेशनरी	5.75	6.58
15	पेशेवर और कानूनी शुल्क	18.96	10.67
16	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक और व्यय	-	-

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
i)	लेखापरीक्षा शुल्क	0.33	0.33
ii)	अन्य व्यय	0.03	0.03
17	अन्य लेखापरीक्षा व्यय	1.15	0.85
18	बैंक प्रभार	0.99	0.61
19	अन्य खर्चे	87.45	152.75
20	संपत्ति/स्क्रैप की बिक्री पर हानि	0.06	0.02
21	संदिग्ध प्राप्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	35.24	98.46
	कुल	**5,167.03**	**3,434.84**

नोट 25: प्रति शेयर आमदनी

भारतीय लेखांकन मानक–33 के अनुसार आय प्रति शेयर (ईपीएस) गणना का प्रकटीकरण

विवरण	2021–22	2020–21 (पुनर्स्थापित)
लाभ और हानि खाते के अनुसार विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	8,371	-167.27
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	166.67	166.67
मूल और विलयित ईपीएस	50.23	-1.00
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10

26. विनिवेश प्रक्रियाः

तत्कालीन एअर इंडिया (एआई) के विनिवेश पर नीति आयोग की सिफारिशों और उसके बाद, विनिवेश पर सचिवों के प्रमुख समूह (सीजीडी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28 जून, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एअर इंडिया समूह के नीतिगत विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। सीसीईए ने नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) का भी गठन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2019 में उस नाम और शैली के तहत, जिसे अब एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के रूप में जाना जाता है, एसपीवी के गठन के लिए एक पूर्व–कार्यात्मक स्वीकृति दी गई थी, जो चार सहायक एआईएटीएसएल एएएएल, एआईईएसएल, एचसीआई, गैर प्रमुख परिसंपत्तियां, पेंटिंग और कलाकृतियां और अन्य गैर प्रचालनिक परिसंपत्तियों के साथ किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित संचित कार्यशील पूंजी ऋण के भंडारण के लिए नहीं है। उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) का विनिवेश किया गया है।

इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने अपने दिनांक 31 दिसंबर, 2021 के पत्र सं. 17046/56/2019 एवं एआई के तहत एअर इंडिया लिमिटेड की चार सहायक कंपनियों (एआईएटीएसएल, एएएएल, एआईईएसएल, और एचसीआई और एसेट होल्डिंग लिमिटेड को स्थानांतरित करने के एआईएसएएम के निर्णय से अवगत कराया है।

सहायक कंपनियों में निवेश के हस्तांतरण के लिए एआईएसएएम के निर्णय के अनुसार, कंपनी (एआईईएसएल) के शेयरों को तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड से बही मूल्य पर एआईएएचएल को स्थानांतरित किया जा रहा था। तदनुसार, एआईईएसएल के शेयरों के हस्तांतरण के लिए तत्कालीन एआईएल और एआईएएचएल के बीच शेयर खरीद समझौता (एसपीए) दिनांक 10 जनवरी, 2022 को निष्पादित किया गया था।

भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और एसपीए के अनुसार, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता तत्कालीन एआईएल से एआईएएचएल को हस्तांतरित कर दी गई है और कंपनी के बोर्ड का भी पुनर्गठन किया

गया है, और कंपनी के शेयरों को दिनांक 12 जनवरी, 2022 से एआईएएचएल को स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल), एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की नई मूल कंपनी/ होल्डिंग कंपनी बन गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार तत्कालीन एआईएल की बहियों में विनिवेश तिथि को एआईईएसएल की बकाया वसूली तत्कालीन एआईएल से एआईएएचएल को 21,175.63 मिलियन रूपये की राशि में स्थानांतरित कर दी गई है।

27. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और पूंजीगत प्रतिबद्धताः

क. आकस्मिक देयताएं (जिस सीमा के लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (कुछ मामलों में ब्याज और दंड को छोड़कर) और आवश्यक जानकारी, इंड एएस 37 के अनुपालन में, निम्नानुसार हैंः

(रूपये मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2022 को शेष	31 मार्च 2021 को शेष
(i)	कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस जो अपील (*) के अंतर्गत हैं।	642.20	641.71
(ii)	स्टाफ''/सिविल/न्यायालयों में लंबित मध्यस्थता मामलों के कारण अन्य दावे	राशि निर्धारण योग्य नहीं है	राशि निर्धारण योग्य नहीं है
	कुल	**642.20**	**641.71**

<u>आकस्मिक देयताओं के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण</u>

* कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर (टीडीएस) मांग नोटिस, जो अपील के अधीन हैंः

(रूपये मिलियन में)

वित्तीय वर्ष	धारा 210(1) के अंतर्गत चूक की कुल राशि	धारा 210(1क) के अंतर्गत ब्याज की कुल राशि	कुल मांग	अपील की स्थिति
2014-15	16.48	11.93	28.41	निर्धारण आदेश के विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई।
2015-16	26.96	16.18	43.14	निर्धारण आदेश के विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई। दिनांक 13.07.2022 के नोटिस के तहत सुनवाई की तिथि 28.07.2022 थी और स्थगन की मांग की गई थी।
2016-17	42.09	20.20	62.29	दिनांक 28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई थी।
2017-18	135.72	48.86	184.58	दिनांक 28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई थी।
2018-19	261.11	62.67	323.77	दिनांक 28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई थी।
कुल	**482.36**	**159.84**	**642.20**	

* दिनांक 31 मार्च, 2022 तक उपरोक्त मांग पर धारा 220(2) के तहत ब्याज 160.43 मिलियन रूपये होगा।

** कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी को एक पक्षकार बनाते हुए कर्मचारियों के मामलों से संबंधित विभिन्न अदालतों में मामले दायर किए हैं। प्रबंधन की राय में, देनदारियों की राशि, कंपनी के लिए देय नहीं होगी।

क. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खातें पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धताएं शून्य है। (पिछले वर्ष शून्य)

ख. कंपनी द्वारा दी गई निष्पादन गारंटी

कंपनी ने बीआईएएल के साथ संपर्क के तहत दायित्व के उचित निष्पादन के लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) को 1.00 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 1.00 मिलियन रूपये) की निष्पादन गारंटी (बीजी) प्रदान की है।

28. इंड एएस 8 ''लेखांकन नीतियों के अनुसार पूर्व अवधि की त्रुटियों का सुधार और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों''

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पाया है कि वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित पंक्ति मदों को पिछले वर्ष में गलत लेखांकन/प्रकटीकरण किया गया था। इन त्रुटियों को अब वित्तीय वर्ष 2020–21 के पूर्व वर्ष के लिए प्रभावित वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत करके ठीक किया गया है।

(रूपये मिलियन में)

	31 मार्च 2021 को		
विवरण	31 मार्च 2021 को (पूर्व में रिपोर्टिड अनुसार)	त्रुटियों की शुद्धि के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च 2021 को (पुनर्निर्धारित)
तुलन पत्र (सार)			
चालू प्रावधान	2,596.57	71.45	2,668.03
लाभ और हानि विवरण (सार)			
किराया व्यय	979.73	71.45	1,051.18
अन्य व्यय	3,363.39	71.45	3,434.84
नकद प्रवाह विवरण (सार)			
अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-13,234.00	71.45	-13,162.55

पूर्व वर्ष के लिए प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय को भी पुनर्कथित किया गया है। प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय, दोनों के लिए सुधार की गई राशि में 0.43 प्रति शेयर की कमी आई थी।

29. पुष्टि/सुलह

(i) कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के लिए शेष राशि की पुष्टि की मांग की है। हालांकि, केवल कुछ पक्षों ने प्रतिक्रिया दी है और वे कंपनी की बहियों के साथ सहमत हैं। जहां भी पुष्टि की गई शेष राशि बहियों के अनुरूप नहीं है, उस मामले में अंतर का समाधान प्रक्रियाधीन है।

व्यापार प्राप्तियों के मामले में, कंपनी ने तत्कालीन होल्डिंग कंपनी और समूह की कंपनियों सहित नई होल्डिंग कंपनी से प्राप्यों की शेष राशि की शेष पुष्टि प्राप्त की है, जिसमें कंपनी की प्राप्तियों का 75.57 प्रतिशत (पिछले वर्ष 70.39 प्रतिशत) शामिल है और समायोजन पूरा कर लिया गया है और शेष राशि की पुष्टि प्राप्त कर ली गई है। व्यापार देय के मामले में कुछ पक्षों ने प्रतिक्रिया दी है और जहां भी पक्षों की शेष राशि बहियों के अनुरूप नहीं है, अंतरों का समाधान प्रगति पर है। समायोजन से उत्पन्न परिणामी समाधान के प्रभाव, यदि कोई हो, को समायोजन के पूरा होने और उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन के वर्ष में निपटाया जाएगा।

(ii) तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड, एआईईएसएल के कारण, स्व–अंशदायी सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के तहत भुगतान करती थी और कंपनी से वसूल करती थी और 104.08 मिलियन रूपये की ऋण शेष राशि, कंपनी की

बहियों में दिखाई दे रही थी, जो समाधान के अधीन है। समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों के प्रभाव, यदि कोई हों, को उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन पर लेखांकित में लिया जाएगा।

(ii) माल और सेवाकर (जीएसटी) और अन्य वैधानिक देय राशियों को कंपनी द्वारा दायर किए गए रिटर्न और वैधानिक रिकॉर्ड के साथ मिलान की प्रक्रिया में है। समाधान से उत्पन्न परिणामी समायोजन के प्रभाव, यदि कोई हो, समाधान के पूरा होने और उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन के वर्ष में निपटाया जाएगा।

(iii) कर्मचारियों से कुछ बिना मिलानयुक्त प्राप्य/वसूली योग्य और कुछ नियंत्रण बही सहित देय राशि का मिलान प्रक्रिया में है। समाधान से उत्पन्न परिणामी समायोजन के प्रभाव, यदि कोई हो, को समाधान के पूरा होने और उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के वर्ष में निपटाया जाएगा।

नकद और बैंक शेष

I. वर्ष के अंत में उपलब्ध नकदी के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई है और नकदी शेष का प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

II. कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2022 तक बैंक से शेष राशि की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है। कंपनी ने सभी बैंक खातों/सावधि जमा राशियों के संबंध में पुष्टि/बैंक विवरण प्राप्त किया है। वे दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की लेखा बहियों के साथ मिलान कर रहे हैं।

30. भौतिक सत्यापन एवं समाधान

क. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी की नीति के अनुसार, पीपीई के भौतिक सत्यापन के लिए, कंपनी ने चरणबद्ध आधार पर पीपीई (दिल्ली) की संपत्ति टैगिंग के लिए सनदी लेखाकारों की एक पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है। इस फर्म ने अपनी रिपोर्ट, दिनांक 17 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत की है, जिसमें 0.83 मिलियन रूपये के डब्ल्यूडीवी वाली 41 मदों की कमी दिखाई गई और 2152 अतिरिक्त मदें दर्शाई गई हैं। पाई गई विसंगतियों और अधिकता को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समायोजित/लेखाबद्ध किया जाएगा। आगे, प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, संपत्ति सूची में दिए गए संपत्ति कोड की पहचान करने के लिए उत्पाद/परिसंपत्ति कोड की अनुपलब्धता के कारण 1056 संपत्तियों का सत्यापन नहीं किया जा सका है।

ख. इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन

इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन हेतु कंपनी वित्तीय वर्ष 2022–23 में एक एजेंसी नियुक्त करेगी तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर प्रक्रिया एवं भौतिक सत्यापन यथासमय पूर्ण कर लिया जायेगा।

31. आंतरिक नियंत्रण

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की निरंतर प्रक्रिया में है, ताकि परिकल्पित सभी क्षेत्रों के कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपयोगकर्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने आवश्यक प्रणाली में सुधार, यदि कोई हो, के लिए सुझाव देने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है।

32. खंड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108, प्रचालनिक सेगमेंट द्वारा परिभाषित अनुसार, कंपनी के सीईओ को मुख्य प्रचालनिक निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है। सीओडीएम कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, हालांकि कंपनी एमआरओ (विमान, इंजन और घटकों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) सेवाओं में लगी हुई है, जो इसका प्राथमिक और केवल रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड है और भारत में सम्पूर्ण प्रचालन यही है। इसलिए, कंपनी के पास भारतीय लेखांकन मानक 108 ''ऑपरेटिंग सेगमेंट'' के अनुसार कोई रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट नहीं है।

क. 10 प्रतिशत से अधिक के राजस्व वाले ग्राहकों का प्रकटन :

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
एअर इंडिया लिमिटेड	12,101.08	6,251.77
आईएएफ – एसईएसएफ	4,455.45	2,815.84

33. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

क. परिभाषित योगदान योजना

कर्मचारी भविष्य निधिः कंपनी के पास स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट था। इसके अलावा, कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ईपीएफओ की सदस्यता लेती है जो अनुबंध पर कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योजनाओं को नियंत्रित करती है। कंपनी के साथ–साथ कर्मचारी भी, भविष्य निधि में लागू दरों पर अंशदान करते हैं, जिसमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है। एअर इंडिया के विनिवेश के बाद, स्थायी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारी ईपीएफओ के ही सदस्य हैं। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कंपनी का योगदान 254.98 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष : 305.18 मिलियन रूपये) है।

ख. परिभाशित लाभ योजनाएँ

i. उपदान : उपदान का भुगतान, उपदान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर देय होता है। भारत में कंपनी की परिभाषित लाभ उपदान योजना (अनिधित) है। कंपनी की ओर से उपदान का भुगतान तब किया जाता है जब यह देय होता है और उपदान के लिए कंपनी की योजना के अनुसार भुगतान किया जाता है।

उपदान के इंड एएस के अनुसार प्रकटन विवरण: - **(रूपये मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
लाभ का प्रकार	उपदान	उपदान
राष्ट्र	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रूपया	भारतीय रूपया
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19)
वित्तीयन स्थिति	अनिधिकी	अनिधिकी
आरंभिक अवधि	01.04.21	01.04.20
रिपोर्टिंग तिथि	31.03.22	31.03.21
रिपोर्टिंग अवधि	12 माह	12 माह
संदर्भ आईडी	678458	536241

अनुमान (पूर्व अवधि)		
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	6.85%	6.83%
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम
अनुमान (वर्तमान अवधि)		
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायत की दर	7.23%	6.85%
वेतन वृद्धि की दर	5.50%	5.50%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012–14) शहरी	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) अंतिम

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका		
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,076.35	3,222.88
ब्याज लागत	199.46	220.12
चालू सेवा लागत	80.95	86.05
पूर्व सेवा लागत	-	-
दायित्व अंतरण/अधिग्रहण	-	-
(देयता अंतरण/विनिवेश)	-	-
कटौती पर (लाभ)/हानि	-	-
(देयताएं निपटान पर समाप्त)	-	-
(लाभ का भुगतान सीधे नियोक्ता द्वारा किया जाता है)	-571.23	-351.90
(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि में परिवर्तन के कारण	-1.03	-
जनसांख्यिकी अनुमान	-39.90	-2.26
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि में परिवर्तन के कारण	-27.69	-98.55
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,716.91	3,076.35
योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता विवरण		
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	-	-
नियोक्ता द्वारा योगदान	-	-
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-
परिसंपत्ति का अंदर अंतरण/अधिग्रहण	-	-
(परिसंपत्तियों का बाहर अंतरण/विनिवेश)	-	-

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
(निपटान पर परिसंपत्तियों का संवितरण)	-	-
परिसंपत्ति परिसीमन के प्रभाव	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
ब्याज आय को छोड़कर, योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	**-**	**-**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
तुलन पत्र में स्वीकृत राशि		
(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	-2,716.91	-3,076.35
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(घाटा))	-2,716.91	-3,076.35
निवल (देयता)/तुलनपत्र में स्वीकृत परिसंपत्ति	**-2,716.91**	**-3,076.35**
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत		
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,076.35	3,222.88
(अवधि के आरंभ में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
आरंभ में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	3,076.35	3,222.88
ब्याज लागत	199.46	220.12
(ब्याज आय)	-	-
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**199.46**	**220.12**
वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि विवरण में स्वीकृत व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	80.95	86.05
शुद्ध ब्याज लागत	199.46	220.12
विगत सेवा लागत	-	-
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
कटौती और निपटान पर (लाभ)/हानि	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
स्वीकृत व्यय	**280.41**	**306.18**
वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय		
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-68.62	-100.81
ब्याज आय को छोड़कर, योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
परिसंपत्ति परिसीमन में परिवर्तन	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	**-68.62**	**-100.81**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
तुलनपत्र समायोजन		
आरंभिक निवल देयता	3,076.35	3,222.88
लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय	280.42	306.18

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
ओसीआई में स्वीकृत व्यय	-68.62	-100.81
अंदर अंतरित की गई निवल देयता / (परिसंपत्ति)	-	-
बाहर अंतरित की गई निवल देयता / (परिसंपत्ति)	-	-
(नियोक्ता को लाभ का प्रत्यक्ष भुगतान)	-571.23	-351.90
(नियोक्ता का अंशदान)	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	**2,716.91**	**3,076.35**
परिसंपत्तियों की श्रेणी		
भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
विशेष जमा योजना	-	-
ऋण उपकरणों	-	-
व्यापारिक बाध्यता	-	-
नकद और नकदी के समतुल्य	-	-
बीमा निधि	-	-
संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-
संरचित ऋण	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
अन्य विवरण		
सेवारत सदस्यों की संख्या	4,860.00	5,067.00
सेवारत सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	234.31	243.91
परिभाषित लाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि	5.00	5.00
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा	12.00	12.00
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – कुल	2,716.91	3,076.35
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	48.17	164.47
अगले वर्ष में अपेक्षित योगदान	-	-
लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण		
रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों के लिए देय अनुमानित लाभ		
1 आगामी वर्ष	624.42	779.73
2 आगामी वर्ष	288.31	297.16
3 आगामी वर्ष	406.48	479.60
4 आगामी वर्ष	422.00	384.11
5 आगामी वर्ष	364.34	391.06
वर्ष 6 से 10 का योग	808.37	994.94
वर्ष 11 और उपर के वर्षों का योग	917.00	875.74
संवेदनशीलता का विश्लेषण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
वर्तमान मान्यताओं पर परिभाषित लाभ दायित्व	**2,716.91**	**3,076.35**
छूट की दर में +1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-98.52	-108.07
छूट की दर में –1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	108.17	118.57
वेतन वृद्धि की दर में +1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	70.28	83.50
वेतन वृद्धि की दर में –1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-72.73	-83.96

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	14.01	11.87
कर्मचारी टर्नओवर की दर में – 1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-15.03	-12.71

संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है।

उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को शायद प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों, क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।

पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोटः

बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है।

ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं।

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर–रियायती नकद प्रवाह है।

औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व।

परिभाषित लाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि नकदी प्रवाह समय का भारित औसत है, जहां भार प्रत्येक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से लेकर कुल वर्तमान मूल्य तक प्राप्त किया जाता है।

किसी भी लाभ भुगतान और योजना संपत्तियों में योगदान को वर्ष के अंत में प्रकटीकरण में देयता और निधि संचलन को दर्शाने के लिए स्वीकार किया जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

पैरा 139 (क) परिभाषित लाभ योजना की विशेषताएं

इकाई के पास भारत में परिभाषित लाभ उपदान योजना है (अनिधित)। इकाई की परिभाषित लाभ उपदान योजना, कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन योजना है।

उपदान का भुगतान, इसके देय होने पर इकाई द्वारा किया जाता है और उपदान के लिए इकाई योजना के अनुसार भुगतान किया जाता है।

पैरा 139 (ख) परिभाषित लाभ योजना से जुड़े जोखिम

उपदान, एक परिभाषित लाभ योजना है और इकाई को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ता हैः

ब्याज दर जोखिमः छूट दर में गिरावट जो जी-अनुच्छेद से जुड़ी है। यह दर, देयता के वर्तमान मूल्य में वृद्धि करेगी, जिसके लिए अधिक प्रावधान किए जाने की की आवश्यकता होगी।

वेतन जोखिमः परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना सदस्यों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार, सदस्यों के वेतन में अनुमानित स्तर से अधिक वृद्धि से योजना का दायित्व बढ़ जाएगा।

परिसंपत्ति देयता मैचिंग जोखिम : मैचिंग नकद प्रवाह के मामले में, योजना को एएलएम जोखिम हो सकता है। निकाय को भुगतान के आधार पर पे–आउट का प्रबंधन अपनी निधि से करना होगा।

मृत्यु दर जोखिमः चूंकि योजना के तहत लाभ जीवन भर के लिए देय नहीं है और केवल सेवानिवृत्ति की आयु तक देय है, इसलिए योजना में कोई दीर्घायु जोखिम नहीं है।

पैरा 139 (ग) परिभाषित लाभ योजना की विशेषताएं।

वर्ष के दौरान कोई योजना संशोधन कटौती और बंदोबस्त नहीं हुई है।

पैरा 147 (क)।

उपदान योजना अपूर्ण है।

ii. **सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभः** कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना विद्यमान है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 के पत्र द्वारा विनिवेश के बाद एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) के पात्र स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ सुविधा को मंजूरी दी है। इस योजना के शुरू होने के बाद, इस योजना के तहत सभी व्यय, बजटीय प्रावधानों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए, कंपनी ने भविष्य में कोई देयता प्रदान नहीं की है। कंपनी के पात्र स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा के प्रति दायित्व उचित प्राधिकारी के अनुमोदन पर और उसके बाद बट्टे खाते डाला जाएगा।

चिकित्सा लाभ संबंधी इंड एएस के अनुसार प्रकटन विवरण : - (रूपये मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित दायित्व	-	**2,273.10**
ब्याज लागत	-	**154.8**
वर्तमान सेवा लागत	-	**25**
विगत सेवा लागत	-	**-**
देयता स्थानांतरित/विनिवेश	-	**-**
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	-	**-4.3**
निधि से लाभ का भुगतान	-	**-**
बीमांकिक दायित्व पर (लाभ)/हानि	-	
जनसांख्यिकी अनुमान	-	**190.04**
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन	-	**-28.9**
अनुभव समायोजन	-	**-275.9**
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	-	**2,334.20**

तुलनपत्र में स्वीकृत राशि:

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
वर्ष के अंत में देयता	-	-2,334.20
वित्तपोषित स्थिति अधिशेष/(घाटा)	-	-2,334.20
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	-	-2,334.20

क) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि		
विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
वर्तमान सेवा लागत	-	25
ब्याज लागत	-	154.8
विगत सेवा लागत	-	-
ब्याज आय	-	-
वर्ष के लिए व्यय	-	179.8

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि		
विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि	-	-114.4
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
कुल	-	-114.4

ख) प्रमुख बीमांकक अनुमान

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
छूट की दर (प्रतिशत)	-	6.91%
वेतन वृद्धि / मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	-	-
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति	-	4.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	-	2.00%
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ (प्रतिशत)	-	-

ग) संवेदनशीलता विश्लेषण

दिनांक 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 को 1 प्रतिशत की वृद्धि / कमी पर विचार करते हुए, महत्वपूर्ण बीमांकिक अनुमानों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण, यह दर्शाता है कि परिभाषित लाभ बाध्यता कैसे प्रभावित होगीः

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
छूट की दर में +1 % परिवर्तन	-	-258.5
छूट की दर में –1 % परिवर्तन	-	319.3
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति की दर में +1 % परिवर्तन	-	325.7
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति की दर में –1 % परिवर्तन	-	-267.3
वेतन वृद्धि की दर में +1 % परिवर्तन	-	-
वेतन वृद्धि की दर में में –1 % परिवर्तन	-	-
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1 % परिवर्तन	-	-
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –1 % परिवर्तन	-	-

संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण, 6 अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं में यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया गया है। ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे की भिन्नता में होगा क्योंकि कुछ धारणाएँ सहसंबद्ध हो सकती हैं। इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, अनुमानित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि तुलनपत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्व की गणना में लागू की गई विधि के समान है। पिछले वर्षों से संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों और धारणाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ग. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

i. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

कंपनी के पास रोजगार के दौरान या मृत्यु, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के कारण कंपनी से अलग होने पर कर्मचारियों द्वारा संचय और नकदीकरण के प्रावधानों के साथ क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति पर एक नीति विद्यमान है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की अपेक्षित लागत निर्धारित की जाती है।

ii. बोनस

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार, सभी कर्मचारियों को बोनस देय है और इसका प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है।

34. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') रोजगार के दौरान कर्मचारी लाभ और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस सहिंता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, संहिता के प्रभावी होने की तिथि की सूचना नहीं दी गई है। संहिता के प्रभाव में आने पर कंपनी उसके प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

सेप सिस्टम में वेंडर मास्टर में एक फील्ड, माइनॉरिटी इंडिकेटर होता है, जिसे वेंडर की पहचान एमएसएमई के रूप में करने के लिए अपडेट किया जाता है। एमएसएमई विक्रेताओं के अधिक विवरण, जैसे प्रमाण पत्र संख्या, उद्यमी का नाम, संगठन का प्रकार, प्रारंभ करने की तिथि, बैंक विवरण आदि को प्राप्त करने के लिए प्रणाली का संवर्धन किया गया है। तदनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि, उस सीमा तक निर्धारित की गई है, जिस सीमा तक ऐसी पक्षों की पहचान कंपनी द्वारा एकत्र की गई जानकारी जाने के आधार पर की गई है और लेखापरीक्षक द्वारा उस पर विश्वास किया गया है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (चिन्हित सीमा तक) के तहत शामिल किए गए ऐसे उपक्रमों को आपूर्तिकर्ता के साथ सहमत निर्धारित समय सीमा/तारीख के भीतर भुगतान किया गया है। अन्य मामलों में, आवश्यक अनुपालन/प्रकटीकरण यथासमय सुनिश्चित किया जाएगा।

(रूपये मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
क.	देयमूल राशि और शेष अप्रदत्त	35.84	36.23
ख.	उपर्युक्त पर देय ब्याज	0.02	0.04
ग.	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान	-	-
घ.	ब्याज का भुगतान किया	-	-
ड.	देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज	-	-
च	अर्जित ब्याज और अप्रदत्त शेष	0.02	0.04
छ	आगामी वर्षों में बकाया और देय शेष ब्याज की राशि	-	-

36. आय कर

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर		
वर्तमान कर (एमएटी)	**584.52**	**-**
पिछले वर्षों के कर का अल्प/(अतिरेक) प्रावधान*	-	-
कुल	**584.52**	**-**
आस्थगित कर		
न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता	(583.16)	
आस्थगित कर आय (एमएटी को छोड़कर)	(2,619.71)	-
कुल	**(3,202.87)**	.

* यह चालू वर्ष में पहचान किए गए पिछले वर्षों के आयकर (शुद्ध) के कम (अधिक) प्रावधान को दर्शाता है।

विनिर्दिष्ट वर्ष के लिए स्वीकृत आयकर व्यय के लिए वैधानिक आयकर दर पर कर से पहले लेखांकन लाभ पर लागू आयकर व्यय का समाधान इस प्रकार हैः

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**5,752.82**	**(212.31)**
कंपनी के लिए लागू अधिनियमित कर दर (एमएटी)।	17.472%	-
अधिनियमित कर दर (एमएटी) पर अपेक्षित आयकर व्यय	**1005.13**	**-**
निम्न का कर प्रभावः		
कर योग्य लाभ का निर्धारण करने में व्यय जिसे काटा नहीं गया	6.16	-
पूर्व वर्षों के लिए कर का अल्प/(अतिरेक) प्रावधान*	-	-
अग्रणीत हानि या अनवशोषित मूल्यह्रास, जो भी कम हो या दोनों, जो भी लागू हो	(440.12)	-
कर्मचारी लाभ दायित्वों के पुनर्मापन का प्रभाव	11.99	-
अग्रिम कर के भुगतान में विलंब	1.36	
लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत आयकर	**584.52**	**-**

*यह चालू वर्ष में चिन्हित पिछले वर्षों के आयकर (शुद्ध) के अल्प/(अतिरेक) प्रावधान को दर्शाता है।

37. आस्थगित कर संपत्ति/(देयताएं)

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (डीटीए) भावी अवधियों में अप्रयुक्त कर हानियों को अग्रेषित करने, अप्रयुक्त कर ऋणों को अग्रेषित करने और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों (जो कि अस्थायी अंतर हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी राशियां होंगी, के संबंध में वसूली योग्य आयकर की राशि हैं भविष्य की अवधि के कर योग्य लाभ (कर हानि) का निर्धारण करने में कटौती योग्य जब संपत्ति या देयता की वहन राशि वसूल या व्यवस्थित हो जाती है)। आस्थगित कर देनदारियां (डीटीएल) कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की राशि हैं।

कंपनी के पास इस बात के निश्चित तथ्य हैं कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध अप्रयुक्त कर हानियों, कटौती योग्य समय के अंतर या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निकट भविष्य में इकाई द्वारा किया जा सकता है। इसलिए इस वर्ष इंड एएस 12 ''आयकर'' आस्थगित कर संपत्ति/देनदारियों के अनुरूप बनाया गया है।

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आरंभिक डीटीए/डीटीएल	-	-
(डीटीएल) के कारण आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यह्रास	26.46	-
कुल आस्थगित कर देयता	26.46	.
(डीटीए) के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति		

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	8.57	-
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	195.66	
अवशोषित मूल्यह्रास और हानि	826.31	-
एमएटी ऋण पात्रता	583.16	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1,615.64	-
कुल आस्थगित कर संपत्ति	3,229.33	-
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति	3,202.87	-

तुलन पत्र में स्वीकृत आस्थगित कर संपत्ति/ (देयता)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,229.33	-
आस्थगित कर देयतां (निवल)	26.46	-

38. संबंधित पक्ष लेनदेन

वर्ष 2021–22 के दौरान भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 24) द्वारा यथापेक्षित संबंधित पक्षों के नामों और पदनामों का प्रकटीकरण।

क. संबंधित पक्षों की सूचीः

i. इंड एएस 24 के संदर्भ में, निम्नलिखित वे संबंधित पक्ष हैं, जो सरकार से संबंधित संस्थाएं हैं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार):

क्र. सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	12 जनवरी 2022 से धारक कंपनी
2	एअर इंडिया लिमिटेड	12 जनवरी 2022 तक धारक कंपनी

ii. **अन्य :**

क्र. सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	सरकार द्वारा एक ही नियंत्रण की इकाई
2	नागर विमानन मंत्रालय	

iii. **संबद्ध सहायक कंपनियों की सूची :**

क्र. सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई)	सहायक कंपनी
2	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	सहायक कंपनी
3	एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल)	12 जनवरी, 2022 सहायक कंपनी
4	एलायंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)	सहायक कंपनी
5	एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल)	12 जनवरी, 2022 तक सहायक कंपनी
6	एइर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	12 जनवरी, 2022 तक सहायक संयुक्त उद्यम

iV. निदेशक मंडल

क्र. सं	निदेशक का नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्री राजीव बंसल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष, एआईईएसएल (14.02.2020 से 12.01.2022 तक)
2.	श्री विक्रम देव दत्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	अध्यक्ष, एआईईएसएल (27.01.2022 से)
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक, एआईईएसएल
4.	श्री विमलेन्द्र आनंद पटवर्धन	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक, एआईईएसएल
5.	सुश्री मीनाक्षी मलिक	निदेशक वाणिज्यिक, एअर इंडिया लिमिटेड	एअर इंडिया नामित निदेशक और महिला निदेशक (11.09.2020 से 12.01.2022 तक)
6.	श्री प्रांजोल चंद्रा	निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक, एआईईएसएल (12.01.2022 से 11.02.2022 तक)
7.	श्रीमती परमा सेन	संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	नामित निदेशक और महिला निदेशक, एआईईएसएल (11.02.2022 से)

v. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्र. सं	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पद
1.	श्री सुब्रमण्यन सेंथिल कुमार	मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक 01.01.2021 से 31.05.2021 तक
2.	श्री पलानी कुमारवेल	मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक 01.06.2021 से 30.06.2021 तक
3.	श्री चंद्रशेखर बालकृष्ण कारखानिस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक 01.07.2021 से 30.07.2021 तक
4.	श्री जोस मैथ्यू	मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक 30.07.2021 से 30.04.2022 तक
5.	श्री शरद अग्रवाल	मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक 01.05.2022 से
6.	श्री कपिल आसेरी	मुख्य वित्तीय अधिकारी दिनांक 09.11.2021 तक
7.	श्री गोपाल कृष्ण वलेचा	मुख्य वित्तीय अधिकारी दिनांक 09.11.2021 से 20.05.2022 तक
8.	श्री राकेश कुमार जैन	मुख्य वित्तीय अधिकारी दिनांक 20.05.2022 से
9.	श्री गगन बत्रा	कंपनी सचिव 09.11.2021 तक
10.	सुश्री साक्षी मेहता	कंपनी सचिव 09.11.2021 से

vi. प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) के साथ लेनदेन

i. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव के पारिश्रमिक और परिलब्धियों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं हुआ है। वर्ष 2021–22 के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए पारिश्रमिक और अनुलाभ 4.17 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 3.03 मिलियन रूपये), मुख्य वित्तीय अधिकारी के लिए 2.43 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 2.33 मिलियन रूपये) और कंपनी सचिव के लिए 1.24 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 1.20 मिलियन रूपये) हैं।

ii. एयरलाइन व्यवसाय के सामान्य क्रम में एमआरओ से संबंधित सेवाएं प्रदान करने जैसे लेनदेनों को ऊपर शामिल नहीं किया गया है।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के पास कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

vii. इंड एएस 24 के संदर्भ में, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाओं (भारत सरकार) और सरकार से संबंधित पक्षों के अलावा लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	निकायों का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2021-22 (रूपये मिलियन में)	2020-21 (रूपये मिलियन में)
1.	**एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल)**		
	प्रचालन से राजस्व	8739.90	6260.94
	व्यय		
	एएआई को बकाये पर ब्याज	955.26	1321.18
	परिसरों का किराये	912.18	905.57
	बिजली और उर्जा प्रभार	201.07	257.34
	बेचे गए सामान की कीमत	9.09	25.38
	वेतन–कर्मचारी/श्रमिकों को लगाना	(-)285.17	(-) 334.99
	कर्मचारी चिकित्सा व्यय	163.16	133.81
	आईटी उपकरण का रखरखाव	31.63	28.65
	वेतन–नेमेतिक श्रमिक	4.17	42.25
	अन्य व्यय	202.45	335.54
	कुल व्यय	**2193.85**	**2714.72**
	अंतिम शेष (देय)	**14215.57**	**15043.66**
2.	**एलायंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)**		
	आय		
	प्रचालन से राजस्व	506.35	459.10
	अन्य आय (ब्याज)	134.93	117.36
	व्यय		
	कुल खर्च	5.8	7.35
	अंतिम शेष राशि (प्राप्य)	**1718.13**	**1414.87**
3.	**एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)**		
	प्रचालन से राजस्व	14.12	0.63
	व्यय		
	हैंडलिंग प्रभार	238.34	98.90
	श्रमिक लागत	2.99	3.95
	बकाया राशि पर ब्याज एआईएटीएसएल	68.33	89.87
	अंतिम शेष राशि (देय)	**514.54**	**1072.26**
4.	**एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईएक्सएल)**		
	आय		
	प्रचालन से राजस्व	708.27	803.44
	अन्य आय (ब्याज)	30.50	90.45
	व्यय		
	कुल व्यय	3.8	13.11
	अंतिम शेष राशि (प्राप्य)	**154.32**	**749.40**
5.	**एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस)**		
	प्रचालन से राजस्व	0.20	0.30
	व्यय		
	हैंडलिंग प्रभार	81.72	55.88
	संविदा पर जनशक्ति को किराए पर लगाना	18.72	26.84
	उपकरण का किराया/पट्टे	5.76	15.15
	अन्य व्यय	5.65	1.41
	अंतिम शेष राशि (देय)	**636.45**	**862.75**

क्र. सं.	निकायों का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2021-22 (रूपये मिलियन में)	2020-21 (रूपये मिलियन में)
6.	सेंटूर होटल (एचसीआई)		
	व्यय		
	होटल का व्यय– ड्यूटी पर कर्मचारी	13.45	9.11
	अंतिम शेष राशि (देय)	**7.2**	**7.39**
7.	**एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) होल्डिंग कंपनी**		
	व्यय		
	एआईएएचएल को देय बकाया राशि पर ब्याज	407.27	-
	31 मार्च को अंतिम शेष		-
	– एआईएल से अंतरित वसूली योग्य बकाया	21,582.90	-

39. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के तहत ऐसी कंपनी द्वारा सीएसआर के लिए प्रावधान किए जाने आवश्यकता है, जिसने पिछले तीन निरंतर वित्तीय वर्षों के दौरान 500 करोड़ रूपये की निवल संपत्ति या 1,000 करोड़ रूपये के टर्नओवर या 5 करोड़ रूपये या उससे अधिक के शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। चूंकि, कंपनी को पिछले तीन निरंतर वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध घाटा हुआ है, इसलिए कोई सीएसआर खर्च नहीं किया गया है।

40. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित और व्यय किए गए विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का विवरण निम्नलिखित है।

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
विदेशी मुद्रा विनिमय आय	33.21	19.50
खर्च किया गया विदेशी मुद्रा विनिमय	36.52	58.21
शुद्ध विदेशी मुद्रा आय	3.31	38.71

41. स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा समिति के पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। धारा 178 के अनुसार कंपनी की कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है। कंपनी ने डीपीई के दिनांक 01.09.2020 के पत्र संख्या एआईईएसएल/सीएस/एचक्यू/25 के माध्यम से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। उक्त पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

42. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क और लेखापरीक्षकों के व्यय का विवरण :

(रूपये मिलियन में)

विवरण	2021-22	2020-21
संविधिक लेखपरीक्षा शुल्क – वर्ष के लिए	0.33	0.33
आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.03	0.03
कुल	**0.36**	**0.36**

43. अतिरिक्त विनियामक जानकारी

क) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम शून्य रूपये (पिछले वर्ष शून्य रूपये) है, जो मांग पर चुकाए जाने योग्य या चुकौती की किसी शर्तें या निर्धारित निर्दिष्ट के बिना हो।

ख) कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति का शीर्षक विलेख नहीं है।

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	नाम से धारित शीर्षक विलेख	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक है या प्रवर्तक*/निदेशक का संबंधी है या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
पीपीई	i. भूमि (लीजहोल्ड)	180.00	एआर इंडिया लिमिटेड	नहीं	8 अप्रैल, 2022	संदर्भ नोट 2.1
	ii. बिल्डिंग एमआरओ नागपुर	2,634.45	एआर इंडिया लिमिटेड	नहीं	8 अप्रैल, 2022	संदर्भ नोट 2.1
	iii. जेट 9डी टेस्ट हाउस	10.42	एआर इंडिया लिमिटेड	नहीं	1 अप्रैल, 2019	संदर्भ नोट 2.2
निवेश सम्पत्ति	भूमि	-	-	-	-	-
	भवन	-	-	-	-	-
बिक्री के लिए धारित गैर–चालू संपत्ति	भूमि	-	-	-	-	-
	भवन	-	-	-	-	-
अन्य		-	-	-	-	-

ग) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

सीडब्ल्यूआईपी अवधि अनुसूची निम्नानुसार हैः–

सीडब्ल्यूआईपी	**निम्न अवधि के लिए रूपये में सीडब्ल्यूआईपी**				**कुल**
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	1,134.69	**1,134.69**

संदर्भ नोट सं. 2.1

घ) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण :

कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, इसलिए, प्रावधान यह लागू नहीं है।

ड.) स्वैच्छिक चूककर्ता :

लागू नहीं।

च) स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ संबंध :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद हुई कंपनियों के साथ कंपनी के पास दिनांक 31.03.2022 (पिछली अवधि : शून्य) के अनुसार कोई बकाया राशि नहीं है।

छ) कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण

कंपनी रजिस्ट्रार के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

झ) कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या। कंपनियों की परतों की संख्या के साथ ऐसा अनुपालन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए लागू नहीं है।

ट) अनुपात का प्रकटीकरण

चलू अनुपात (रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कुल चालू परिसंपत्तियां	10,044	14,639
कुल चाले देनदारियाँ	6,085	30,846
अनुपात	1.65	0.47
प्रतिशत परिवर्तन	**248%**	**-**
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं तके कमी के कारण।	

ऋण इक्विटी अनुपात (रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कुल ऋण	-	-
शेयरधारकों की इक्विटी	-13,815	-22,255
अनुपात	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	-	-
कारण		

ऋण सेवा कवरेज अनुपात (रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ऋण सेवा हेतु उपलब्ध आय (ईबीआईडीटीए)	7,884	1,510
कुल ऋण	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	-	-
कारण		

लाभांश (रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर के बाद शुद्ध लाभ	8,371	-167
औसत शेयरधारकों की इक्विटी	-18,035	-22,279
अनुपात	-0.46	0.01
प्रतिशत परिवर्तन	**-6282%**	**-**
कारण	पिछले वर्ष के दौरान शुद्ध हानि की तुलना में वर्ष के दौरान किए गए शुद्ध लाभ के कारण	

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बेचे गए सामान की लागत	2,105.81	966.47
औसत इन्वेंटरी	756.39	790.43
अनुपात	2.78	1.22
प्रतिशत परिवर्तन	**128%**	
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में कलपुर्जों की खपत में वृद्धि के कारण	

व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात **(रूपये मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रचालन से राजस्व	18,819	11,600
अंतिम व्यापार प्राप्तियां	5,534	12,800
अनुपात	3.40	0.91
प्रतिशत परिवर्तन	**275%**	
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में कोविड के बाद राजस्व में वृद्धि के कारण।	

व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	(रूपये मिलियन में)	
विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अन्य व्यय	5,167	3,435
अंतिम व्यापार देय	4,081	6,131
अनुपात	1.27	0.56
प्रतिशत परिवर्तन	**126%**	
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में कोविड के बाद अन्य व्ययों में वृद्धि और समापन व्यापार देयों में कमी के कारण।	

शुद्ध पूंजी व्यवसाय अनुपात **(रूपये मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रचालन से राजस्व	18,819	11,600
कार्यशील पूंजी	396	-16,207
अनुपात	47.55	-0.72
प्रतिशत परिवर्तन	**-6743%**	
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में कोविड के बाद राजस्व में वृद्धि के कारण।	

शुद्ध लाभ अनुपात **(रूपये मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	8,371	-167
प्रचालन से राजस्व	18,819	11,600
अनुपात	0.44	-0.01
प्रतिशत परिवर्तन	**-3185%**	
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में कोविड के बाद राजस्व में वृद्धि के कारण।	

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल **(रूपये मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
असाधारण मद और कर जमा वित्त लागत से पूर्व लाभ	7,278	1,394
नियोजित पूंजी	-13,815	-22,255
अनुपात	-0.53	-0.06
प्रतिशत परिवर्तन	**741%**	
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में कोविड के बाद राजस्व में वृद्धि के कारण।	

निवेश पर प्रतिफल **(रूपये मिलियन में)**

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
निवेश से आय	शून्य	शून्य
निवेश का समापन संतुलन	शून्य	शून्य
अनुपात	शून्य	शून्य
प्रतिशत परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**
कारण	कोई निवेश नहीं किया गया	

1. कुल ऋण = गैर–चालू ऋण + चालू ऋण
2. ब्याज और कर पूर्व लाभ (ईबीआईटी) = असाधारण मद और कर पूर्व लाभ + वित्त लागत
3. बेचे गए माल की लागत = उपभोग की गई सामग्री की लागत + व्यापार स्टॉक की खरीद ± तैयार माल की सूची में परिवर्तन और कार्य–प्रगति
4. कार्यशील पूंजी = कुल चालू परिसंपत्ति – कुल वर्तमान देनदारियां
5. लगाई गई पूंजी = कुल इक्विटी ± कुल गैर–चालू देनदारियां
6. कुल इक्विटी = गैर–नियंत्रित ब्याज (घटा)/जमा (आस्थगित कर परिसंपत्तियां)/आस्थगित कर देयता (शुद्ध) छोड़कर कुल इक्विटीं

ठ) व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (योजनाओं) का अनुपालन

व्यवस्था की कोई अनुमोदित योजना नहीं है, इसलिए लागू नहीं है।

ढ) ऋण ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

कंपनी के सभी ऋणों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है, इसलिए यह लागू नहीं है।

44. उचित मूल्य मापन और वित्तीय साधन

क. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य निम्नानुसार है :

i. गोइंग कंसर्न आधार पर जारी रखने की अपनी क्षमता का संरक्षण ताकि कंपनी हितधारकों को प्रतिफल और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करने में सक्षम हो सके, तथा

ii. ऋण और इक्विटी संतुलन की इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

iii. कंपनी की पूंजी संरचना में कंपनी की कुल इक्विटी शामिल है।

iv. कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल समय–समय पर कंपनी की पूंजी संरचना की समीक्षा करते हैं। जब भी आवश्यक हो, समिति पूंजी की लागत और पूंजी के प्रत्येक वर्ग से जुड़े जोखिमों पर विचार करती है, और

v. दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी की पूंजी संरचना के प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया।

ख. वित्तीय साधन – श्रेणी और उचित मूल्य पदानुक्रम द्वारा

निम्न तालिका उचित मूल्य पदानुक्रम में उनके स्तरों सहित वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की अग्रणीत राशियों और उचित मूल्य को दर्शाती है।

31 मार्च, 2022 को

(रूपये मिलियन में)

विवरण	वहन मूल्य				उचित मूल्य मापन का प्रयोग		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय संपत्ति	-	-			-	-	-
गैर चालू							
अन्य	-	-	0.06	0.06	-	-	-
चालू	-	-			-	-	-
व्यापार प्राप्य*	-	-	5,534.49	5,534.49	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य*	-	-	2,569.40	2,569.40	-	-	-
उपर्युक्त से इतर अन्य बैंक शेष			1.00	1.00			
अन्य वित्तीय संपत्ति			8.37	8.37			
कुल			**8,113.32**	**8,113.32**			
	-	-			-	-	-
वित्तीय देनदारियों							
गैर चालू							
अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	21,582.90	21,582.90	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**21,582.90**	**21,582.90**	**-**	**-**	**-**
चालू							
व्यापार प्राप्य*							
क. एमएसएमई	-	-	35.84	35.84	-	-	-
ख. एमएसएमई से इतर	-	-	4,044.71	4,044.71	-	-	-
ग. अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	613.51	613.51	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**26,276.96**	**26,276.96**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2021 को

(रूपये मिलियन में)

विवरण	वहन मूल्य				उचित मूल्य मापन का प्रयोग		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई		एफवीटी पीएल
वित्तीय संपत्ति							
गैर चालू							
अन्य	-	-	0.06	0.06	-	-	-
चालू							
व्यापार प्राप्य *	-	-	12,799.78	12,799.78	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	3.91	3.91	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य*	-	-	4.83	4.83	-	-	-
उपर्युक्त से इतर अन्य बैंक शेष	-	-	33.75	33.75	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**12,842.33**	**12,842.33**	**-**	**-**	**-**
वित्तीय देयताएं							
गैर चालू	-	-	-	-	-	-	-
चालू							
व्यापार प्राप्य *							
क. एमएसएमई			36.23	36.23			

विवरण	वहन मूल्य				उचित मूल्य मापन का प्रयोग		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई		एफवीटी पीएल
ख. एमएसएमई से इतर	-	-	6,094.44	6,094.44	-	-	-
ग. अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	19,340.82	19,340.82	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**25,471.49**	**25,471.49**	**-**	**-**	**-**

(i) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के प्रति कंपनी के प्राप्य/देय को बाजार ब्याज दर पर अनुबंधित किया गया है, जिसे नियमित अंतराल पर पुनर्निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, इस तरह के उधारों का वहन मूल्य (उपार्जित ब्याज सहित) उचित मूल्य के समीप है।

* व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय, नकद और नकद समकक्षों, और अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों की वहन राशि, उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उचित मूल्यों का अनुमान लगाती है।

45. उचित मूल्य अनुक्रम

उचित मूल्य अनुक्रम इनपुट मूल्यांकन तकनीकियों पर आधारित है जो उचित मूल्य का मापन करने के लिए प्रयुक्त की गई है जो आमेलित किए जाने योग्य हैं या नही और इसमे निम्नलिखित 3 लेवल शामिल हैं :

स्तर 1: इनपुट प्रमुख परिसंपत्तियों और देयराशियों के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

स्तर 2: इनपुट लेवल 1 के भीतर कोट न किए हुए मूल्य के अलावा हैं जो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप से परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए आमेलित किए गए हैं।

स्तर 3: इनपुट आमेलित किए जाने योग्य बाजार डाटा पर आधारित हैं। उचित मूल्य का निर्धारण इस अनुमान पर आधारित मॉडल का प्रयोग करके पूर्ण या इसके भाग के रूप में किया गया है जो न तो समान लिखत में आमेलित किए जाने योग्य वर्तमान बाजार लिखत के मूल्य से समर्थित हैं और न ही ये उपलब्ध बाजार डाटा पर आधारित हैं।

46. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी को वित्तीय विवरणों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना होता है :

i. ऋण जोखिम

ii. नकदी जोखिम

iii. बाजार जोखिम – क. विदेशी मुद्रा और
ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य अपने प्रचालनों का वित्तपोशण करना है।

कंपनी उधार जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र इन जोखिमो का प्रबंधन की निगरानी करता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है, जिसे नीचे सारबद्ध किया गया हैः

(i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत पर दर्ज कोई काउंटर पार्टी अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल होता है। कंपनी को अपने व्यापार गतिविधियों (प्राथमिक व्यापर प्राप्य) से ऋण जोखिम बना रहता है।

रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का अधिक प्रभाव प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्य राशियों से है। व्यापार प्राप्य राशियां मुख्यत गैर जमानती होती हैं, जो ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। कंपनी जिस क्षेत्र में प्रचालन करती है उसकी निगरानी करती है। कंपनी ऋण अनुमोदन, ऋण सीमा निर्धारित करके तथा ग्राहक जिनको कंपनी कारोबार के सामान्य क्रम में ऋण प्रदान करती है, कि ऋण योग्यता की सतत निगरानी करके इसका प्रबंधन करती है।

व्यापार प्राप्यों में समान विमानन उद्योग से ग्राहकों की संख्या शामिल है। बकाया राशियों का महत्वपूर्ण भाग इसक समूह कंपनियों से है और जिसके लिए प्रबंधन किसी ऋण जोखिम की संभावना नहीं मानती है। तदनुसार, समूह कंपनियों से प्राप्यों पर कोई संभावित ऋण घाटा नहीं है।

समूह कंपनी और सरकारी प्राप्य राशियों के अतिरिक्त, अन्य पक्षों के संबंध में, ऋण जोखिम का कोई व्यापक एकत्रण नहीं है। दर्शाए गए किसी भी वर्ष में किसी एक ग्राहक के प्रति राजस्व के 10 प्रतिशत या अधिक का भाग नहीं है, केवल आईएएफ–एसईएसएफ को छोड़कर। बकाया व्यापार प्राप्यों की मॉनीटरिंग नियमित आधार पर की जाती है और समयसीमा से अधिक के लिए देय राशियों के एकत्रण के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सरलीकृत परिदृश्य के रूप में, कंपनी प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करके व्यापार प्राप्यों पर संभावित ऋण घाटों के प्रावधान करते हैं ताकि चूक भुगतानों को कम किया जा सके और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उपयुक्त प्रावधान किए जा सकें जहां कहीं बकाया राशियां लंबी अवधि के लिए देय हैं और उनके उच्च जोखिम शामिल है। प्राप्य राशियों के एकत्रण के हमारे एतिहासिक अनुभाव निम्न ऋण जोखिम को दर्शाते हैं। इसलिए, व्यापार प्राप्यों कों वित्तीय परिसंपत्तियों की एकल श्रेणी माना जाता है। कंपनी द्वारा प्रचालन किए जाने वाले वातावरण के आधार पर, प्रबंधन विचार करती है कि व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्य राशियों के अतिरिक्त) चूक (ऋण घाटा) के कारण है यदि भुगतान निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए देय हो गया है। इन प्रावधानकर्ता मापदंडों का परिकलन 36 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया प्राप्यों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, निम्नलिखित दरों का प्रयोग करके ईसीएल के लिए प्रावधान किया जाता हैः

समूह	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
सरकारी कंपनी का विगत तीन वर्ष से अधिक का बकाया	100.00 %	100.00 %
समूह कम्पनी	0.00 %	0.00 %
अन्य पक्षों के प्रति वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक देय	4.30%	10.96%
अन्य पक्षों का तीन वर्ष से अधिक का बकाया	100.00 %	100.00 %
व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम हानि	100.00 %	100.00 %

व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम की संभावना निम्नानुसार हैः

(रूपये मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**		**31 मार्च 2021 को**	
	सकल वहन रूपये में	**घाटा प्रावधान**	**सकल वहन रूपये में**	**घाटा प्रावधान**
देय ऋण	-	-	-	-
अति देय ऋण	6,094.40	559.91	13,348.99	549.21
कुल	**6,094.40**	**559.91**	**13,348.99**	**549.21**

व्यापार प्राप्यों के संबंध में हानि के लिए प्रावधान की व्यवस्था निम्नानुसार हैः

(रूपये मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष की आरंभ में संतुलन	549.21	446.97
वर्ष के दौरान संचलन	10.70	102.24
वर्ष के अंत में शेष	559.91	549.21

(ii) **नकदी जोखिम प्रबंधन**

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करने में सामने आता है और जिसे नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रदायगी द्वारा निपटाया जाना होता है,

कंपनी का दृष्टिकोण कंपनी को गैर जरूरी हानि के बिना और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य और दबाव दोनों ही परिस्थितियों में देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखना है।

कंपनी का विश्वास है कि कुल नकद (बैंक जमा लियन सहित और इस पर अर्जित ब्याज जो देय न हो), प्रचालनों से सृजित निधि के आंतरिक भावी अनुमान, इसकी वित्तीय स्थिति कंपनी को कारोबार के सामान्य क्रम में इसकी भावी ज्ञात देयताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगी।

प्रबंधन की निगरानी के अधीन कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

– भावी नकदी प्रवाह की निगरानी से दैनिक वित्तपोषण का प्रबंध करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
– संविदागत नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग अनुमान को बनाए रखना।
– विविध ऋण लाइनों को बनाए रखना।

नकदी जोखिम प्रभाव

निम्न विवरण रिपोर्टिंग डाटा पर वित्तीय विवरणों की शेष संविदागत परिपक्वताएं के बारे में है। संविदागत नकद प्रवाह, रूपये में, सकल तथा गैर–रियायती हैं, और इसमें भवन पर संचित किन्तु अदेय ब्याज शामिल है।

31 मार्च 2022 को

(रूपये मिलियन में)

विवरण	प्रतिधारण राशि रूपये में	संविदागत नकदी प्रवाह				
		1 वर्ष तक	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चालू						
व्यापार देनदारियां	4,080.54	4,080.54	-	-	-	4,080.54
अन्य वित्तीय देनदारियां	6,13.51	6,13.51	-	-	-	6,13.51

31 मार्च 2021 को

(रूपये मिलियन में)

विवरण	प्रतिधारण राशि रूपये में	संविदागत नकदी प्रवाह				
		1 वर्ष तक	1–3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चालू						
व्यापार देनदारियां	6130.67	6130.67	-	-	-	6130.67
अन्य वित्तीय देनदारियां	19,340.82	19,340.82	-	-	-	19,340.82

(iii) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह का मान उपर नीचे होता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं यथा मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को अधिकतम बनाकर स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रभाव को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया है।

ख. मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर मौजूदा विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव के प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब प्रचालन मुद्रा और कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से प्राप्त अन्य मुद्रा के बीच विनिमय दरों में उतार–चढाव होता है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार मुद्रा जोखिम का कंपनी पर प्रभाव के बारे में परिणामात्क डाटा का सारांश भारतीय रूपये में नीचे दिया गया है:

31 मार्च 2022 को

विवरण	एईडी	एयूडी	बीडीटी	सीएनवाई	ईयूआर	जीबीपी	एचकेडी	जेपीवाई	केआरडब्ल्यू	केडब्ल्यूडी	एलकेआर	एनपीआर	ओएमआर	एसएआर	एसईके	एसजीडी	यूएसडी
नकद और नकद समकक्ष	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.52
व्यापार प्राप्तियां	0.37	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.70
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**0.56**	**-**	**-**	**-**	**0.01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.24**
अन्य वित्तीय देनदारियां	-0.13	-0.13	-0.03	-0.16	-0.06	-0.02	-1.30	-	-9.39	-	-	-1.50	-0.00	-0.07	-0.01	-0.06	-0.03
व्यापार देनदारियां	-0.20	-	-	-	0.05	0.01	-	0.40	-	0.00	0.08	-	-	-	-	0.02	2.57
कुल वित्तीय देनदारियां	**-0.33**	**-0.13**	**-0.03**	**-0.16**	**-0.02**	**-0.02**	**-1.30**	**0.40**	**-9.39**	**0.00**	**0.08**	**-1.50**	**-0.00**	**-0.07**	**-0.01**	**-0.04**	**2.54**

31 मार्च 2021 को

विवरण	एईडी	बीडीटी	सीएचएफ	ईयूआर	जीबीपी	एचकेडी	जेपीवाई	केआरडब्ल्यू	केडब्ल्यूडी	एलकेआर	एनपीआर	एसएआर	एसजीडी	यूएसडी
नकद और नकद समकक्ष	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22
व्यापार प्राप्तियां	0.45	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.05
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**0.55**	**-**	**-**	**0.01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.27**
अन्य वित्तीय देनदारियां	-0.09	-0.01	-	-0.00	-0.01	-0.37	-	-10.49	-	-	-0.66	-0.10	-	-0.01
व्यापार देनदारियां	-0.20	-	-	0.04	0.01	-	2.22	-	0.00	0.04	-	-	0.01	1.87
कुल वित्तीय देनदारियां	**-0.28**	**-0.01**	**-**	**0.04**	**-0.01**	**-0.37**	**2.22**	**-10.49**	**0.00**	**0.04**	**-0.66**	**-0.10**	**0.01**	**1.86**

संवेदनशीलता का विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय रुपये के मुकाबले यूएसडी के (5 प्रतिशत) मजबूत/(कमजोर) होने का यथोचित संभावित परिवर्तन लाभ या हानि और अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित वित्तीय साधनों के माप को नीचे दिखाए गए रूपये से प्रभावित करेगा। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक, विशेष रूप से ब्याज दरों में, स्थिर रहते हैं और पूर्वानुमान बिक्री और खरीद के किसी भी प्रभाव से अपरिवर्तित रहते हैं।

भारतीय रूपये में प्रभाव (कर पूर्व)	**लाभ और हानि**	
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	सुदृढन	संकूचन
0.5 प्रतिशत परिवर्तन	शून्य	शून्य
यूएसडी	शून्य	शून्य
भारतीय रूपये में प्रभाव (कर पूर्व)	**लाभ और हानि**	
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	सुदृढन	संकूचन
0.5 प्रतिशत संचलनन	शून्य	शून्य
यूएसडी	शून्य	शून्य

47. इंड एएस 115 : निष्पादन दायित्व और शेष निष्पादन दायित्व

दिनांक 31 मार्च, 2022 को पूरी तरह या आंशिक रूप से असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों का कुल मूल्य शून्य रूपए (31 मार्च, 2021 को शून्य रूपये) है।

48. एआईईएसएल ने विशेष अतिरिक्त खंड उड़ानों (एसईएसएफ) हेतु दो बी–777 ईआर विमानों के प्रचालन और रखरखाव के उद्देश्य से दिनांक 04 मार्च, 2021 को प्रभावी तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के साथ एक दीर्घकालिक रखरखाव समझौते (एलटीएमए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एलटीएमए की प्रभावी तिथि दिनांक 28 मार्च, 2021 है।

49 कंपनी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि या भारत में विभिन्न स्थानों पर होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर निर्मित हैंगरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया नियत समय में पूरी होने की संभावना है।

50. दिनांक 03.08.2020 से कंपनी का नाम एअर–इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से बदलकर एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया है।

51. पिछले वर्ष के आंकड़ों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के साथ संगत होने के लिए, जहां भी आवश्यक समझा गया है और इंड एएस में विनिर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार, सूचना उपलब्ध होने और संकलन के लिए आवश्यक होने की सीमा तक पुनः समूहीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

कृते और उनकी ओर से

प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 002438C

हस्ता./-
प्रतिभा शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन : 22400755BAKAUC1412

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2022

निदेशक मंडल के कृते और उनकी ओर से

हस्ता./- **विक्रम देव दत्त** **अध्यक्ष** **डीआईएन 02055541**		**हस्ता./-** **विमलेंद्र ए पटवर्धन** **निदेशक** **डीआईएन 08701559**	
हस्ता./- **शरद अग्रवाल** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	**हस्ता./-** **राकेश कुमार जैन** **मुख्य वित्तीय अधिकारी**	**हस्ता./-** **साक्षी मेहता** **कंपनी सचिव**	

Note: